

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

सोमवार, 31 जनवरी, 2022/ 11 माघ, 1943 (शक)

संख्या 150

अपराहन 12.36 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराहन 12.38 बजे

2. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने बैठने की व्यवस्था के बारे में घोषणा की।

अपराहन 12.39 बजे

3. राष्ट्रपति का अभिभाषण - सभा पटल पर रखा गया

महासचिव ने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष किए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.39 बजे

4. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने डॉ. जी.एस. राजहंस, सदस्य, आठवीं लोक सभा; श्री पी.टी. थॉमस, सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा; डॉ. महेन्द्र प्रसाद, सदस्य, सातवीं लोक सभा; श्री राजवीर सिंह, सदस्य, नौवीं, दसवीं और बारहवीं लोक सभा; श्रीमती शकुंतला देवी, सदस्य, दूसरी और तीसरी लोक सभा; श्री तिलक राज सिंह, सदस्य, ग्यारहवीं लोक सभा; श्री ए.जी.एस.राम बाबू, सदस्य, नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; और श्री गंगा राम कोली, सदस्य, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराहन 12.44 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने सदस्य पोर्टल के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के डिजिटल-परिचालन के बारे में घोषणा की।

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 और सांख्यिकीय परिशिष्ट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

7. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गयी:-

| | | |
|-----|------------------------------------|--|
| (1) | श्री मोहम्मद आज़म खां | 29.01.2021 से 13.02.2021; 08.03.2021 से 25.03.2021; 19.07.2021 से 11.08.2021 और 29.11.2021 |
| (2) | श्री संजय शामराव धोत्रे | 29.11.2021 से 22.12.2021 |
| (3) | श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय | 29.11.2021 से 22.12.2021 |
| (4) | डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' | 29.11.2021 से 22.12.2021 |
| (5) | श्री विजय बघेल | 07.12.2021 से 22.12.2021 |
| (6) | श्री शिशिर कुमार अधिकारी | 29.11.2021 से 22.12.2021 |
| (7) | श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद | 08.12.2021 से 22.12.2021 |
| (8) | श्री इंद्रा हांग सुब्बा | 29.11.2021 to 22.12.2021 |

8. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने डिजिटल संसद ऐप के बारे में भी घोषणा की।

अपराहन 12.47 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 01 फरवरी, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 1 फरवरी, 2022/ 12 माघ, 1943 (शक)

संख्या 151

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने बजट दस्तावेजों की उपलब्धता के बारे में घोषणा की।

अपराह्न 11.01 बजे

2. केन्द्रीय बजट - 2022-2023

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.32 बजे

3. राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सभा पटल पर रखे गए विवरण

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने राजवित्तीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

(एक) मध्यम-अवधि राजवित्तीय नीति सह राजवित्तीय नीति युक्ति संबंधी विवरण; और

(दो) वृहत-आर्थिक रूपरेखा विवरण।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.32 बजे

4. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

वित्त विधेयक, 2022

अपराहन 12.33 बजे

(लोक सभा बुधवार, 2 फरवरी, 2022 के अपराहन 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

बुधवार, 2 फरवरी, 2022/ 13 माघ, 1943 (शक)

संख्या 152

अपराहन 4.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री डी. एन. पाटोदिया, सदस्य, चौथी लोक सभा; श्री बृजराज सिंह कोटा, सदस्य, तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने लखनऊ घराने के प्रख्यात कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के निधन के संबंध में भी उल्लेख किया।

उन्होंने आर्कबिशप एमेरिटस डेसमंड एमपीलो टूट्टू, वैश्विक नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता तथा नोबेल शांति पुरस्कार विजेता; और यूरोपीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष महामहिम श्री डेविड ससोली के निधन के संबंध में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराहन 4.08 बजे

2. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 8 और 13 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 9 से 12 और 14 से 20 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 5.02 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा घोषणा[&]

अध्यक्ष ने घोषणा की कि कोविड-19 महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को सभी मंत्रियों की ओर से पत्र सभा पटल पर रखने की अनुमति देने का अनुरोध किया था तथा उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

अपराहन 5.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4589(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा तालाबिरा II और III ओसीपी से बेचे जा सकने वाले कोयले की प्रतिशतता में वृद्धि की गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रेल मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव) की ओर से रेल मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[&]मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

- (दो) गृह कल्याण केन्द्र बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
(दो) सेंट्रल सिविल सर्विसेज कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
(दो) हरीश-चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

- (दो) टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) कंसल्टेंसी डेवलपमेंट सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केन्द्र, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन वैक्सीन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) भारत इम्यूनोलॉजीकलज एण्ड बायोलॉजीकलज कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत इम्यूनोलॉजीकलज एण्ड बायोलॉजीकलज कारपोरेशन लिमिटेड, बुलंदशहर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (19) (एक) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
- (दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (21) (एक) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और विलंब विवरण।
- (दो) सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।
- (दो) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति।
- (3) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता मूल्यांकन) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 8 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 52 की उप-धारा (4) के अंतर्गत विधिक मापविज्ञान (पैकेज्ड वस्तुएं) (संशोधन) नियम, 2021 जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.779(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) उपभोक्ता संरक्षण (केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा तलाशी व जब्ती और अपराधों का शमन तथा शांति का जमाकरण) नियम, 2021, जो 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.

का.आ. 5021(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (लेखों और अभिलेखों के वार्षिक विवरण का प्रारूप) नियम, 2021, जो 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5029(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (जांच को जमा करना या अन्वेषण स्कंध द्वारा अन्वेषण) विनियम, 2021, जो 14 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. जे.-25/14/2020-सीपीओ(सीसीपीए) में प्रकाशित हुए थे।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गर्ड-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

सोलहवीं लोक सभा

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. विवरण सं. 23 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 2. विवरण सं. 21 | आठवां सत्र, 2016 |
| 3. विवरण सं. 18 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 4. विवरण सं. 17 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 5. विवरण सं. 14 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |
| 6. विवरण सं. 11 | सोलहवां सत्र, 2018 |
| 7. विवरण सं. 11 | सत्रहवां सत्र, 2019 |

सत्रहवीं लोक सभा

| | |
|-----------------|--------------------|
| 8. विवरण सं. 10 | पहला सत्र, 2019 |
| 9. विवरण सं. 6 | चौथा सत्र, 2020 |
| 10. विवरण सं. 5 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 11. विवरण सं. 4 | छठा सत्र, 2021 |

- (2) संसदीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भुवनेश्वर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) कोयला खान भविष्य निधि संगठन का कार्यालय, धनबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियाँ, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 4987(अ) जो 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रिंत (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) ईईपीसी इंडिया (पूर्व में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) शैलेक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- संस्करण)।
- (दो) शैलेक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) शैलेक एण्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (पूर्व में शैलेक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) द स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (5) (एक) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॉफी बोर्ड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय चाय बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन डायमंड इंस्टिट्यूट, सूरत के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अण्डा और अण्डा उत्पाद का निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और मानिट्रिंग) नियम, 2021, जो 20 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.4369(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत

निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 5317(अ) जो 20 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) कोड 0+713 31 90 के अंतर्गत मूंग के आयात के लिए अधिसूचित "निःशुल्क" आयात नीति को 31.03.2022 तक विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2022 तक या उससे पहले की दिनांकित लेडिंग/लॉरी प्राप्ति के बीजक के साथ प्रेषित मूंग के लिए आयात नीति "निःशुल्क" होगी। इन मर्दों की आयात 30.06.2022 तक या उससे पहले सीमा शुल्क से अपरहित किया जाना चाहिए।
- (दो) का.आ. 5318(अ) जो 20 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा तूर/अरहर [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 60 00] (केजैनस कजान) और उड़द दाल (एसपीपी विग्ना मूंगो (एल) हिप्पर की फलियां) [आईटीसी (एचएस) कोड 0713 3110] के आयात के लिए अधिसूचित "निःशुल्क" आयात नीति को 31.03.2022 तक विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 31.03.2022 तक या उससे पहले की दिनांकित लेडिंग/लॉरी प्राप्ति के बीजक के साथ प्रेषित तूर/उड़द के लिए आयात नीति "निःशुल्क" होगी। इन मर्दों का आयात 30.06.2022 तक या उससे पहले सीमा शुल्क से अपरहित किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) कालीन निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, भदोही के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय कपास निगम लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन रबड़ मैनुफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की

सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) केन्द्रीय पल्प और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय पल्प और पेपर अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मराठवाड़ा ऑटो क्लस्टर, औरंगाबाद के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) (एक) आईटीआई लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईटीआई लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (दो) (एक) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. विधेयकों पर अनुमति

महासचिव ने 30 नवम्बर, 2021 को सभा को दी गयी पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के सातवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 4 विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1. बांध सुरक्षा विधेयक, 2021;

2. उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2021;
3. सरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2021; और
4. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 7 विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखीं:-

1. कृषि विधि निरसन विधेयक, 2021;
2. सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2021;
3. राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान (संशोधन) विधेयक, 2021;
4. दिल्ली पुलिस विशेष स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021;
5. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021;
6. स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2021; और
7. निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2021

7. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने कार्य मंत्रणा समिति का 28वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 304वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 310वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के 306वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 311वां प्रतिवेदन।
- (3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र पर कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और इससे निपटने के लिए अपनाई गई प्रशमन रणनीति' के बारे में समिति के 308वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 312वां प्रतिवेदन।

* ये प्रतिवेदन 22 दिसम्बर, 2021 को राज्य सभा में प्रस्तुत किये गये थे।

9. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत सिंह ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'देश में विमान संपर्क की स्थिति' विषय के बारे में समिति के 293वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 304वां प्रतिवेदन।
- (2) 'संग्रहालयों और पुरातत्वीय स्थलों का विकास और संरक्षण-चुनौतियां और अवसर' विषय के बारे में समिति के 294वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 305वां प्रतिवेदन।
- (3) 'देश में पर्यटन स्थलों की संभाव्यता-कनेक्टिविटी और पहुंच' विषय के बारे में समिति के 295वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 306वां प्रतिवेदन।
- (4) 'राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका' विषय के बारे में समिति के 296वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 307वां प्रतिवेदन।
- (5) 'भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्यकरण' विषय के बारे में समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 308वां प्रतिवेदन।
- (6) 'भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का संवर्धन' विषय के बारे में समिति के 300वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 309वां प्रतिवेदन।

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से 'कोयला खानों की नीलामी' के बारे में श्री राजेश वर्मा, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1663 के 8 दिसम्बर, 2021 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) श्री देवुसिंह चौहान ने दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित '5जी के लिए भारत की तैयारी' के बारे में संचार और सूचना संबंधी स्थायी समिति के 21वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 5.07 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद जिले में एक सैनिक स्कूल, सैनिक कैन्टीन और सैनिक कल्याण बोर्ड की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (2) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा सोलर चरखे द्वारा विनिर्मित सूत को खादी की श्रेणी में रखे जाने के बारे में।
- (3) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धनेरा रेलवे स्टेशन पर कुछ रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोंही जिले में स्वास्थ्य देख-रेख सेवाओं में सुधार के बारे में।
- (5) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा महाराष्ट्र के फलटन और पंढरपुर के बीच रेल लाइन के निर्माण के बारे में।
- (6) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य देख-रेख सुविधाओं में सुधार के बारे में।
- (7) श्री संजय सेठ द्वारा झारखण्ड में रेल का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड के गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की कमी की समस्या का निवारण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा में रेल सेवा के सुधार और उसे फिर से चालू किए जाने के बारे में।
- (10) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उत्तर प्रदेश स्थित रायबरेली-प्रयागराज रोड को चार लेन में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) एडवोकेट अदूर प्रकाश द्वारा केरल के तिरुवनन्तपुरम् जिले में नशीली दवाएं बनाने वालों द्वारा जनजातीय बालिकाओं के उत्पीड़न के बारे में।
- (12) श्री एम. के. राघवन द्वारा कस्तूरी रंगन समिति के प्रतिवेदन के निहितार्थों के बारे में।
- (13) श्री हिबी ईडन द्वारा केरल के एर्नाकुलम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल पथ के दोहरीकरण हेतु विस्तृत प्राक्कलन की संस्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री वी. कलानिधि द्वारा तमिलनाडु में रेल समपारों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) प्रो. सौगत राय द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली, 1954 में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में।

- (16) श्री एन. रेडडप्प द्वारा कृषि श्रम लागत व्यय को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बैंक धोखाधड़ी की समयबद्ध जांच सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (18) श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा बिहार के मधेपुरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सहरसा स्थित दूरदर्शन केंद्र को बंद किए जाने संबंधी निर्णय के बारे में।
- (19) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) डॉ. गदम रणजीत रेड्डी द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए पूरे वर्ष के लिए चावल की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किए जाने तथा खरीद की गति में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा महाराष्ट्र के महाड़, रायगड़ में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम स्थायी तौर पर तैनात किए जाने आवश्यकता के बारे में।
- (22) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा महाराष्ट्र के नंदुरवार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सभी पात्र महिलाओं को निःशुल्क रसोई गैस दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 5.07 बजे

12. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा अनुशंसित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 5 घंटे 31 मिनट

शेष: 6 घंटे 29 मिनट

श्री हरीश द्विवेदी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

श्री कमलेश पासवान ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

अठानवे (1-18, 25-33, 61-67, 86-89, 110-125, 143-173, 185-192, 194-195, 224-225 और 229) संशोधन पेश किए गए।

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने धन्यवाद प्रस्ताव पर संशोधनों को पेश किए जाने के बारे में घोषणा[&] की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राहुल गांधी
2. श्री टी.आर. बालू
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री भरत राम मारगनी
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत
6. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
7. श्री रितेश पाण्डेय
8. श्री जगदम्बिका पाल
9. श्री हिबी ईडन
10. श्रीमती नवनित रवि राणा
11. श्री पी. रविन्द्रनाथ
12. श्री गणेश सिंह
13. श्री अब्दुल खालेक

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 10.38 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 3 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[&]मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 3 फरवरी, 2022/ 14 माघ, 1943 (शक)

संख्या 153

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 23, 24 (28 के साथ युग्मित) और 25 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 26, 27 और 29 से 40 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने जल शक्ति मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (4) (एक) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) एआई असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एआई असेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) एयर इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) पवन हंस लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (7) उपर्युक्त (6) की मद संख्या (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवेज इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन एकेडमी ऑफ हाइवेज इंजीनियर्स, नोएडा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 के लिए विस्तृत अनुदानों की मांगों (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (11) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का. आ. 4881 (अ) जो 26 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 के डिजाइन किमी. 130.000 से किमी. 193.000 तक (वर्तमान में 130.100 किमी. से 194.000 किमी. तक) सिंदूर नदी से बरेली बाईपास के प्रारंभ तक की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (दो) का. आ. 4900 (अ) जो 30 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 45 (पुराना एनएच 12) के डिजाइन किमी. 278.650 किमी. तक गोहरगंज (बिनेका गांव) से ओबेदुल्लागंज तथा डिजाइन किमी. 193.000 से किमी. 252.750 तक (वर्तमान में 193.10 किमी. से 255.300 किमी.) बरेली बाईपास से गोहरगंज (बिनेका गांव) तक की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (तीन) का. आ. 4977 (अ) जो 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी. 646.000 से किमी. 677.000 तक आबू रोड से स्वरूपगंज खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का. आ. 4978 (अ) जो 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात और राजस्थान राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के पालनपुर/खिमाना से आबू रोड खंड (किमी. 601+000 से किमी. 646+000 तक) की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का. आ. 4979 (अ) जो 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 (पुराना एनएच 7) के किमी. 135.469 से किमी. 211.000 तक कोथाकोट्टा बाईपास से कुर्नूल खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का. आ. 4980 (अ) जो 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 (पुराना एनएच 76) के किमी. 891.929 से किमी. 1052.429 तक चित्तौड़गढ़ बाईपास से कोटा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का. आ. 5096 (अ) जो 8 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 (पुराना एनएच 4) के किमी. 515.000 से किमी. 592.705 तक बेलगांव से महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा (कगल) खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (आठ) का. आ. 5126 (अ) जो 10 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 6 (नया एनएच 49) के (डिजाइन चैनेज किमी. 310.806 से किमी. 414.982 तक) किमी. 311.000 से किमी. 414.000 तक सिंहरा से बिन्जबहल परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का. आ. 5127 (अ) जो 10 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आन्ध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 16 (पुराना एनएच 5) के किमी. 682.980 से किमी. 731.585 तक आनंदपुरम-पेंडुरथी-अनाकापल्ली खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड), नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पावर फाइनेन्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुडगांव के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दामोदर घाटी निगम, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत विपणन) विनियम, 2021 जो 10 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/257/2020/सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे तथा जो 15.08.2021 से प्रभावशील होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि न्यास, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कॅयर बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में एक विवरण ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापट्टनम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान, विशाखापट्टनम के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, गांधी नगर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा संस्थान, कपूरथला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) वेपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) वेपकोस लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डॉ. सत्यपाल सिंह ने लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 'नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय बाधाएं' विषय के बारे में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रिन्स राज ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'देश में केन्द्रीय पुस्तकालयों का कार्यकरण' के बारे में 310वां प्रतिवेदन।

(2) 'ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के संरक्षण के लिए विनियामक ढाँचे का सृजन' के बारे में 311वां प्रतिवेदन।

(3) 'केन्द्रीय सड़क और अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कार्यों की समीक्षा' के बारे में 312वां प्रतिवेदन।

(4) 'विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन का संवर्धन-विदेश स्थित पर्यटन कार्यालयों और भारतीय दूतावासों की भूमिका' के बारे में 313वां प्रतिवेदन।

7. प्रस्ताव

श्री वी. मुरलीधरन ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा 2 फरवरी, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 28वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 5.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में सभी 'अमृत' और 'हर घर जल' परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने और उन्हें शीघ्र पूरा किए जाने के बारे में।
- (2) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा आदर्श सहकारी सोसायटी में अपनी राशि जमा कराने वाले निवेशकों को धनराशि की वापसी सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा आकांक्षी जिलों की सूची में महाराष्ट्र के लातूर जिले को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले में मनुष्यों पर बाघ के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखण्ड के गढ़वा जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री गणेश सिंह द्वारा मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ललितपुर-सिंगरौली रेल लाइन परियोजना हेतु जिन लोगों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, उन्हें रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री गोपाल चिन्मय्या शेटी द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई में रेल लाइन के किनारे रह रहे झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को आवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) सुश्री राम्या हरिदास द्वारा केरल में अस्थाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान न किए जाने के बारे में।
- (10) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती रेलभाड़ा पुनः बहाल किए जाने के बारे में।

* अपराहन 5.03 बजे से अपराहन 5.10 तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (11) डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन द्वारा आईएएस संवर्ग संबंधी नियमों में प्रस्तावित संशोधन वापस लिए जाने के बारे में।
- (12) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा दिव्यांग खिलाड़ियों की वास्तविक आवश्यकताओं के बारे में।
- (13) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा दामोदर घाटी निगम बांध की भंडारण क्षमता को निकटवर्ती क्षेत्रों में हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने हेतु बढ़ाए जाने के बारे में।
- (14) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा महाराष्ट्र के हातकणंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में इचलकरंजी में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में पीआरएएसएडी और स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत थावे पीठ विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (16) श्री महेश साहू द्वारा ओडिशा में नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के विनिवेश के बारे में।
- (17) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा आरआरबी, एनटीपीसी के परिणाम के बारे में।
- (18) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश में मिर्च की फसल को क्षति पहुंचाने वाले 'ब्लैक ट्रिप्स' नामक नाशकजीव को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (19) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा केरल में कोल्लम जिले के पुनालूर में पासपोर्ट सेवा केंद्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (20) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में सफेद मूसली नामक औषधीय पौधे उगाने वाले किसानों को अनुदान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (21) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का निर्माण पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (22) श्रीमती चिंता अनुराधा द्वारा ऊंची अदालतों में अजा/अजजा श्रेणी के न्यायाधीशों के प्रतिनिधित्व के बारे में।
- (23) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा अजमेर-चण्डीगढ़ राजमार्ग अथवा किशनगढ़-हनुमानगढ़ वृहत राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (24) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 5.11 बजे

9. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

आबंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 10 घंटे 22 मिनट

शेष: 1 घंटा 38 मिनट

श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2 फरवरी, 2022 को पेश किए गए और श्री कमलेश पासवान द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं।’

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह
2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्री नामा नागेश्वर राव
4. श्री राजीव प्रताप रूडी
- 5* श्री एस.आर. पार्थिवन
- 6* श्री सी.एन. अन्नादुरई
- 7* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
- 8* श्री चन्देश्वर प्रसाद
- 9* श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
- 10* एडवोकेट अदूर प्रकाश
11. सुश्री महुआ मोड़त्रा
- 12* श्री रीती पाठक

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

- 13* श्री बिद्युत बरन महतो
 14* श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
 15* श्री गोपाल चिनैय्या शेटी
 16* श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
 17* श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
 18* श्री धनुष एम. कुमार
 19* श्री हंसमुखभाई एस. पटेल
 20* श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
 21* श्री मितेष रमेशभाई पटेल
 22. श्री कृष्ण पाल गुर्जर
 23* डॉ. गौतम सिगामणि पोन
 24. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
 25. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
 26. श्री हसनैन मसूदी
 27* श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ राजेनिंबालकर
 28* सुश्री राम्या हरिदास
 29. श्री मणिककम टैगोर बी.
 30. श्री सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील
 31* डॉ. आलोक कुमार सुमन
 32* श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
 33* श्री राजू बिष्ट
 34. श्री थोमस चाज़िकाडन
 35. श्रीमती सुप्रिया सुले
 36* श्रीमती रमा देवी
 37. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
 38. श्री प्रतापराव जाधव
 39* श्रीमती शारदाबेन अनिलकुमार पटेल
 40* श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा
 41* श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
 42* श्रीमती रंजनबेन भट्ट

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

- 43* श्री डी.के. सुरेश
 44. श्रीमती जसकौर मीना
 45* डॉ. डी. रविकुमार
 46. श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.
 47. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
 48* श्री राहुल रमेश शेवाले
 49. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
 50. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
 51. श्री भर्तृहरि महताब
 52. श्री कुंवर दानिश अली
 53. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
 54. श्री संजय सेठ
 55. श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी
 56* श्री शंकर लालवानी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

%10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री टी.आर. बालू ने नीट (एनईईटी) विधेयक के बारे में निवेदन किया।

तत्पश्चात, अध्यक्ष ने टिप्पणी[&] की कि राज्यपाल के आचरण पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती है।

#रात्रि 10.28 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
 महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

%सायं 6.36 बजे।

& मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

रात्रि 10.02 बजे से रात्रि 10.28 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

शुक्रवार, 4 फरवरी, 2022/ 15 माघ, 1943 (शक)

संख्या 154

अपराहन 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 41 से 46 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 47 से 60 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 461 से 690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 5.03 बजे

3. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री असादुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में अपने काफिले पर हुए हमले के बारे में निवेदन किया।

श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर सहयोजित हुए।

*श्री पीयूष गोयल ने उत्तर दिया।

*वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री

अपराहन 5.13 बजे

4. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी[&]

अध्यक्ष ने सभी सदस्यों से अध्यक्षपीठ की गरिमा बनाये रखने की अपील की।

तत्पश्चात्, निम्नलिखित सदस्यों ने भी निवेदन किया:-

1. अधीर रंजन चौधरी
2. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
3. श्री अरविंद गणपत सावंत
4. श्री ए. राजा
5. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
6. श्री रितेश पाण्डेय
7. श्री नामा नागेश्वर राव
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री जयदेव गल्ला
11. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
12. ⁵श्री नरेन्द्र सिंह तोमर

अपराहन 5.33 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से आयुष मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

[&]मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

⁵कृषि और किसान कल्याण मंत्री

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(तीन) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
(चार) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पेंशन फण्ड ट्रस्ट, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(तीन) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
(चार) पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 664(अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा पारादीप पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा.का.नि. 519(अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति संशोधन) विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा.का.नि. 511(अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मंगलौर पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2021 का अनुमोदन किया गया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडिया सेंटर फॉर माइग्रेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(घ) (एक) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बीईएल ऑप्ट्रॉनिक डिवाइसेज लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 43 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सशस्त्र बल अधिकरण (लेखा संवर्ग पद) भर्ती नियम, 2019 जो 12 जून, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 11(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सशस्त्र बल अधिकरण (समूह-क पद) भर्ती नियम, 2018 जो 23 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 04(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) सशस्त्र बल अधिकरण (समूह-ख राजपत्रित और गैर-राजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2018 जो 23 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 05(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल अधिकरण, समूह-ग पद (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2013 जो 10 जून, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 02(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगबंत खुबा) की ओर से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, कोच्चि का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (क) (एक) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएलएल इंफ्रा टेक सर्विसेस लिमिटेड, तिरुवनन्तपुरम का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, परनेम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय क्षय और श्वसन रोग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ एण्ड मेडिकल साइंसेज, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (4) (एक) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नई दिल्ली क्षय रोग केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान, मैसूरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसॉर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसॉर्स सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (16) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग पहला (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2021 जो दिनांक 3 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3115(अ) प्रकाशित हुआ था।
- (दो) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग नियम, 2021 (2021 का 14) जो दिनांक 27 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 346(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धिपत्र जो दिनांक 26 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नवीन औषध और नैदानिक परीक्षण (संशोधन) नियम, 2022 जो 13 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.14(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) आयुर्विज्ञान उपकरण (संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.19(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) आयुर्विज्ञान उपकरण (संशोधन) नियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.918(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) औषध (संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.20(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) औषध (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 20 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.30(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) नवीन औषध और नैदानिक परीक्षण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.21 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) औषध (छठा संशोधन) नियम, 2021 जो 29 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.839(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) औषध (सातवां संशोधन) नियम, 2021 जो 9 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.848 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (23) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) पांचवां संशोधन विनियम, 2021 जो 15 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. मानक/एससी/ए-1.34/एन-1 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (चौथे सदस्य की नियुक्ति की रीति तथा अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें, और परिसंपत्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों की उद्घोषणा) विनियम, 2021 जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 282(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (सदस्यों की नियुक्ति तथा नामनिर्देशन की रीति, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन एवं शर्तें, और परिसंपत्तियों, व्यावसायिक और वाणिज्यिक कार्यों की उद्घोषणा) संशोधन नियम, 2021 जो 20 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 283(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का.आ. 2008(अ) जो 24 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो अध्यक्ष, मेडिकल एसेसेमेंट और रेटिंग बोर्ड तथा अध्यक्ष एथिक्स एण्ड मेडिकल रेटिंग बोर्ड की नियुक्ति के बारे में है।
- (चार) का.आ. 2036(अ) जो 28 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, तथा जो सदस्य, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की नियुक्ति के बारे में है।
- (26) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) संशोधन नियम, 2021, जो 25 मई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय होमियोपैथी संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुशील कुमार सिंह ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित चार प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किये:-

- (1) 'भारतीय विमानपतन प्राधिकरण (एएआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 10वां प्रतिवेदन।
- (2) 'सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 11वां प्रतिवेदन।
- (3) 'भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 12वां प्रतिवेदन।
- (4) 'नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) का 13वां प्रतिवेदन।

7. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के विवरण

श्री सुशील कुमार सिंह ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदनों के अध्याय एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'वर्ष 2011-12 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन संख्या 3 के पैरा 2.5 पर आधारित मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट (प्रा.) लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की ओर से न्यासी क्षमता में धारित एस्करो खाते से अनाधिकृत निकासी' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 5वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) 'चुनिंदा सीपीएसयू में कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) 'पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन तथा पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ग्रिड प्रबंधन (वर्ष 2014 के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 18 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 11वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 19वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) 'भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का वित्त पोषण (वर्ष 2015 के निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 पर आधारित)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 22वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (6) 'घाटे में चल रहे सीपीएसयू की समीक्षा' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 24वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 7वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. लोक लेखा समिति के विवरण

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'आमान परिवर्तन और नई लाईन परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन प्रथाएं' संबंधी चौथा की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (2) 'कर उदग्रहण में कमी, उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के गलत वर्गीकरण और निर्यात दायित्व के पूरा न होने के कारण राजस्व हानि' संबंधी 33वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।

- (3) 'विशेष आर्थिक जोन' संबंधी 62वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (4) 'गैर-व्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) योजना' संबंधी 63वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (5) 'भारतीय सेना में राशन की आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन' संबंधी 74वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा)।
- (6) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग पर आधिक्य (2010-11)' संबंधी 9वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (7) 'आदर्श सहकारी आवास सोसायटी, मुंबई' संबंधी 79वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (8) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग पर आधिक्य (2012-13)' संबंधी 84वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (9) 'भारतीय रेल में लौह अयस्क की ढुलाई के लिए दोहरी मालभाड़ा नीति की निष्पादन लेखापरीक्षा' संबंधी 86वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (10) 'भारतीय रेल की उपनगरीय रेल सेवाएं' संबंधी 99वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (11) 'भारतीय रेल में वाणिज्यिक प्रचार' संबंधी 100वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (12) 'साझा मोबाइल अवसंरचना योजना' संबंधी 101वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (13) 'स्पेसिफिक पैथोजन फ्री श्रिम्प सीड मल्टीप्लिकेशन सेंटर - (एनएफडीबी) की स्थापना पर अनुपयोगी व्यय' संबंधी 107वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (14) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग पर आधिक्य (2013-14)' संबंधी 116वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (15) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग पर आधिक्य (2014-15)' संबंधी 117वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (16) 'सार्वजनिक निजी भागीदारी का कार्यान्वयन - इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, दिल्ली' संबंधी 128वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (17) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभार्य विनियोग पर आधिक्य (2015-16)' संबंधी 118वां की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (18) 'भारतीय रेल में परियोजनाओं का लेखांकन' संबंधी 8वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (19) 'सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चालू किए जाने में विलम्ब, अनियमित एलटीसी दावे और हायर किये गये सर्वरों पर परिहार्य व्यय' संबंधी 19वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

9. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने 'महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के तीन सौ सोलहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 334वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से सोमवार, 7 फरवरी, 2022 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

11. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव-समय बढ़ाया जाना

श्री बृजेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समय को इस तारीख से एक माह के लिए बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 5.37 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान में लूनी नदी के पुनरुज्जीवित किए जाने के बारे में।
- (2) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय क्षेत्र में भू-जल की पुनः पूर्ति करने के लिए जल संरक्षण उपायों के बारे में।
- (3) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा राजस्थान में छोकरवाड़ा से भरतपुर रोड को फोर लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में विकसित करने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के कैमूर जिले में सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री कनकमल कटारा द्वारा देश में जनजातीय लोगों के ईसाई बनने के बारे में।
- (7) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा महाराष्ट्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के बारे में।

- (8) श्री रामदास सी. तडस द्वारा कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के लिए उम्र सीमा कम करने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अब्दुल खालेक द्वारा असम के निचले क्षेत्र में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।
- (10) श्री के. मुरलीधरन द्वारा कैडर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति के बारे में।
- (11) श्री एस. रामलिंगम द्वारा इरूलर और नारीकुरावर समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा बैंकरों के लिए बूस्टर शॉट के बारे में।
- (13) श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा अल्पसंख्यकों पर कथित रूप से हमले की बढ़ती हुई घटनाओं के बारे में।
- (14) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर-जयपुर रूट पर मेमू ट्रेन चलाने और सीकर व जयपुर रेलवे स्टेशनों पर लम्बी दूरी वाली ट्रेनों का ठहराव दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के तहत सड़कों एवं पुलों के निर्माण के बारे में।

अपराहन 5.38 बजे

13. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 13 घंटे 32 मिनट

श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2 फरवरी, 2022 को पेश किए गए और श्री कमलेश पासवान द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। ‘

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
- 2* श्री वी.के. श्रीकंदन
- 3* श्री सुनील कुमार सिंह
- 4* श्री गणेशन सेल्वम
- 5* श्री सुरेश कुमार कश्यप
- 6* श्री तालारी रंगैय्या
- 7* श्रीमती सुमलता अम्बरीश
- 8* श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया
- 9* श्री ए. गणेशमूर्ति
- 10* श्री कुरुवा गोरंतला माधव
- 11* श्री एंटो एन्टोनी
- 12* श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
- 13* श्री बचेगौडा बी.एन.
- 14* श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
- 15* श्री जनार्दन मिश्र

सायं 7.18 बजे

- 16# डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
- 17* श्री जयदेव गल्ला
18. श्री हनुमान बेनीवाल
19. श्री कानि के. नवास
20. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
21. श्री निहाल चन्द चौहान
- 22* श्री पी.पी. चौधरी
23. श्री संतोष कुमार
24. श्री राम शिरोमणि वर्मा
25. श्री इंद्रा हांग सुब्बा

#उन्होंने सायं 7.18 बजे अपना भाषण पुनः शुरू किया।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

26. श्री संगम लाल गुप्ता
27. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
28. श्री पल्लब लोचन दास
29. श्रीमती अगाथा के. संगमा
30. श्रीमती सुनीता दुग्गल
31. श्री एस. वेंकटेशन
32. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
33. श्री तापिर गाव
34. श्री मलूक नागर
- 35* श्री नायब सैनी
36. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गये।

&14. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का भारतीय सुखाचार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 7 का संशोधन, आदि)
2. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 29 के स्थान पर नए अनुच्छेद और उप-शीर्ष का प्रतिस्थापन)
3. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का अम्ल हमलों का निवारण और अम्ल हमला पीड़ितों का पुनर्वास विधेयक, 2021
4. श्री भर्तृहरि महताब, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
5. डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का गुटखा और पान मसाला (प्रतिषेध), विधेयक, 2020
6. श्री फिरोज वरुण गांधी, संसद सदस्य का लोक पदधारियों और अंतरराष्ट्रीय लोक संगठनों के पदधारियों के रिश्वत का निवारण विधेयक, 2019
7. डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, संसद सदस्य का ऑनलाइन प्लेटफार्म डिलीवरी कार्मिक (संरक्षण) विधेयक, 2020
8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का कर राजस्व का विवेकपूर्ण उपयोग (सरकारी विज्ञापन के लिए) विधेयक, 2020
9. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का महिला (विकास और कल्याण) प्राधिकरण विधेयक, 2021
10. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का महिला (कार्यस्थल में आरक्षण) विधेयक, 2021
11. श्रीमती रमा देवी, संसद सदस्य का घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 5 और 9 का संशोधन)
12. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य का निराश्रित और उपेक्षित महिला (कल्याण) विधेयक, 2019
13. श्री बैन्नी बेहनन, संसद सदस्य का तटीय परिक्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2019
14. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का मानसिक विमन्दित बालकों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना विधेयक, 2019
15. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2019 (नई धारा 66गक का अंतःस्थापन)
16. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 16 का संशोधन)
17. श्री कोडिकुन्नील सुरेश, संसद सदस्य का सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 7 का संशोधन)
18. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण बोर्ड विधेयक, 2021

19. श्री के. नवासखनी, संसद सदस्य का *श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्त) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन)*
20. श्री रामदास तडस, संसद सदस्य का *विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2020*
21. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का *दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (धारा 2 का संशोधन, आदि)*
22. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का *जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2021*
23. डॉ. निशिकांत दुबे, संसद सदस्य का *एकल उपयोग प्लास्टिक (विनियमन) विधेयक, 2020*
24. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का *विद्यालयों में अनिवार्य योग और खेल शिक्षा विधेयक, 2021*
25. श्री फिरोज वरुण गांधी, संसद सदस्य का *अधिशेष भोजन का अनिवार्य दान विधेयक, 2020*
26. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2020 (नई धारा 6क का अंतःस्थापन)*
27. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का *रक्षा कर्मिकों के परिवारों का कल्याण विधेयक, 2020*
28. प्रो. सौगत राय, संसद सदस्य का *पंथनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव (परिरक्षण) विधेयक, 2020*
29. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का *शरणस्थल विधेयक, 2021*
30. श्री मनोज कोटक, संसद सदस्य का *प्री-स्कूल विनियामक प्राधिकरण विधेयक, 2020*
31. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव, संसद सदस्य का *ओडिशा राज्य के कोरापुट, बलांगिर तथा कालाहांडी क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020*
32. श्री निहाल चन्द, संसद सदस्य का *राष्ट्रीय फसल बीमा आयोग विधेयक, 2020*
33. श्री सय्यद ईमत्याज जलील, संसद सदस्य का *भोजन अपव्यय में कमी और अतिरिक्त भोजन का पुनर्वितरण विधेयक, 2020*
34. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का *अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (जनगणना एवं अन्य कल्याणकारी उपबंध) विधेयक, 2021*
35. श्री गणेश सिंह, संसद सदस्य का *अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमी लेयर मानदंड को हटाया जाना) विधेयक, 2021*
36. श्री निहाल चंद, संसद सदस्य का *महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुसूची 1 का संशोधन)*
37. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का *भिक्षुक (रोजगार, कौशल विकास और पुनर्वास) विधेयक, 2021*
38. डॉ. आलोक कुमार सुमन, संसद सदस्य का *काम का अधिकार विधेयक, 2021*
39. श्री गोपाल चिन्नेय्या शेटी, संसद सदस्य का *संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)*
40. श्री गोपाल चिन्नेय्या शेटी, संसद सदस्य का *जवाबदारी ब्यूरो विधेयक, 2022*
41. डॉ. मोहम्मद जावेद, संसद सदस्य का *दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021(धारा 124क का लोप)*
42. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का *शैक्षणिक संस्थाओं में भारत के ज्ञान, परंपराओं और*

प्रथाओं का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2021

43. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का संसद सदस्य (खिलाड़ियों का अंगीकरण) विधेयक, 2022
44. श्री प्रवेश साहिब सिंह, संसद सदस्य का वित्तीय शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2022
45. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का प्रत्यक्ष नकद अंतरण (गरीब गृहस्थियों को वित्तीय सहायता) विधेयक, 2022
46. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी, संसद सदस्य का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2021 (तेरहवीं अनुसूची का संशोधन)
47. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का अनुसूचित जनजातियां (पदों और सेवाओं में आरक्षण एवं रिक्तियों का समयबद्ध रीति से भरा जाना) विधेयक, 2021
48. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का नगरपालिकाओं के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) विधेयक, 2021
49. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत, संसद सदस्य का सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021(धारा 2 का संशोधन. आदि)
50. श्री कुंवर दानिश अली, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 243ग का संशोधन)
51. डॉ. गदम रणजीत रेड्डी, संसद सदस्य का राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी विधेयक, 2021
52. श्री संजय भाटिया, संसद सदस्य का वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 43क का अंतःस्थापन)
53. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का असम राज्य में नदी द्वीपों पर रहने वाले व्यक्ति (कल्याण और जनगणना) विधेयक, 2021
54. श्री डी.एम. कथीर आनन्द, संसद सदस्य का तमिलनाडु राज्य में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2021
55. श्री श्याम सिंह यादव, संसद सदस्य का पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 11 और 20 का संशोधन)
56. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी, संसद सदस्य का शिशु, बालक और युवा वयस्क (व्यापक देखभाल और संरक्षण) विधेयक, 2022
57. श्री दिलेश्वर कामैत, संसद सदस्य का शहीद (पर्याप्त प्रतिकर की संदायगी) विधेयक, 2022
58. श्री ए. राजा, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
59. श्री ए. राजा, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 16क का अंतःस्थापन)
60. डॉ. डीएनवी सैथिल कुमार एस., संसद सदस्य का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 7क का अंतःस्थापन)
61. श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 166 का संशोधन)
62. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन. आदि)

63. श्री जयंत सिन्हा, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 85 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)
64. श्रीमती रंजीता कोली धरोहर शहर और स्थल (संरक्षण और विकास) विधेयक, 2020
65. श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य का सूखा प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य, पेयजल और चारा की पूर्ति का अनुरक्षण विधेयक, 2020
66. श्रीमती रंजीता कोली, संसद सदस्य का व्यथित विधवाएं और एकल महिलाएं (संरक्षण, पुनर्वासन और कल्याण) विधेयक, 2021
67. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
68. श्री सुशील कुमार सिंह, संसद सदस्य का समान सिविल संहिता विधेयक, 2021
69. * श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
70. * श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
71. * श्री पी. पी. चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (अनुच्छेद 124 का संशोधन)
72. % श्री मलूक नागर, संसद सदस्य का कृषकों के परिवारों का संरक्षण विधेयक, 2020
73. % श्री मलूक नागर, संसद सदस्य का कृषक (गारंटीकृत आय एवं कल्याण) विधेयक, 2020
74. % श्री मलूक नागर, संसद सदस्य का राष्ट्रीय लघु राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2020

@रात्रि 9.47 बजे

(लोक सभा सोमवार, 7 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*सायं 7.49 बजे

%रात्रि 8.58 बजे

@ रात्रि 9.40 बजे से रात्रि 9.47 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 7 फरवरी, 2022/ 18 माघ, 1943 (शक)

संख्या 155

अपराहन 4.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने भारत रत्न और पूर्व राज्य सभा सदस्य प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

उन्होंने श्री गजानन डी. बाबर, सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा; और श्री सी. जंगा रेड्डी, सदस्य, आठवीं लोक सभा के निधन के संबंध में भी उल्लेख किया।

तत्पश्चात् सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(लोक सभा अपराहन 4.06 बजे स्थगित हुई और अपराहन 5.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

2. प्रश्न

चूंकि निधन संबंधी उल्लेख के पश्चात् सभा अपराहन 5.00 बजे तक के लिए स्थगित हो गई थी, इसलिए तारांकित प्रश्नों को मौखिक उत्तर के लिए नहीं लिया जा सका। अतः, आज की कार्य-सूची में सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 80 को अतारांकित प्रश्न माना गया और उनके उत्तर अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 5.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्री; तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री (श्री धर्मेन्द्र प्रधान) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगगनसिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) इस्पात मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 25 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि. 3(अ) जो 4 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चूना भट्टियों में पेटकोक की बिक्री और उपयोग के बारे में है।
 - (दो) का. आ. 846(अ) जो 3 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ताप विद्युत संयंत्रों के लिए पर्यावरणीय मानकों पर शुद्धिपत्र के बारे में है।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) सलारजंग संग्रहालय, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) मौलाना अबुल कलाम आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला, इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कला, इतिहास, संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) अधिकरण (सेवा की शर्तों) नियम, 2021 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो अधिकरण सुधार अधिनियम, 2021 की धारा 32 के अंतर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 635(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) वर्ष 2021-2022 के लिए भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड और वित्त मंत्रालय के

बीच हुए समझौता जापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का निर्माण (कवि मुदन्ना की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी किया जाना) नियम, 2022 जो दिनांक 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 28 (अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) (संशोधन) विनियम, 2022 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएनओ/2022/64 में प्रकाशित हुए थे।
- (7) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 875(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 2 के उप-नियम (2) और उप-नियम (3), उप-नियम (6) के खंड (1) और उप-नियम (7) के उपबंध प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में 01.01.2022 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) का.आ. 5328(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय वित्त अधिनियम, 2021 की धारा 108, 109 और 113 से 122 के उपबंधों के प्रवृत्त होने की तिथि के रूप में 01.01.2022 को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) केन्द्रीय माल और सेवाकर (दसवां संशोधन) नियम, 2021 जो दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 902(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 892(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 895(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि. 898(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 21/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 920(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-सीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना

है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(आठ) सा.का.नि. 921(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-सीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(8) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 893(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(दो) सा.का.नि. 896(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(तीन) सा.का.नि. 899(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 22/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 26.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(चार) सा.का.नि. 922(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-आईटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(पांच) सा.का.नि. 923(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-आईटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(9) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) सा.का.नि. 894(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (दो) सा.का.नि. 897(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 2/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (तीन) सा.का.नि. 900(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 21/2018-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 26.7.2018 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (चार) सा.का.नि. 924(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 14/2021-यूटीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना और 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत फुटवियर में व्युत्क्रम शुल्क ढांचा सही किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (पांच) सा.का.नि. 925(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना 15/2021-यूटीटी(आर) दिनांक 18.11.2021 का अधिक्रमण करना है ताकि 31.12.2021 को हुई माल और सेवा कर परिषद की 46वीं बैठक द्वारा यथासंस्तुत 01 जनवरी, 2022 से आगे वस्त्र क्षेत्र में विद्यमान जीएसटी दरों को जारी रखा जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (10) प्रतिकर उपकर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 13 के अंतर्गत सा.का.नि. 901(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 1/2017-प्रतिकर उपकर (दर) दिनांक 28.6.2017 में संशोधन करके भार संबंधी प्रतिस्थापन को नवीनतम एचएस 2022 कोड में शामिल करके जीएसटी दर अधिसूचना के समतुल्य किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।
- (11) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 881(अ) जो 24 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 46/2011-सीमा शुल्क दिनांक 01.6.2011 में संशोधन करके भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौता, जोकि दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी हुआ है, के अनुसार आसियान से आयात होने वाली कुछ विशिष्ट वस्तुओं पर मिलने वाली टेरिफ छूट को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 904(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 50/2017-सीमा शुल्क दिनांक 28.7.2017 में सामान्य सीमा शुल्क छूट से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली

- अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (तीन) सा.का.नि. 905(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 82/2017-सीमा शुल्क दिनांक 27.10.2017 में विभिन्न वस्त्र मदों को छूट से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (चार) सा.का.नि. 906(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक्स और कतिपय रक्षा उपकरण को दी गई छूट से सम्बंधित नीचे तालिकाबद्ध अधिसूचना में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (पांच) सा.का.नि. 907(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 11/2018-सीमा शुल्क दिनांक 02.02.2018 में सामाजिक कल्याण अतिरिक्त प्रभार के उदग्रहण से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (छह) सा.का.नि. 908(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 53/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 में सीमा शुल्क के अतिरिक्त कर उदग्रहण से सम्बंधित में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (सात) सा.का.नि. 917(अ) जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों/अधिमान्नी व्यापार अनुबंधों के अंतर्गत विहित टेरिफ दरों/अधिमान्यता के मार्जिन से सम्बंधित नीचे तालिकाबद्ध अधिसूचना में संशोधन करके सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची से टेरिफ कोड को समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2022 से लागू होगी।
- (आठ) सा.का.नि. 926(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत में कोविड-19 वैक्सीन के आयात पर उदग्रहणीय संपूर्ण सीमा शुल्क पर छूट को 30 जून, 2022 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 26(अ) जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एएफसी वूमन'स एशियन कप इंडिया, 2022 के संबंध में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा कतिपय विनिर्दिष्ट वस्तुओं पर मूलभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) और आईजीएसटी से छूट प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (12) सीमा शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 854(अ) जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

- जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य उद्भूत या निर्यातित "ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयात पर 29.11.2016 की अधिसूचना सं. 54/2016 द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के परिवंचना-रोधन के बारे में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सीकेडी/एसकेडी फॉर्म में ट्रेलर्स के लिए एक्सेल" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 863(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर आयातक के नाम में संशोधन करके "नानयांग लिंगबाओ पर्ल पिगमेंट कंपनी लिमिटेड मेटेरियल्स" के स्थान पर "हेनान लिंगबाओ न्यू मेटेरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड" करने के लिए "प्राकृतिक अभ्रक आधारित पर्ल इंडस्ट्रीयल पिगमेंट्स, कॉस्मेटिक ग्रेड को छोड़कर" पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण के बारे में 26.08.2021 की अधिसूचना सं. 47/2021-सीमा शुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 865 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सोडियम हाइड्रोसल्फाइड" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 866(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन संबद्ध शुल्क महानिदेशालय द्वारा आरंभ की गई न्यू शिपर रिव्यू का परिणाम लंबित रहने तक, भारत में मैसर्स अल-रजी केमिकल काम्पलैक्स लिमिटेड द्वारा बांग्लादेश से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोजन पर-आक्साइड" के सभी आयात के अनंतिम मूल्यांकन को निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि. 867(अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईरान, ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से उद्भूत या निर्यातित "कैल्साइंड जिप्सम पाउडर" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि. 873(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "सिलिकॉन सीलेंट" के आयात पर 20 दिसम्बर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 874(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (एचएफसी) घटक आर-32" के आयात प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 876(अ) जो 22 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड्स (407 और 410 से भिन्न सभी ब्लेंड्स को छोड़कर)" के आयात पर 21 दिसम्बर, 2026 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए

- प्रतिपाटन शुल्क का उद्ग्रहण करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 882(अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या निर्यातित "डेकोर पेपर" के आयात पर डीएसटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 904(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्रतिपाटन शुल्क के अधिग्रहण के संबंध में नीचे दी गई तालिका में दी गई अधिसूचनाओं में संशोधन करके टैरिफ कोड्स को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के समतुल्य करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन। यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगी।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 8(अ) जो 6 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से "1,1,1,2-टेट्राफ्लोरोईथेन या आर-134ए" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण का प्रतिसंहरण करने के लिए 11.07.2016 की अधिसूचना सं. 30/2016-सीमा शुल्क (एडीडी) का निरसन करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 13(अ) जो 13 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 49/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) द्वारा अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं. 49/2017-डीजीटीआर दिनांक 8 अक्टूबर, 2021 के अंतिम निष्कर्ष सं.7/16/2021-डीजीटीआर के स्वीकार न किए जाने के पश्चात् जिसमें सक्षम प्राधिकारी ने उक्त प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की अनुसंशा की है, चीन जनवादी गणराज्य और यूरोपीय संघ से निर्यातित 'एलॉय और गैर-एलॉय स्टील के कलर कोटेड/प्री-प्रिंटेड फ्लैट के आयात पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(13) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि.910(अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2019 की अधिसूचना सं.03/2019-सीई में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(14) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा कारबार का रजिस्ट्रीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी019 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (बीमा मध्यवर्ती) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी020 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) का.आ.5199 जो 14 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा ऐसे उत्पाद अथवा उपकरण, जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा वित्तीय उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के प्रचालन और वित्तीय पट्टे के किसी सम्मिश्रण सहित प्रचालन पट्टा

अधिसूचित किया गया है।

- (चार) अधिसूचना सं. 329/आईएफएससीए/बुलियन एमआईआईएस/2021-22 जो 15 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बुलियन एक्सचेंज विनियम, 2020 के बारे में है।
- (पांच) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईएनएक्स/120 जो 24 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बाजार अवसंरचना संस्था विनियम, 2021 के बारे में है।
- (छह) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/इंडिया आईसीसी/126 जो 24 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बाजार अवसंरचना संस्था विनियम, 2021 के बारे में है।
- (सात) अधिसूचना सं. आईएफएससीए/2020-21/जीएन/021 जो 10 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो बीमा कारबार रजिस्ट्रीकरण विनियम, 2021 के बारे में है।

*संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टिट्यूट, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रामकृष्ण मिशन इंस्टिट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रामकृष्ण मिशन इंस्टिट्यूट ऑफ कल्चर, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*रात्रि 9.08 बजे

- (2) केंद्र द्वारा संरक्षित संस्मारक विष्णु वराह मंदिर, बिल्हारी, कटनी के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम 2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) केंद्र द्वारा संरक्षित संस्मारक चौसठ जोगिनी मंदिर, जबलपुर के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम 2020 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उपधारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. एफ.सं. एन-12/13/01/2019-पीएंडडी जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में संशोधन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) श्रम और रोजगार मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) केंद्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकुला के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 (एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, वरिष्ठ माध्यमिक अथवा इंटरमीडिएट विद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अर्हताओं का निर्धारण) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल012/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू(ई) में प्रकाशित हुए थे।
 (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रियाएं) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल022/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड और प्रक्रियाएं) संशोधन विनियम, 2021 जो दिनांक 26 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल011/80/2018-एमएस(विनियम)-एचक्यू में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) अधिसूचना सं. फा.सं.एनसीटीई-आरईजीएल0122/8/2020-यूएस(विनियम)-एचक्यू(ई) जो दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित संस्थानों के संबंध में वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे:-
 (एक) डॉ. अम्बेडकर होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, चंडीगढ़।
 (दो) होटल प्रबन्ध और खान-पान प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम।
 (तीन) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली।
 (चार) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, लखनऊ।
 (पांच) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान, शिमला।
 (छह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, मुंबई।
 (सात) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भोपाल।

- (आठ) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, ग्वालियर।
- (नौ) होटल प्रबन्ध, खान-पान एवं पोषाहार संस्थान(सोसाएटी), गुरदासपुर।
- (दस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (कलकत्ता) सोसाइटी, कोलकाता।
- (ग्यारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, शिलांग।
- (बारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, चेन्नई।
- (तेरह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हाजीपुर।
- (चौदह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, जयपुर।
- (पंद्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गुवाहाटी।
- (सोलह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, भुवनेश्वर।
- (सत्रह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, हैदराबाद।
- (अठारह) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, श्रीनगर।
- (उन्नीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, बेंगलोर।
- (बीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, गोवा।
- (इक्कीस) इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, अहमदाबाद।
- (बाईस) राष्ट्रीय होटल प्रबंध एवं खान-पान तकनीक परिषद, नोएडा।

- (2) उपर्युक्त मद सं. (1) में उल्लिखित संस्थानों के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट (तिरुपति और नोएडा), नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(1) वर्ष 2022-2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगे।
(2) वर्ष 2022-2023 के लिए पर्यटन मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) विश्व भारती, शांतिनिकेतन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-

- 2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, डिजाइन और विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नागालैंड विश्वविद्यालय, लुमामी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2018-2019के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भागलपुर के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय के लिए), 2020 जो 4 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. सीयूपीबी/सीसी/19-20/ओआरडी./2361 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम (डॉक्टर हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय के लिए), 2019 जो 17 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. डीएचएसजीयू/20/स्टेट्यूट/7/414 में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-एक और दो) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा।

- (दो) आईएफसीआई लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त-पोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक सामान्य नियम 2022 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 51(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (5) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी और आहरण) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/8 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (6) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 50 की उपधारा (4) के अंतर्गत निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य (संशोधन) विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 01 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.डीआईसीजी.एसईसीडी.एनओ.एस 278/01-01-013/2021-2022 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (7) प्रत्यय सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 37 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रत्यय सूचना कंपनी (संशोधन) विनियमन, 2021 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 21 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एसआईजी.एफआईएन.एनओ. 52140/20.16.050/2021-2022 प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।
- (8) फेक्टर अधिनियम, 2011 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) प्राप्य समुनुदेशनों का रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियमन, 2022 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एफआईएन. 081/सीजीएम(जेपीएस)-2022 प्रकाशित हुए थे।
- (दो) फेक्टरों का रजिस्ट्रीकरण (रिजर्व बैंक) विनियमन, 2022 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. डीओआर.एफआईएन. 080/सीजीएम(जेपीएस)-2022 में प्रकाशित हुए थे।

4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश विधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1)[#] गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) ने 3.2.2022 को पुलिस स्टेशन पिलखुवा, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक स्थान पर श्री असादुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम के अध्यक्ष के काफिले पर हुए हमले के बारे में वक्तव्य दिया।
- (2)^{\$} संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) की ओर से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 234वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 5.03 बजे

6. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अधीर रंजन चौधरी ने मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

[#]रात्रि 9.11 बजे से रात्रि 9.15 बजे तक

^{\$}रात्रि 9.10 बजे

***अपराहन 5.09 बजे**

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

1. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में मसरख जंक्शन और पटना के मध्य रेल सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
2. श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के श्री गंगानगर जिले को हवाई सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
3. श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन के बारे में।
4. श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान में आरईईटी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के बारे में।
5. श्रीमती शारदा अनिलभाई पटेल द्वारा बीएस-6 वाहनों में सीएनजी किट के रेट्रोफिटिंग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
6. श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा केन्द्रीय बजट (2022-23) के बारे में।
7. श्री मनोज कोटक द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई नॉर्थ-ईस्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भांडुप पम्पिंग स्टेशन के नजदीक क्रीक क्षेत्र में फ्लेमिंगो बर्ड वाचिंग पार्क और पर्यटक स्थल विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
8. श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ कांकेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मैडम सिल्लि डैम से पानी छोड़े जाने के बारे में।
9. श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिला हेडक्वार्टर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
10. डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के गोड्डा और देवघर में एक सैनिक स्कूल की स्थापना किए जाने के बारे में।
11. श्री कनकमल कटारा द्वारा बांसवाड़ा (राजस्थान) में मानगढ़ बांध और उसकी पारंपरिक आदिवासी सांस्कृतिक धरोहर को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
12. श्री अब्दुल खालेक द्वारा असम में गाय की कथित तस्करी के बारे में।

*अपराहन 5.10 बजे से अपराहन 5.26 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

13. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर द्वारा स्थानीय निकाय के निर्वाचनों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किए जाने और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
14. श्री एंटो एन्टोनी द्वारा रबड़ अधिनियम, 1947 को निरसित किए जाने के बारे में।
15. श्री धनुष एम. कुमार द्वारा तमिलनाडु के तेनकासी में कुतरलम में पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।
16. श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा बच्चे को गोद लिए जाने संबंधी दिशा-निर्देशों की समीक्षा किए जाने के बारे में।
17. श्री विनायक राऊत द्वारा महाराष्ट्र में शहरी स्थानीय निकायों के लिए कार्यनिष्पादन अनुदान को जारी किए जाने के बारे में।
18. श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा अनुसूचित जनजातियों की सूची में बिहार की कतिपय पिछड़ी जातियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
19. श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा में खनन किए गए खनिजों के लिए रॉयल्टी की दर बढ़ाए जाने के बारे में।
20. कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आवारा पशुओं द्वारा कृषि को क्षति पहुंचाए जाने के बारे में।
21. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा चक्रवात आश्रय प्रस्तावों के अनुमोदन के बारे में।
22. श्री के. राम मोहन नायडू ने आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से संबंधित वित्तीय मुद्दों के बारे में।
23. श्री मारगनी भरत द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार का निवारण) अधिनियम की धारा 41(ग) को निरसित किए जाने के बारे में।

अपराहन 5.26 बजे

8. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

लिया गया समय: 15 घंटे 13 मिनट

श्री हरीश द्विवेदी द्वारा 2 फरवरी, 2022 को पेश किए गए और श्री कमलेश पासवान द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही:-

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :-

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यंत आभारी हैं। “

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रामचरण बोहरा
2. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
3. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
4. श्री जनार्दन सिंह सीधीवाल
5. श्री विनोद चावड़ा
6. श्री रवि किशन शुक्ला
7. श्री पी.सी. मोहन
8. श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
11. श्री राहुल कस्वां
12. श्री सी.पी. जोशी

श्री नरेन्द्र मोदी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखा गया और वे अस्वीकृत हुए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 7.08 बजे

9. केन्द्रीय बजट- 2022-2023

आबंटित समय: 12 घंटे

लिया गया समय: 1 घंटा 59 मिनट

शेष: 10 घंटे 1 मिनट

2022-2023 के लिए केन्द्रीय बजट पर सामान्य चर्चा आरंभ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. श्री दयानिधि मारन
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय

चर्चा पूरी नहीं हुई।

@रात्रि 9.27 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 8 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

@रात्रि 9.16 बजे से रात्रि 9.27 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 8 फरवरी, 2022/ 19 माघ, 1943 (शक)

संख्या 156

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 81 से 87 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 88 से 100 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 921 से 1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.01 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा बधाई

अध्यक्ष ने सभा की ओर से आईआईसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप जीतने पर भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम को बधाई दी।

अपराह्न 5.03 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सहकारिता मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह) की ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रह्लाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, तंजावुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से सभा पटल पर रखे:-

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एंड्रयू यूल् एण्ड कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) ब्रेथवेट बर्न एण्ड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैनुफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, उटकमंड का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 21 (4) के अंतर्गत वर्ष 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आणंद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल काउन्सिल, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस आवासन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारानन्दलाजे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एण्ड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) गुजरात राज्य बीज निगम लिमिटेड का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नारायणस्वामी) की ओर से वर्ष 2021-2022 के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच हुए

समझौता जापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) इंस्टिट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन, चंडीगढ़ के वर्ष 2018, 2019 और 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसाइटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसाइटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसाइटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसाइटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-21 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) क्षेत्रीय पुनर्वास और अनुसंधान केन्द्र, राउरकेला, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी (मेडोना स्पेशल स्कूल फॉर द डैफ), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इमैकुलेट हार्ट ऑफ मैरी सोसाइटी (मेडोना स्पेशल स्कूल फॉर द डैफ), विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) देवनार फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, सिकंदराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) (एक) नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गढ़वाल, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेत्रहीन आवासीय विद्यालय गढ़वाल, तेलंगाना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान, पुरी, ओडिशा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (10) (एक) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट फ्रांसिस स्कूल फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य संस्थान सोसाइटी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मनोवैज्ञानिक अनुसंधान और स्वास्थ्य संस्थान सोसाइटी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) मॉटफोर्ट सेन्टर फॉर एजुकेशन, दानाकग्रे, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मॉटफोर्ट सेन्टर फॉर एजुकेशन, दानाकग्रे, मेघालय के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैण्डिकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एण्ड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैण्डिकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा के वर्ष 2012-2013 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) उमा एजुकेशनल एण्ड टेक्निकल सोसायटी (उमा मनोविकास केन्द्रम), काकीनाडा के वर्ष 2012-2013 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (18) (एक) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विकलांग मंद बुद्धि कल्याण समिति, नैनीताल के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आत्मीय मानसिक विकास केन्द्रम, हैदराबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंटर फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, गुंटूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) आशानिलयम, पोनकुन्नम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) आशानिलयम, पोनकुन्नम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) सेंट एन्स मनोविकास केंद्र, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सेंट एन्स मनोविकास केंद्र, गुंटूर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लान्ड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लान्ड, दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड, वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वॉय्स एकेडमी), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) रीजनल ब्रेल प्रेस (रामकृष्ण मिशन ब्लाइंड ब्वॉय्स एकेडमी), कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) सोशल एंड हेल्थ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इम्फाल के वर्ष 2011-2012, 2013-2014 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (36) (एक) लेबिनशिल्फे, विशाखापतनम के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लेबिनशिल्फे, विशाखापतनम के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चाइल्ड गाइडेंस सेंटर, हैदराबाद के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) राष्ट्रीय सेवा समिति, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सेवा समिति, त्रिपुरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से संसद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सचिवालयों की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) की ओर से महिला और बाल विकास मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 - (दो) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) विद्युत अपीलीय अधिकरण अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें (संशोधन) नियम, 2017 [सा.का.नि. 2017 का 39(अ)] के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।
- (2) भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड संशोधन नियम, 2017 के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सोलहवां प्रतिवेदन।
- (3) कस्टम ब्रोकर्स लाइसेंसिंग रेग्यूलेशन्स, 2018 [सा.का.नि. सं. 2018 का 451(अ)] के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सत्रहवां प्रतिवेदन।
- (4) सी कार्गो मेनीफेस्ट एण्ड ट्रांसशिपमेंट रेग्यूलेशन्स, 2018 [सा.का.नि. सं. 2018 का 448(अ)] के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी अठारहवां प्रतिवेदन।

6. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री गोपालजी ठाकुर ने 'रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण सहित यात्री सुविधाओं' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में रेल संबंधी स्थायी समिति का दसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र कुमार ने 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के समालोचनात्मक मूल्यांकन' के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री विद्युत बरन महतो ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'वाहन क्षेत्र में मंदी - इसके प्रभाव और पुनरूद्धार के लिए उपाय' के बारे में समिति के 303वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 313वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'पीएसयू पर कोविड-19 का प्रभाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत पीएसयू द्वारा की गई पहलें' के बारे में समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 314वां प्रतिवेदन।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में विवरण सभा पटल पर रखा।
- (2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 27वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

अपराहन 5.07 बजे

10. समितियों के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 311 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के

रूप में कार्य करने के लिए अपने में से तीस सदस्य निर्वाचित करें।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 309 के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पन्द्रह सदस्य निर्वाचित करें।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(तीन) श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(चार) श्री सुशील कुमार सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से पंद्रह सदस्य निर्वाचित करें।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(पांच) श्री सुशील कुमार सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(छह) डा. किरिट पी. सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से, 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के

लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(सात) डा. किरिट पी. सोलंकी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाली और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित होने के लिए राज्य सभा से दस सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 5.15 बजे**

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में हर घर नल योजना के क्रियान्वयन के बारे में।
- (2) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा में अम्बाला के विकास के बारे में।
- (3) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा रेल सेवाओं को बहाल करने के बारे में।
- (4) श्री गणेश सिंह द्वारा वृद्धों और विधवाओं को पेंशन देने के लिए बीपीएल श्रेणी संबंधी शर्त को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राम कृपाल यादव द्वारा बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कृषि भूमि को सिंचित करने वाले सिंचाई चैनलों को बहाल किए जाने के बारे में।
- (6) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के शिवहर जिले में एक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा पंचायती राज संस्थाओं द्वारा गांवों में विकास कार्यों के सुगम और निर्बाध क्रियान्वयन के बारे में।

*अपराहन 5.12 बजे से अपराहन 5.14 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (8) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में धान और गेहूं के भंडारण हेतु भाण्डागार सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राशन के वितरण में कथित अनियमितताओं के बारे में।
- (10) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल परियोजनाओं की प्रगति के बारे में।
- (11) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर में कोच फैक्ट्री का संचालन आरम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नन्दुरबार जिले में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (13) श्री सुरेश कुमार कश्यप द्वारा हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के बारे में।
- (14) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर रेल सम्पर्क सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री के. मुरलीधरन द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अंतर्गत संचालित मिलों को पुनः चालू किए जाने के बारे में।
- (16) श्रीमती राम्या हरिदास द्वारा उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा को बीच में छोड़ने के बारे में।
- (17) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के आवेदकों को आयु सीमा में और परीक्षा देने के अवसरों की संख्या में छूट दिए जाने के बारे में।
- (18) प्रो. सौगत राय द्वारा एलआईसी के निजीकरण के बारे में।
- (19) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा महाराष्ट्र में पबना और उल्हास नदियों के पुनरुज्जीवन के प्रस्ताव के अनुमोदन के बारे में।
- (20) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज जिले में थावे रेलवे जंक्शन पर यात्री सुविधाओं के विकास के बारे में।
- (21) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी पर पुलों के निर्माण के बारे में।
- (22) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम पत्तन पर आप्रावसन एवं पादप संगरोधन सुविधाओं की कमी के बारे में।
- (23) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा लौह एवं इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी एक कम्पनी द्वारा कथित रूप से पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन किए जाने के बारे में।
- (24) श्री विष्णु दत्त शर्मा द्वारा दुर्लभ जैनेटिक बीमारियों की औषधियों पर आयात शुल्क को माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (25) श्री एस. वेंकटेशन द्वारा महिला बैंक कर्मियों हेतु शौचालय सुविधाओं के बारे में।

अपराहन 5.17 बजे

12. केन्द्रीय बजट - 2022-2023

आबंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 6 घंटे 58 मिनट
शेष: 5 घंटे 02 मिनट

2022-2023 के लिए केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री धैर्यशील एस. माणे
2. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
- 3* श्रीमती अपरूपा पोद्दार
- 4* श्री वी.के. श्रीकंदन
- 5* श्री एस.आर. पार्थिबन
- 6* श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
- 7* श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
- 8* श्री पी.आर. नटराजन
9. श्री दिनेश चन्द्र यादव
10. श्री भर्तृहरि महताब
- 11* श्री विष्णु दयाल राम
12. श्री राम शिरोमणि वर्मा
13. डॉ. रणजीत गदम रेड्डी
14. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
- 15* श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
- 16* श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा
- 17* श्री भीमराव बसवंतराव पाटील
18. डॉ. के. जयकुमार

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

19. श्री जयंत सिन्हा
- 20* डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
21. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
22. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
- 23* डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
24. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
25. श्री के. मुरलीधरन
26. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
- 27* श्रीमती रीती पाठक
28. श्री सुशील कुमार सिंह
29. श्री कल्याण बनर्जी
30. श्री अरविंद गणपत सावंत
31. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
- 32* श्री गणेश सिंह
33. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
34. श्री श्याम सिंह यादव
35. श्री डी.के. सुरेश
36. श्रीमती नवनित रवि राणा
37. श्री थोमस चाज़िकाडन
38. श्री पी. रविन्द्रनाथ
- 39* श्री जगदम्बिका पाल
40. कुंवर दानिश अली
- 41* श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा
42. श्री एंटो एन्टोनी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 10.16 बजे

(लोक सभा बुधवार, 9 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 9 फरवरी, 2022/ 20 माघ, 1943 (शक)

संख्या 157

अपराह्न 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 101 (109 के साथ युग्मित) और 102 से 108 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 110 से 120 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1151 से 1295 और 1297 से 1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 5.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2022-2023 के रक्षा सेवा प्राक्कलन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) आयुष मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विधि और न्याय मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) योजना मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (3) योजना मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कर्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) अंतरिक्ष विभाग की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

- (3) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (4) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (5) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (2) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का 71वां वार्षिक प्रतिवेदन।
- (दो) प्रतिवेदन के अध्याय 9 में उल्लिखित मामलों के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की सलाह स्वीकार नहीं किए जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन।
- (3) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड (पूर्ववर्ती इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (ग) (एक) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जादूगुड़ा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (9) (एक) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) (एक) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) होमी भाभा राष्ट्रीय संस्थान, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षण संस्था, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) (एक) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 61 के अंतर्गत लोकपाल (कोर्ट मास्टर) भर्ती नियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 913(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 - (दो) एमओआईएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
 - (तीन) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 105 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) उपभोक्ता संरक्षण (प्रत्यक्ष विक्रय) नियम, 2021 जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 889(अ) में प्रकाशित हुए थे
 - (दो) उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता) नियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 912(अ) में प्रकाशित हुए थे
- (2) (एक) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय मानक ब्यूरो, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम (स्टाफ) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-9(1)2019 में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम (स्टाफ) (छठा संशोधन) विनियम, 2021 जो 15 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय खाद्य निगम अधिनियम (स्टाफ) (सातवां संशोधन) विनियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-39(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (दो) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (तीन) उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से सभा पटल पर रखे:-

(1) पन्द्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पन्द्रहवीं लोक सभा

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 1 | विवरण सं. 36 | पांचवां सत्र, 2010 |
| 2 | विवरण सं. 39 | आठवां सत्र, 2011 |
| 3 | विवरण सं. 34 | दसवां सत्र, 2012 |
| 4 | विवरण सं. 27 | पन्द्रहवां सत्र, 2014 |

सोलहवीं लोक सभा

| | | |
|----|--------------|-----------------------|
| 5 | विवरण सं. 27 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 6 | विवरण सं. 27 | तीसरा सत्र, 2014 |
| 7 | विवरण सं. 26 | चौथा सत्र, 2015 |
| 8 | विवरण सं. 24 | पांचवां सत्र, 2015 |
| 9 | विवरण सं. 23 | छठा सत्र, 2015 |
| 10 | विवरण सं. 20 | सातवां सत्र, 2016 |
| 11 | विवरण सं. 22 | आठवां सत्र, 2016 |
| 12 | विवरण सं. 21 | नौवां सत्र, 2019 |
| 13 | विवरण सं. 17 | दसवां सत्र, 2016 |
| 14 | विवरण सं. 19 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 15 | विवरण सं. 18 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 16 | विवरण सं. 14 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 17 | विवरण सं. 15 | पन्द्रहवां सत्र, 2018 |
| 18 | विवरण सं. 12 | सोलहवां सत्र, 2018 |
| 19 | विवरण सं. 12 | सत्रहवां सत्र, 2019 |

सत्रहवीं लोक सभा

| | | |
|----|--------------|-----------------|
| 20 | विवरण सं. 11 | पहला सत्र, 2019 |
|----|--------------|-----------------|

| | | |
|----|-------------|--------------------|
| 21 | विवरण सं. 8 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 22 | विवरण सं. 7 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 23 | विवरण सं. 7 | चौथा सत्र, 2020 |
| 24 | विवरण सं. 6 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 25 | विवरण सं. 5 | छठा सत्र, 2021 |

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) विद्युत मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) खान मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) रेल विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, खम्माम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (क) और (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) अंतर्राष्ट्रीय भू-विज्ञानीय कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) अंतर्राष्ट्रीय भू-विज्ञानीय कांग्रेस, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) केमिकल्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट काउन्सिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) केमिकल्स एण्ड अलाइड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट काउन्सिल (केपेक्सिल), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) निम्नलिखित एसईजेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन:-
- (एक) फाल्टा स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (दो) विशाखापत्तनम स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (तीन) कोचीन स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (चार) कांडला स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (पांच) एसईईपीजेड अथॉरिटी स्पेशल इकॉनामिक जोन अथॉरिटी
- (10) एसईजेड के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समेकित समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 5319(अ) जो 20 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2017, अनुसूची-1 (आयात नीति) के अध्याय 15 के एचएस कोड 151190 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (दो) का.आ. 67(अ) जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2017 के अध्याय 71 की अनुसूची-1 (आयात नीति) के अंतर्गत सोने की आयात नीति शर्तों में संशोधन के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 4898(अ) जो 29 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अगर तेल और अगरवुड चिप्स और कृत्रिम रूप से प्रसारित स्रोत से प्राप्त पाउडर की निर्यात नीति में संशोधन और नीति शर्तों को अंतःस्थापित करने के बारे में है।
- (चार) का.आ. 4899(अ) जो 29 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरकों की निर्यात नीति - विनिर्माताओं/एनपी की यूनिटों/एनपीके उर्वरकों की सूची को अद्यतन करने के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 93(अ) जो 10 जनवरी, 2022, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो इनोक्सापरिन (फार्मूलेशन और एपीआई) तथा इंद्रा-वेनस इम्यूनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फार्मूलेशन और एपीआई) की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
- (12) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का. आ. 5294 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 30 की उप-धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 86(अ) जो 7 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

(दो) का.आ. 87(अ) जो 7 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा यथा-निर्धारित शास्तियां प्रभारित करके नीलामी प्लेटफॉर्मों पर अतिरिक्त अप्राधिकृत तम्बाकू खरीदने के लिए तम्बाकू व्यापारियों/डीलरों को अनुमति देने के लिए तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है तथा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य में तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 10(1) के उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल बनाया गया है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिंथेटिक और रेयॉन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विद्युतकरघा विकास और निर्यात संवर्द्धन परिषद, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार

द्वारा समीक्षा।

- (दो) राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अंतर्गत बायलर (संशोधन) नियम, 2021 जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 890 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 18 की उप-धारा (8) के अंतर्गत गैस सिलेंडर (संशोधन) नियम, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 44 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) गृह मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (खंड-I)।
- (2) गृह मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (संघ राज्यक्षेत्र) (खंड-II)।
- (3) गृह मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) डाक विभाग की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) डाक विभाग की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वित्त मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

4. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 23.03.2021, 04.08.2021 और 20.12.2021 को हुई क्रमशः चौथी, पांचवी और छठी बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

5. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ ने 'प्रदर्शन और ललित कला शिक्षा में सुधार' विषय के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 335वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 5.40 बजे

6. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री जनार्दन मिश्र द्वारा भोपाल और प्रयागराज के बीच वाया रीवा होकर हवाई सेवा प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा अहमदनगर और पुणे के बीच इंटरसिटी ट्रेन प्रारम्भ किए जाने के बारे में।
- (3) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा महाराष्ट्र में कृष्ण-भीमा स्थिरीकरण परियोजना हेतु धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री कुनार हेम्ब्रम द्वारा जंगलमहल क्षेत्र में हाथी रिजर्व के विकास के बारे में।
- (5) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखंड के गुमला जिले में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (6) श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा राजस्थान के झुनझुनु जिले में सेना में भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

*अपराहन 5.05 बजे से अपराहन 5.39 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

- (7) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 को और अधिक कठोर बनाने के उद्देश्य से इसमें दण्डात्मक प्रावधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री गोपाल चिन्नेय्या शेट्टी द्वारा नियमों/योजनाओं के संबंध में सूचना के प्रसारण के बारे में।
- (9) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक आउटडोर और एक इनडोर स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा बुंदेलखंड को एक नैचुरल फार्म क्षेत्र घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा गुजरात में राजपिपला और केवड़िया के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के विशेष रूप से सिवनी और बालाघाट जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलिकॉम आपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री (एडवोकेट) अदूर प्रकाश द्वारा केरल के अटिंगल में एनएच-66 पर एक नए बाइपास के निर्माण के बारे में।
- (14) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा लघु और सीमांत किसानों के संरक्षण के लिए से उपाय किए जाने के बारे में।
- (15) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा आन्ध्र प्रदेश के पायाकराओपेटा में बांस का क्लस्टर निर्मित किए जाने के बारे में।
- (16) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल में भागीरथी नदी द्वारा होने वाली क्षति के बारे में।
- (17) श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा प्रधान मंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एम्प्लॉय (पीएम मित्र) पार्क स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र के हातकणंगले संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के इचलकरंजी में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने के बारे में।
- (18) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी द्वारा शैक्षिक संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाए जाने के बारे में।
- (19) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा देश में ईसाई अल्पसंख्यकों की स्थिति के अध्ययन हेतु एक समिति गठित किए जाने के बारे में।
- (20) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा मावेलीक्करा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुछ डाकघरों के संबंध में अवसंरचना संबंधी मुद्दों के बारे में।
- (21) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा बिहार के जहानाबाद शहर में दरधा रिवर फ्रंट का विकास किए जाने के बारे में।
- (22) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा सियालदह डायमंड हार्बर लाइन, श्यामपुर में एक अंडर पास अथवा लेवल ब्रिज का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (23) श्री राजू बिष्ट द्वारा डीडी नेपाली/गोरखा भाषा चैनल स्थापित किए जाने के बारे में।
- (24) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली में लोगों की बिजली से जुड़ी समस्याओं के समाधान के बारे में।

- (25) श्री कुरुवा गोरान्तला माधव द्वारा रायलसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पर्यावरण संबंधी मंजूरी दिए जाने के बारे में।
- (26) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा भगवान बुद्ध के 'अस्थि कल्श' को दिल्ली स्थित भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय से उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय, कपिलवस्तु में स्थानान्तरित करने और कपिलवस्तु में बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक ध्यान केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 5.41 बजे

7. केन्द्रीय बजट - 2022-2023

आबंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 12 घंटे 21 मिनट

2022-2023 के लिए केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
- 2* श्री जनार्दन सिंह सीग्गीवाल
- 3* सुश्री दिया कुमारी
- 4* श्रीमती जसकौर मीना
- 5* श्री देवजी मनसिंगराम पटेल
- 6* श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया
- 7* श्री सी. एन. अन्नादुरई
- 8* श्री जनार्दन मिश्र
- 9* श्री सुदर्शन भगत
- 10* श्री ए. गणेशमूर्ति
- 11* श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
- 12* श्रीमती सुमलता अम्बरीश
- 13* श्री नलीन कुमार कटील

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 14* कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
 15. श्री दिलीप घोष
 16* श्री एस. मुनिस्वामी
 17. श्री दुरई मुरुगन कथीर आनन्द
 18* श्री संजय सेठ
 19. डॉ. एम. के. राघवन
 20. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
 21* डॉ. गौतम सिगामणि पोन
 22. श्री एन. रेड्डप्प
 23* श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेल
 24* श्री रतनसिंह मगनसिंह राठोड़
 25* श्री धनुष एम. कुमार
 26* श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
 27. श्री महाबली सिंह
 28. श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्या
 29. श्री मुनियन सेल्वराज
 30* श्री सुरेश कुमार कश्यप
 31* श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
 32. श्रीमती सुप्रिया सुले
 33. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
 34. श्री रमेश बिधूड़ी
 35. श्री हनुमान बेनीवाल
 36* श्री गोपाल चिन्नैय्या शेटी
 37. श्री विजय कुमार हांसदाक
 38. प्रो. सौगत राय
 39. डॉ. संजय जायसवाल
 40* श्री बिद्युत बरन महतो
 41. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
 42. श्री रितेश पाण्डेय
 43. श्री बैन्नी बेहनन
 44. श्री पी.पी. चौधरी
 45* श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे
 46* श्रीमती रमा देवी

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

47. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
- 48* श्री राकेश सिंह
49. श्री चन्देश्वर प्रसाद
- 50* श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
51. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
52. श्री कनी के. नवस
- 53* डॉ. आलोक कुमार सुमन
54. डॉ. ढालसिंह बिसेन
55. श्री राहुल रमेश शेवाले
56. डॉ. मोहम्मद जावेद
57. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
58. डॉ राजदीप राय
59. एडवोकेट अदूर प्रकाश
60. श्री कनकमल कटारा
61. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
62. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
63. श्री बालूभाऊ नारायण उर्फ सुरेश धानोरकर
64. श्री राहुल कस्वां
65. सुश्री राम्या हरिदास
66. श्री शंकर लालवानी
67. श्री मलूक नागर
68. श्री डी.एन.वी सेंथिलकुमार एस.
69. श्री दीपक बैज

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 11.04 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 10 फरवरी, 2022/ 21 माघ, 1943 (शक)

संख्या 158

अपराहन 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 121, 122, 124 से 130, 132, 133 और 138 से 140 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 123, 131 और 134 से 137 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1381 से 1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 5.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) पशु पालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।
- (3) मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14(क) के अंतर्गत ड्रोन नियम, 2021 जो 25 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 589(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय राजमार्ग- अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का. आ. 5297 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किमी. 15.500 से किमी. 86.000 (डिजाइन चैनेज किमी. 14.972 से डिजाइन चैनेज किमी. 86.361 तक) मुकरबा चौक से पानीपत खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (दो) का. आ. 5299 (अ) जो 17 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 9 (पुराना एनएच-24) पर निजामुद्दीन पुल पर 0.000 किमी. से आरंभ और ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट सहित राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 334 (पुराना एनएच-58) पर समाप्त डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 59.777 तक की दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तीन) का. आ. 5415 (अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 की डिजाइन किमी. 0.00 से किमी. 44.50 (वर्तमान किमी. 11.78 से किमी. 56.90) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के रेवाड़ी बाईपास से डिजाइन किमी. 0.00 से किमी. 14.40 (वर्तमान किमी. 0.00 से किमी. 14.40) तक रेवाड़ी से नारनौल खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का. आ. 5416 (अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 49 (पुराना एनएच 6) के डिजाइन किमी. 199.200 से किमी. 310.806 (वर्तमान किमी. 199.200 से किमी. 311.000) तक बहरागोड़ा से सिंधारा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का. आ. 5417 (अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 751 के किमी. 136.000 से किमी. 169.308 तक पिपंली- भावनगर खंड के तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 25.810 किमी. (2.581 किमी. की लंबाई वाले) की संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाले) समकक्ष के चार या अधिक खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का. आ. 5418 (अ) जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच 75/76 (नया एनएच-39) के डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 76.603 तक झांसी-खजुराहो खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का. आ. 5445 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच 66 (पुराना एनएच-17) के किमी. 323.700 से किमी. 395.00 तक वातुल से जनवाली खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (आठ) का. आ. 5446 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 56 (नया एनएच-731) के डिजाइन किमी. 134.700 से किमी. 209.230 तक सुल्तानपुर-वाराणसी खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का. आ. 5447 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 42 के डिजाइन किमी. 244.930 से किमी. 299.775 (वर्तमान किमी. 244.930 से किमी. 299.775) तक मदनपल्ली से पुंगनुरु से पलामानेरु खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (दस) का. आ. 6(अ) जो 3 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच- 214क (नया एनएच-216) के डिजाइन किमी. 32.900 से किमी. 82.300 (वर्तमान किमी. 34.230 से किमी. 84.550) तक लोसारी से माचावरम की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का. आ. 7(अ) जो 3 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 752ख के डिजाइन किमी. 3.150 से किमी. 42.510 तक बियोरा से मकसूदनगढ़ खंड और डिजाइन किमी. 42.510 से किमी. 92.640 तक मकसूदनगढ़ से सिरोंज खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का. आ. 143(अ) जो 11 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161 के डिजाइन किमी. 86.788 से किमी. 135.751 (वर्तमान किमी. 91.350 से किमी. 140.873) तक मंगलौर से तेलंगाना-महाराष्ट्र खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का. आ. 144(अ) जो 11 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 161 के डिजाइन किमी. 39.980 से किमी. 86.788 (वर्तमान किमी. 44.757 से किमी. 91.350) तक रमसनपल्ली से मंगलूर खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का. आ. 170(अ) जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग 52 (राष्ट्रीय राजमार्ग 12) के डिजाइन किमी. 9.860 से किमी. 58.740 (वर्तमान किमी. 299.000 से किमी. 346.540) तक दाराह-झालावाड़-तीनधार खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

- (पंद्रह) का. आ. 191(अ) जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 (नया एनएच 19) के डिजाइन किमी. 320.810 से किमी. 401.332 (वर्तमान किमी. 320.810 से किमी. 400.132) तक गौरहर से बरवाड़ा खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सोलह) का. आ. 360(अ) जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 12 (नया एनएच-45) के डिजाइन किमी. 66.000 से किमी. 130.424 (वर्तमान किमी. 66.000 से किमी. 130.000) तक हिरन नदी से सिंदूर नदी खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (सत्रह) का. आ. 361 (अ) जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 709ई (वर्तमान किमी. 99.00 से किमी. 114.450) की डिजाइन किमी. 99.000 से किमी. 114.375 और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 148ख के भिवानी बाईपास से डिजाइन किमी. 125.920 से किमी. 135.141 (वर्तमान किमी. 114.450 (एनएच-709ई) से किमी. 100.000 (एनएच-148ख)) तक रायमलिकपुर (राजस्थान/हरियाणा सीमा)-नारनौल-महेन्द्रगढ़-चरखी दादरी-भिवानी-खड़क) खंड की परियोजना के लिए उपयोगकर्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।
- (अठारह) का. आ. 2721 (अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का. आ. 2722 (अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में एनएच को एनएचआईडीसीएल को सौंपने के बारे में है।
- (बीस) का. आ. 2723 (अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 फरवरी, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 496(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इक्कीस) का. आ. 2724 (अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अगस्त, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 4026(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का. आ. 2725 (अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (तेईस) का. आ. 2738 (अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में एनएच 139डब्ल्यू की घोषणा के बारे में है।
- (चौबीस) का. आ. 2739 (अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का. आ. 2740 (अ) जो 8 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सिक्किम राज्य में एनएच को सौंपने के बारे में है।
- (छब्बीस) का. आ. 2895 (अ) जो 20 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्ताईस) का. आ. 2945 (अ) जो 27 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अट्ठाईस) का. आ. 2979 (अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में एनएच 227ख की घोषणा के बारे में है।
- (उनतीस) का. आ. 2980 (अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएच 543क की घोषणा के बारे में है।
- (तीस) का. आ. 2981 (अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में एनएच को सौंपने के बारे में है।
- (इकतीस) का. आ. 2982 (अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बत्तीस) का. आ. 3080 (अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएच 344जी और 344बीजी की घोषणा के बारे में है।
- (तैंतीस) का. आ. 3081 (अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएच 202के की घोषणा के बारे में है।

- (चौतीस) का. आ. 3082 (अ) जो 30 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतीस) का. आ. 3227 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 1034(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छत्तीस) का. आ. 3228 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपने के बारे में है।
- (सैंतीस) का. आ. 3229 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तीस) का. आ. 3230 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचालीस) का. आ. 3231 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मिजोरम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 के दुलते से चम्फई खंड के विकास के संबंध में कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को निदेशित किया गया है।
- (चालीस) का. आ. 3232 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (इकतालीस) का. आ. 3234 (अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बयालीस) का. आ. 3381 (अ) जो 18 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राजमार्ग सं. 168जी को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।

- (तैंतालीस) का. आ. 3622 (अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 716जी को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।
- (चवालीस) का. आ. 3623 (अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पैंतालीस) का. आ. 3624 (अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छियालीस) का. आ. 3625 (अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 12 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2365(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सैंतालीस) का. आ. 3626 (अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 मई, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 1457(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (अड़तालीस) का. आ. 3984 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उनचास) का. आ. 3985 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचास) का. आ. 3986 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 163जी को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।
- (इक्यावन) का. आ. 3987 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में राजमार्ग सं. 137जी को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।

- (बावन) का. आ. 3988 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 216ई को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।
- (तिरपन) का. आ. 3989 (अ) जो 27 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. 216एच को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के बारे में है।
- (चौवन) का. आ. 4201 (अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पचपन) का. आ. 4203 (अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (छप्पन) का.आ.4204(अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं।
- (सत्तावन) का.आ.4439(अ) जो 25 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं।
- (अठ्ठावन) का.आ.4561(अ) जो 1 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं.का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं।
- (उनसठ) का.आ.4623(अ) जो 9 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं ।
- (साठ) का.आ.4625(अ) जो 9 नवंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में हैं।
- (4) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 2720(अ) जो 7 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में नये घोषित राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपे जाने के बारे में है।
- (दो) का.आ. 3225(अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नये राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 320(ख) के उसमें उल्लिखित हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 3233(अ) जो 11 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 69 के रातापानी खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (चार) का.आ. 4200(अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 516क के उसमें उल्लिखित हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 4202(अ) जो 11 अक्टूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो दिनांक 24 मई 2014 की अधिसूचना सं. का.आ.1395(अ) में कतिपय संशोधन किए जाने के बारे में है।
- (छह) का.आ. 4622(अ) जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 52 के उसमें उल्लिखित हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (सात) का.आ. 4624(अ) जो 9 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 169 के उसमें उल्लिखित हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपे जाने के बारे में है।
- (5) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से कोयला मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण आवास संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) बेंगलोर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, बेंगलुरु का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ख) (एक) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ग) (एक) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) नोएडा मेट्रो रेल लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (घ) (एक) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
 - (ङ.) (एक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) की मद सं. (ख) और (ङ.) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केंद्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरें प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 3 से 8 सितम्बर, 2021 तक लेह और श्रीनगर का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।
(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 16वीं लोक सभा के दौरान किए गए अध्ययन दौरों का सार संबंधी अध्ययन दौरा प्रतिवेदन।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने 'पुलिस-प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और सुधार' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 237वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 5.04 बजे

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखे:-

- (1) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों 2021-22 के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 9वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

*अपराहन 5.05 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा बोलनगीर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत मुख्यालय में इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में।
- (2) डॉ.(प्रो.) किरिट पी. सोलंकी द्वारा ऑनलाइन गेम्स के विनियमन के बारे में।
- (3) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा पश्चिमी राजस्थान में रेल संपर्क के बारे में।
- (4) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा साई केन्द्र, भिवानी, हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार में पहलेजा पुल से गुजरने वाली रेल लाइन के दोहरीकरण की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज जिला उत्तरप्रदेश में ऐतिहासिक किला को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण को सौंपे जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ. संजय जायसवाल ने नीट पीजी की कट ऑफ शर्तों में रियायत दिए जाने के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा।
- (8) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा त्रिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पट्टी के विस्तार के लिए रक्षा विभाग की भूमि के हस्तांतरण के बारे में।
- (9) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा कृषि क्षेत्र को सहायता प्रदान करने की सरकारी नीति के बारे में।
- (10) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा कृषि फसलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बारे में।
- (11) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा टिंडीवनम-तिरुवननामलाई नई बड़ी रेल लाइन परियोजना को पूरा किए जाने के बारे में।
- (12) श्री रघु राम कृष्ण राजू द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति के बारे में।
- (13) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा पट्टेदार किसानों एवं कटाई करने वालों के साथ-साथ भूस्वामी किसानों को सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (14) श्री मलूक नागर द्वारा जम्मू एवं कश्मीर में गुज्जर/गुज्जर बकरवाल जनजाति के लोगों को उनकी प्राकृतिक निवास स्थानों से विस्थापित किए जाने के बारे में।
- (15) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा कर्नाटक में एक टैक्सटाईल पार्क की स्वीकृति के बारे में।

अपराह्न 5.06 बजे

8. केन्द्रीय बजट - 2022-2023

लिया गया समय: 15 घंटे 35 मिनट

2022-2023 के लिए केन्द्रीय बजट पर आगे सामान्य चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. सुश्री सुनीता दुग्गल
2. चौधरी महबूब अली कैसर
3. श्री राजीव प्रताप रूडी
- 4* श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
- 5* श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
- 6* डॉ. सुजय विखे पाटील
- 7* डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
- 8* श्री टी.एन. प्रथापन
- 9* श्री उदय प्रताप सिंह
10. श्री अधीर रंजन चौधरी,
- 11* एडवोकेट डीन कुरियाकोस
- 12* श्री सुनील कुमार सिंह
- 13* श्री संजय कुमार बंदी
- 14* डॉ. भारतीबेन धीरुभाई श्याल
15. श्री देवेन्द्रप्पा वाई.
- 16* श्री मितेष रमेशभाई पटेल
- 17* श्री अर्जुन लाल मीणा
18. श्री रतन लाल कटारिया
19. श्री मनोज कुमार तिवारी
20. श्री रामचरण बोहरा
21. श्री संतोष कुमार
- 22* श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
23. श्री राजू बिष्ट
- 24* श्री निहाल चन्द चौहान
- 25* श्री कुलदीप राय शर्मा

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- 26* श्रीमती अगाथा के. संगमा
27* श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटील
28* श्री चन्द्र प्रकाश जोशी

#श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

@रात्रि 10.05 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 के अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

#वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

@रात्रि 8.21 बजे से रात्रि 10.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022/ 22 माघ, 1943 (शक)

संख्या 159

अपराहन 4.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 141 से 148 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 149 से 160 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1611 से 1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. *अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने कैंसर मरीजों के इलाज के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के विवेकाधिकार के बारे में टिप्पणी की।

*अपराहन 4.47 बजे की गई। मूल हिंदी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 5.04 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
(दो) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगन सिंह कुलस्ते) की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत-परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा

समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 38(अ) जो 5 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील तीन वर्षों की अवधि के लिए पुदुचेरी तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण को गठित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा; संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ललित कला अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय संस्कृति निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांसशिपमेंट (नौवा संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 930(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) सा.का.नि. 76(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) की प्रभावी दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) सा.का.नि. 77(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 2 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि कतिपय वस्तुओं को सामाजिक कल्याण अधिभार (एसडब्ल्यूएस) से छूट दी जा सके और कतिपय वस्त्र मदों पर प्रदत्त एसडब्ल्यूएस छूट को वापस लिया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) सा.का.नि. 78(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सामान्यतया ट्रांसफॉर्मर तेल बेस स्टॉक या ट्रांसफॉर्मर तेल फीड स्टॉक के रूप में जाना जाने वाला कच्चे माल पर उदग्राह्य सीमा शुल्क की ऐसी मात्रा के समकक्ष ट्रांसफॉर्मर तेल के आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क को विहित करने वाली 22 सितम्बर, 1978 की दोनों अधिसूचनाओं सं. 190/1978-सीमाशुल्क और 191/1978-सीमाशुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (पांच) सा.का.नि. 79(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना सं. 10/95-सीमाशुल्क, 26/99-सीमाशुल्क, 27/2004-सीमाशुल्क, 14/2006-सीमाशुल्क, 48/2006-सीमाशुल्क, 90/2007-सीमाशुल्क, 8/2011-सीमाशुल्क, 24/2011-सीमाशुल्क, 49/2013-सीमाशुल्क, 23/2014-सीमाशुल्क, 37/2015-सीमाशुल्क, 11/2016-सीमाशुल्क, 20/2020-सीमाशुल्क, 40/2020-सीमाशुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि. 80(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 52/2017-सीमाशुल्क और 30.06.2017 की अधिसूचना सं. 37/2017-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि सीमा शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची से प्रचालित की जा रही प्रविष्टियों और कतिपय अनावश्यक प्रविष्टियों को हटाया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (सात) सा.का.नि. 81(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27.10.2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि 30.04.2022 तक कतिपय वस्त्र मदों पर प्रभावी दर विहित की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (आठ) सा.का.नि. 82(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 104/2010-सीमाशुल्क, 38/96-सीमाशुल्क, 40/2017-सीमाशुल्क, 60/2011-सीमाशुल्क, 148/94-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि उक्त अधिसूचनाओं के अंतर्गत आयातित वस्तुओं पर एआईडीसी/स्वास्थ्य उपकर/आरआईसी की छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (नौ) सा.का.नि. 83(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 146/94-सीमाशुल्क, 147/94-सीमाशुल्क, 39/96-सीमाशुल्क, 50/96-सीमाशुल्क, 30/2004-सीमाशुल्क, 81/2005-सीमाशुल्क, 5/2017-सीमाशुल्क, 16/2017-सीमाशुल्क, 32/2017-सीमाशुल्क को और संशोधित करना है ताकि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 (4क) के अनुसार समापन- तिथियों को विहित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दस) सा.का.नि. 84(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.03.2011 की अधिसूचना सं. 27/2011-सीमाशुल्क को संशोधित करना है ताकि अनावश्यक प्रविष्टियों का लोप किया जा सके और भैंस के कच्चे चर्म और खाल पर निर्यात शुल्क कम किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (ग्यारह) सा.का.नि. 85(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पहनने योग्य उपकरणों और उनके भागों, उप-भागों और सब-असेम्बली के लिए ग्रेडेड बीसीडी संरचना कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (बारह) सा.का.नि. 86(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय श्रवण योग्य उपकरणों और उनके भागों, उप-भागों और सब-असेम्बली के लिए ग्रेडेड बीसीडी संरचना कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (तेरह) सा.का.नि. 87(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय स्मार्ट मीटरों और उनके भागों, उप-भागों और सब-असेम्बली के लिए ग्रेडेड बीसीडी संरचना कार्यान्वित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चौदह) सा.का.नि. 88(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 28.02.1999 की अधिसूचना सं. 25/1999-सीमाशुल्क को संशोधित करना है ताकि अनावश्यक और पुरानी प्रविष्टियों का लोप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पंद्रह) सा.का.नि. 89(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय इलेक्ट्रॉनिक मर्दों और चिकित्सा उपकरणों को छूट प्रदान करने वाली विभिन्न अधिसूचनाओं को संशोधित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 90(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-के.उ.शु. को और संशोधित करना है ताकि देश में मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए अमिश्रित पेट्रोल और डीजल पर आधारभूत उत्पाद शुल्क को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि. 91(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24.12.2008 की अधिसूचना सं. 49/2008-के.उ.शु.(एन.टी.) का अधिक्रमण करना है ताकि इसे जीएसटी लागू होने के पश्चात् वर्तमान विधिक स्थिति के अनुरूप किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (3) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.92(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 07.09.2017 की अधिसूचना सं. 1/2017-सीमाशुल्क(सीवीडी) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "कतिपय हॉट रोलड और कोल्ड रोलड स्टेनलेस स्टील प्लेट उत्पादों" के आयात पर आरोपित प्रतिकारी शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.43(अ) जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 वर्षों की अवधि के लिए 29 नवम्बर, 2016 की अधिसूचना सं. 54/2016-सीमाशुल्क(एडीडी) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलर के लिए एकसल' पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क की अंतिम समीक्षा के बारे में व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'ट्रेलर के लिए एकसल' पर प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (तीन) सा.का.नि.93(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 18.10.2018 की अधिसूचना सं. 54/2018-सीमाशुल्क(एडीडी) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "एलॉए स्टील की सीधी लम्बाई बार और रोड" के आयात पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि.94(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 25.09.2019 की अधिसूचना सं. 38/2019-सीमाशुल्क(एडीडी) द्वारा ब्राजील, चीन जनवादी गणराज्य और जर्मनी से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "गैर कोबाल्ट श्रेणी का हाई स्पीड स्टील" के आयात पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (पांच) सा.का.नि.95(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 23.06.2020 की अधिसूचना सं. 16/2020-सीमाशुल्क(एडीडी) द्वारा चीन जनवादी गणराज्य, वितयनाम और कोरिया आरपी से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित 'एल्युमिनियम या जिंक के अयस्क की परत या लेपित, 'स्टील के फ्लैट रोल्ड उत्पाद" के आयात पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क को निरस्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (छह) सा.का.नि.96(अ) जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियम, 2017 को और संशोधित करना है ताकि प्रक्रियाओं को सरलीकृत और स्वचालित किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) आयकर (33वां संशोधन) नियम, 2021 जो 10 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.851(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) आयकर (34वां संशोधन) नियम, 2021 जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.883(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) आयकर (35वां संशोधन) नियम, 2021 जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.903(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ईसीजीसी लिमिटेड (एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड), मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) नेशनल एक्सपोर्ट इंश्यूरेंस एकाउंट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 से 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (दो) नेशनल एक्सपोर्ट इंश्यूरेंस एकाउंट ट्रस्ट, मुम्बई के वर्ष 2006-2007 से 2019-2020 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) की ओर से कीटनाशक कीट और नाशक जीव अधिनियम, 1914 की धारा 4 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (आठवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 9 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5103(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) पादप संघरोध (भारत में आयात का विनियमन) (दसवां संशोधन) आदेश, 2021 जो 10 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5134(अ) में प्रकाशित हुआ था।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 9 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (संशोधन) नियम, 2022 जो 19 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 29(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम निधि नियम, 2016 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1032(अ) में प्रकाशित हुआ था।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) की ओर से वस्त्र मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की विस्तृत मांगें (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 97 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) अधिसूचना संख्या एफ.एन. एन-12/13/1/2019-पीएण्डडी जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को संशोधित किया गया है।

(दो) अधिसूचना संख्या एफ.एन. एन-12/13/1/2019-पीएण्डडी जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को संशोधित किया गया है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुरी के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कुमारकृष्णा फ्रंटियर होटल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (घ) (एक) पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पुडुचेरी के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
- (ङ) (एक) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पटना के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
- (च) (एक) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 3 फ़रवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ) में प्रकाशित हुए थे
- (दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 12 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 3249(अ) में प्रकाशित हुए थे

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा शिक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) ईडीसीआईएल (इंडिया) लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल के वर्ष 2019-2020के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय नर्स परिषद अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत इंडियन नर्सिंग काउन्सिल (ऑर्थोपेडिक और रिहैबिलिटेशन स्पेशियलिटी नर्सिंग रेजिडेंसी प्रोग्राम) विनियम, 2020 जो 18 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसिन, पासीघाट के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, जामनगर के वर्ष 2020-2021के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे के वर्ष 2020-2021के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद, चेन्नई के वर्ष 2020-2021के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय

बाल अधिकार संरक्षण आयोग (संशोधन) नियम, 2021 जो 3 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 613(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

*अपराहन 5.04 बजे

5. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री रवि किशन द्वारा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में एक सौर संयंत्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (2) श्री गौरव गोगोई द्वारा मनरेगा योजना के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- (3) डॉ. शशि थरूर द्वारा सैनिक स्कूल कज़क्कूट्टम, केरल के कर्मचारियों का वेतन एवं पेंशन जारी किए जाने के बारे में।

अपराहन 6.05 बजे

6. *आधे-घंटे-की चर्चा

श्री भर्तृहरि महताब ने 'पीएमएवाई-जी के अंतर्गत लाभार्थी' के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 82 के 08.02.2022 को ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर से उत्पन्न बिंदुओं पर चर्चा उठायी।

%श्री गिरिराज सिंह ने चर्चा का उत्तर दिया।

* अपराहन 5.05 बजे से सायं 6.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

% ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री

सायं 6.49 बजे

7. गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प - विचाराधीन

श्री रितेश पाण्डेय द्वारा 20 मार्च, 2020 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा जारी रही:-

"यह ध्यान में रखते हुए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाएं महिलाओं, बच्चों और किशोरों को अनेक अनिवार्य स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह उनकी कार्य दशाओं में सुधार लाने के लिए तत्काल निम्नलिखित कदम उठाए -

- (1) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के रोजगार को नियमित करना;
- (2) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के लिए प्रतिपूर्ति श्रेणी के नाम को "मानदेय" से बदलकर "वेतन" करना;
- (3) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रतिपूर्ति की पर्याप्त राशि का भुगतान करना, जो समाज के प्रति उनकी सेवाओं के महत्व को दर्शाए;
- (4) आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की कार्य दशाओं में सुधार करना और प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र में शुद्ध पेयजल, स्वच्छ प्रसाधन और उचित वातायन-व्यवस्था सहित सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध करवाकर उनका उन्नयन करना; और
- (5) देश में किराए की जगहों पर चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए लंबित किराया राशि सहित सभी बकायों का भुगतान करना।"

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री राजेन्द्र अग्रवाल (अपना भाषण पुनः आरंभ किया)
2. श्री कनकमल कटारा
3. श्री रमेश बिधूड़ी
4. श्री भर्तृहरि महताब
5. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
6. श्री गुमान सिंह दामोर

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

*रात्रि 8.37 बजे

8. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री सय्यद ईमत्याज जलील ने दिशा के अंतर्गत केंद्रीय योजना की समीक्षा के बारे में निवेदन किया।

%श्री गिरिराज सिंह ने उत्तर दिया।

रात्रि 8.40 बजे

(लोक सभा सोमवार, 14 मार्च, 2022 के अपराहन 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* रात्रि 8.11 बजे से रात्रि 8.40 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाये।

%ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 14 मार्च, 2022/ 23 फाल्गुन, 1943 (शक)

संख्या 160

पूर्वाहन 11.00 बजे

1. अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने आस्ट्रिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष महामहिम श्री वुल्फगैंग सोबोत्का और आस्ट्रिया की फेडरल काउंसिल की अध्यक्षा महामहिम सुश्री क्रिस्टीन श्वार्ज-फुक्स तथा आस्ट्रिया के संसदीय शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों, जो सम्मानित अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर थे, का स्वागत करते हुए घोषणा की।

पूर्वाहन 11.03 बजे

2. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने श्री एस. सिंगरवादिवेल, छठी, सातवीं, आठवीं और नौवीं लोक सभा के सदस्य; श्री एच. बी. पाटील, आठवीं लोक सभा के सदस्य; और श्री हेमानंद बिस्वाल, पन्द्रहवीं लोक सभा के सदस्य के निधन के संबंध में उल्लेख किया।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाहन 11.06 बजे

3. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 167 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 168 से 180 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 12.01 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) का.आ.5226(अ) जो 15 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (2) दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 98/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (3) दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 99/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (4) दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 100/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (5) दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 101/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (6) दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 102/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (7) दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 103/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (8) दिनांक 27 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 104/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के

बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (9) दिनांक 28 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 105/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (10) दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना संख्या 106/2021-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (11) का.आ.5496(अ) जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (12) दिनांक 3 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 01/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (13) दिनांक 6 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 02/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (14) का.आ.194(अ) जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना सं.36/2001-सीमाशुल्क (एन.टी.) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (15) दिनांक 20 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या 04/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने के लिए विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका सिंह सरुता) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
- (2) वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) भारतीय साधारण बीमा निगम, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के 01.10.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड (आईआईबीआई के इक्विटी शेयरधारकों के लिए आईआईबीआई का स्वैच्छिक समापन), कोलकाता के बारे में 01.10.2021 से 31.12.2021 तक की अवधि के लिए परिसमापक का प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (क) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) संदाय और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अंतर्गत संदाय और निपटान प्रणाली (संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में अधिसूचना सं. सीओ.डीपीएसएस/ओवीआरएसटी.सं.एस1417/06.08.001/2021-22 में प्रकाशित हुए थे, की

एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (स्टाफ) संशोधन नियम, 2022 जो 31 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 58(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114क की उप-धारा (3) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ.सं. आईआरडीएआई/आरआई/1/180/2022 जो 17 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 'वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बाध्यकारी अध्यर्पण' के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 29वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

7. रेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती जसकौर मीना ने 'रेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

8. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का 30वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी ने गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 238वां प्रतिवेदन।
- (2) 'उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 239वां प्रतिवेदन।

10. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुनील बाबूराव मेंडे ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे :-

- (1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 314वां प्रतिवेदन।
- (2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 315वां प्रतिवेदन।
- (3) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 316वां प्रतिवेदन।
- (4) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 317वां प्रतिवेदन।
- (5) पर्यटन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 318वां प्रतिवेदन।

11. मंत्री द्वारा वक्तव्य

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने 'मैथिली भाषा में सीटीईटी परीक्षा' के बारे में श्री गोपाल जी ठाकुर, संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 905 के 7 फरवरी, 2022 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री धर्मेन्द्र प्रधान ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि इस सभा के सदस्य दिल्ली विश्वविद्यालय की संविधियों की संविधि 2(1)(उन्नीस) और (3) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त संविधियों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन दिल्ली विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.07 बजे

13. जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव - समय का बढ़ाया जाना

श्री बृजेन्द्र सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2021 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय को 3 जून, 2022 तक बढ़ाती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

15. अनुदानों की अनुपूरक मांगें (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र)

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

16. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - तीसरा और अंतिम बैच को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

17. अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.08 बजे

18. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित कार्यक्रमों में लोक सभा के सदस्यों की भागीदारी के बारे में ।
- (2) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर जिले में पेयजल की भारी कमी की समस्या के समाधान की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री जनार्दन सिंह सीग्गीवाल द्वारा बिहार के महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से गांवों को जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा में धान की खरीद के बारे में ।
- (5) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखंड के देवघर में विकास परियोजनाओं को पूरा किए जाने के बारे में ।
- (6) श्री संजय भाटिया द्वारा हरियाणा के पानीपत जिले में उझाह और बपौली अनाज मंडी के बीच के रास्ते को पुनः खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में ऑनलाइन शिक्षा हेतु डिजिटल प्लेटफार्म में सुधार लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा ईपीएस- 1995 के अंतर्गत पेंशन बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री रामदास तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोविड-19 महामारी से प्रभावित ट्रेन सेवाओं को पुनः बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (10) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल के कोझिकोड के किनालूर में एम्स की स्थापना के बारे में ।
- (12) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा यूक्रेन में विभिन्न विश्वविद्यालयों में नामांकित भारतीय विद्यार्थियों की दुर्दशा के बारे में ।
- (13) श्री डी. एम. कथीर आनन्द द्वारा तमिलनाडु में वेल्लोर विमान पत्तन के परिचालन के बारे में ।
- (14) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा परभनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लम्बित रेल कार्यों को पूरा किए जाने के बारे में ।
- (15) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति के बारे में ।
- (16) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक जिले में असरुखा जोरा को राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने के बारे में ।
- (17) कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में औद्योगिक इकाइयों के कारण भूजल प्रदूषित होने के बारे में ।
- (18) श्री बी. बी. पाटील द्वारा तेलंगाना के जहीराबाद में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैनुफैक्चरिंग जोन (एनआईएमजेड) हेतु धनराशि दिए जाने के बारे में ।
- (19) श्री प्रिंस राज द्वारा बिहार के समस्तीपुर में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज स्कीम के बारे में ।
- (20) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील द्वारा महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सैन्य भर्ती आयोजित किए जाने के बारे में ।

अपराहन 12.09 बजे

19. प्रस्ताव

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 205, जिसमें उपबंध है कि बजट पर उस दिन कोई चर्चा नहीं होगी, जिस दिन इसे सभा में प्रस्तुत किया जाता है, को इसके जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के वर्ष 2022-23 के बजट तथा वर्ष 2021-22 की अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा पर लागू करने के संबंध में निलंबित करती है ताकि बजट को उसी दिन प्रस्तुत किया जा सके और उस पर चर्चा की जा सके।"

*प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* श्री मनीश तिवारी और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने प्रस्ताव का विरोध किया।

#अपराहन 12.27 बजे

20. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किए जा रहे कर्मचारियों हेतु मजदूरी की सीमा को बढ़ाने के संबंध में निवेदन किया।

*श्री भूपेन्द्र यादव ने उत्तर दिया।

*(लोक सभा अपराहन 1.03 बजे स्थगित हुई और
अपराहन 2.06 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 12.17 बजे से अपराहन 1.03 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

* पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री (श्री भूपेन्द्र यादव)

21. (एक) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में बजट;
(दो) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांगें;
(तीन) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें;
(चार) वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - तीसरा और अंतिम बैच; और
(पांच) वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एक साथ संयुक्त चर्चा शुरू हुई:-

- (एक) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में बजट;
(दो) वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की मांग संख्या 1 से 4, और 6 से 36;
(तीन) वर्ष 2021-22 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32, और 36;
(चार) वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - तीसरा और अंतिम बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 से 78, 80, 84 से 94 और 96 से 101; और
(पांच) वर्ष 2018-19 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 20 और 21 ।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने नियम 216 के अधीन व्यवस्था का प्रश्न उठाया।

तत्पश्चात्, अध्यक्षपीठ ने श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय* दिया।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री जुगल किशोर शर्मा
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
5. *डॉ. जितेन्द्र सिंह
6. श्री सुनील कुमार पिन्टू
7. कुंवर दानिश अली
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्री जसबीर सिंह गिल
12. श्री हसनैन मसूदी
13. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
14. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
15. श्री बी.बी. पाटील
16. श्री असादुद्दीन औवेसी
17. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
18. श्री हनुमान बेनीवाल
19. श्री डी. रविकुमार
20. डॉ. तिरूमावलवन थोलकाप्पियन
21. श्री अब्दुल खालेक
22. श्री मलूक नागर
23. श्री रवनीत सिंह

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए अनुदानों की सभी मांग सं. 1 से 4 और 6 से 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

* विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं. 3, 8, 15 से 19, 26, 30, 32, और 36 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों - तीसरा और अन्तिम बैच की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए अनुदानों की सभी अनुपूरक मांग सं. 1 से 13, 15, 17 से 27, 29, 31, 33 से 36, 39 से 44, 46, 50 से 54, 56 से 59, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 73, 75 से 78, 80, 84 से 94 और 96 से 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2018-19 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गयी राशियों के लिए अनुदानों की सभी अतिरिक्त मांग सं. 20 और 21 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

22. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2022

23. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्याक 2) विधेयक, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया। विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

24. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022

25. सरकारी विधेयक - पारित

जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया। विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

26. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022

27. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया। विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

28. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022

29. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव किया गया। विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 15 मार्च, 2022/ 24 फाल्गुन, 1943 (शक)

संख्या 161

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 181 से 188 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 189 से 200 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 से 2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने निम्नलिखित घोषणा की:-

"मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे माननीय राष्ट्रपति से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है:-

'मुझे उस अभिभाषण, जो मैंने 31 जनवरी, 2022 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष दिया था, के लिए लोक सभा के सदस्यों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन प्राप्त हुआ है।' "

4. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि पंजाब के संगरूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री भगवंत मान ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और उन्होंने 14 मार्च, 2022 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराहन 12.03 बजे

5. सभा पटल पर रखे गए पत्र

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) ने वर्ष 2022-2023 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने वर्ष 2022-2023 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) वर्ष 2022-2023 के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (तीन) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (चार) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (पांच) एचएमटी लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (छह) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (सात) सीमेन्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (3) (एक) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंट्रल मैनुफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, 2022 के प्रथम संविधि, जो 21 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आरआरयू/यूआरओ/संविधि/2022/001(ई) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) दिल्ली पुलिस (सेवाओं की सामान्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2021 जो 11 जनवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 13/7/2012/एचपी-1/स्था./3057 से 3062 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/18/2020/एचपी-1/स्था./3462 से 3468 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/20/2020/एचपी-1/स्था./3476 से 3482 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/22/2020/एचपी-1/स्था./3469 से 3475 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 18 फरवरी, 2022 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 16/12/2020/एचपी-1/स्था./3562 से 3568 में प्रकाशित हुए थे।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक काजू विकास निगम लिमिटेड, मंगलौर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम, फरीदाबाद के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्वपरायणता, प्रमस्तिष्कघात, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगताग्रसित व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब, लुधियाना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारत विकास परिषद चैरिटेबल ट्रस्ट पंजाब, लुधियाना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की

- सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौउबल, मणिपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) टाइप राइटिंग इंस्टिट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट सर्विस, थौउबल, मणिपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कटक, ओडिशा के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एसोसिएशन फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, कटक, ओडिशा के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) प्रगति चैरिटीज, नेल्लौर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) विकास समाज सेवा सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) विकास समाज सेवा सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2014-2015 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) ग्रामीण विकास सोसायटी का स्वयंसेवी संगठन, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ग्रामीण विकास सोसायटी का स्वयंसेवी संगठन, कुरनूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) दिव्यांगजन एकीकृत संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) दिव्यांगजन एकीकृत संस्थान, वाराणसी के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) श्री रमण महर्षि नेत्रहीन अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) श्री रमण महर्षि नेत्रहीन अकादमी, बंगलौर के वर्ष 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) अलाकेन्दु बोध निकेतन आवासीय, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अलाकेन्दु बोध निकेतन आवासीय, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) चेतना, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) वर्ष 2022-2023 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।

(2) वर्ष 2022-2023 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 54वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 55वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (स्वीकृत किए गए)' के बारे में 56वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (अस्वीकृत किए गए)' के बारे में 57वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (5) 'रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 58वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 30वां प्रतिवेदन ।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 31वां प्रतिवेदन ।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वां प्रतिवेदन ।

8. विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राम शिरोमणि वर्मा ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 358वां प्रतिवेदन।
- (दो) जैव-प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 359वां प्रतिवेदन।
- (तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 360वां प्रतिवेदन।
- (चार) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 361वां प्रतिवेदन।
- (पांच) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 362वां प्रतिवेदन।
- (छह) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 363वां प्रतिवेदन।
- (सात) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-2023) संबंधी 364वां प्रतिवेदन।

9. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 30वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.07 बजे

10. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) ने 9 मार्च, 2022 को 'अनजाने में मिसाइल छोड़े जाने' के बारे में वक्तव्य दिया।

* (2) विदेश मंत्री (डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर) ने 'यूक्रेन में स्थिति' के बारे में वक्तव्य दिया।

(3) जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के 26वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

11. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

डॉ. सत्य पाल सिंह ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा से डॉ. वी. विजयसाई रेड्डी, संसद सदस्य, डॉ. सस्मित पात्रा, संसद सदस्य और श्री महेश पोद्दार, संसद सदस्य की राज्य सभा से सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हुए स्थानों पर राज्य सभा के तीन सदस्यों को लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा इस संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार नियुक्त सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

* अपराहन 4.04 बजे से अपराहन 4.24 बजे तक दिया गया।

अपराहन 12.10 बजे

12. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के लिए निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

(एक) श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि सभा द्वारा 24.06.2019 को स्वीकृत प्रस्ताव से संबंधित क्रम सं. 7 पर मद के पैरा (3) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से बीस सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) श्री राजेश वर्मा ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए समिति के सदस्यों के रूप में शामिल होने के लिए राज्य सभा के सदस्यों में से 10 सदस्य निर्वाचित करने के लिए सहमत हों और समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों के नामों से इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

13. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि यह सभा 14 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के उनतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

#अपराहन 12.13 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले

अपराहन 12.13 बजे से अपराहन 12.18 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा सीमेंट और इस्पात के बढ़ते मूल्यों की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के सीतामढ़ी जिले के हन्सौर गांव में डाक घर खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा राजस्थान के सीकर जिले में पेयजल की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री संजय सेठ द्वारा चुनाव के दौरान लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उगाए जाने वाले फलों, सब्जियों और फूलों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री राहुल कस्वां द्वारा राजस्थान के चुरु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नोहर और सिद्धमुख क्षेत्र को भाखड़ा मुख्य लाईन से उनका आवंटित हिस्सा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री अजय निषाद द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बागमती नदी पर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में ।
- (9) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड में विशेष रूप से चतरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में और तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में गांवों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा जसदान-बोताड मीटर गेज रेलवे लाईन को ब्रॉड गेज में बदले जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री राजू बिष्ट द्वारा दार्जलिंग में रोप-वे परियोजनाओं के बारे में ।

- (13) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में उग्रवादी समूहों में शामिल हो रहे युवकों के बारे में ।
- (14) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा कोट्टीकुलम रेलवे स्टेशन पर सड़क ऊपर पुल का निर्माण किए जाने के बारे में ।
- (15) श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि द्वारा यूक्रेन से वापस आए चिकित्सा छात्रों के भविष्य के बारे में ।
- (16) श्री पी. वेलुसामी द्वारा तूतीकोरिन एक्सप्रेस में प्रथम श्रेणी कोच का प्रावधान किए जाने और उसकी बारंबारता बढ़ाए जाने के बारे में।
- (17) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में सुधार के बारे में ।
- (18) प्रो. सौगत राय द्वारा यूक्रेन से वापस आए चिकित्सा छात्रों भविष्य के बारे में ।
- (19) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों पर प्रौद्योगिकीय रूपांतरण के प्रभाव के बारे में ।
- (20) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा थावे जंक्शन पर ट्रेन सुविधाओं के बारे में ।
- (21) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा छावनी क्षेत्रों में भूमि को पट्टे पर दिए जाने से संबंधित मौजूद दिशा-निर्देशों की समीक्षा के बारे में ।
- (22) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में ।
- (23) डॉ. अब्दुस्समद समदानि द्वारा पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा ईंधन के मूल्यों में संभावित वृद्धि किए जाने के बारे में ।
- (24) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा बिजली कंपनियों से संबंधित शिकायतों के निपटारे हेतु उपभोक्ता अदालतों को शक्ति हस्तांतरित किए जाने के बारे में ।
- (25) श्री थोमस चाज़िकाडन द्वारा केरल में जंगली जानवरों के खतरे के बारे में ।

अपराह्न 12.18 बजे

15. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 12 घंटे
लिया गया समय: 11 घंटे 21 मिनट
शेष: 39 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्तावों को पेश किए जाने के संबंध में टिप्पणी# की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
2. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
3. श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि
4. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)
5. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
6. *श्री पी.आर. नटराजन
7. श्रीमती चिंता अनुराधा
8. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
9. *डॉ. उमेश जी. जाधव
10. श्री मनोज कुमार तिवारी
11. श्री सुनील कुमार पिंटू
12. श्री भर्तृहरि महताब
13. श्री श्याम सिंह यादव
14. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
15. *श्री के. सुब्बारायण
16. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
17. डॉ. मोहम्मद जावेद
18. श्रीमती रमा देवी
19. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
20. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
21. *श्री राजू बिष्ट
22. श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
23. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

24. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
25. *श्री मितेश रमेशभाई पटेल
26. श्री अरविन्द गणपत सावंत
27. श्री जुगल किशोर शर्मा
28. *श्री विजय कुमार
29. *श्री सी.एन. अन्नादुरई
30. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
31. डॉ. अमर सिंह
32. श्री चन्देश्वर प्रसाद
33. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
34. *श्री दिलेश्वर कामैत
35. श्री थोमस चाजिकाडन
36. श्री हनुमान बेनीवाल
37. श्रीमती नवनिता रवि राणा
38. *श्रीमती सुप्रिया सुले
39. *श्री दुरई मुरुगन कथीर आनन्द
40. श्री अनुराग शर्मा
41. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
42. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
43. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिबालकर
44. श्री कनकमल कटारा
45. श्री हसनैन मसूदी
46. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

47. *श्री वी.के. श्रीकंदन
48. डॉ. आलोक कुमार सुमन
49. श्री श्रीकृष्णा देवरायाळू लावू
50. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
51. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
52. श्री अजय टम्टा
53. *श्री रामचरण बोहरा
54. *श्री निहाल चन्द चौहान
55. *डॉ. मनोज राजोरिया
56. श्री पी. रविन्द्रनाथ
57. श्री राम शिरोमणि वर्मा
58. श्री जनार्दन मिश्र
59. श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
60. श्री राजमोहन उन्नीथन
61. श्रीमती नुसरत जहां रूही
62. *डॉ. राजदीप राय
63. श्री अरुण साव
64. *श्री गणेश सिंह
65. श्री राहुल रमेश शेवाले
66. *श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
67. डॉ. सुकान्त मजूमदार
68. *श्रीमती शारदा अनिलकुमार पटेल
69. श्री गुरजीत सिंह औजला
70. श्री अक्षयवर लाल

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

71. *श्री भगीरथ चौधरी
72. श्री विजय कुमार
73. श्री कल्याण बनर्जी
74. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
75. श्री एम.के. राघवन
76. श्री रितेश पाण्डेय
77. *श्री सुमेधानन्द सरस्वती
78. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
79. श्री राधा मोहन सिंह
80. श्री संतोख सिंह चौधरी
81. श्री विद्युत बरन महतो
82. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
83. श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप
84. श्री हाजी फजलुर रहमान
85. *श्रीमती रंजीता कोली
86. श्री गोपाल चिनेय्या शेट्टी
87. श्री बी.बी. पाटील
88. *श्री आर. के. सिंह पटेल
89. *श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर,
90. श्री अनिल फिरोजिया
91. श्री प्रिंस राज
92. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
93. श्री उत्तम कुमार नलमडा रेड्डी
94. श्री सुभाष चन्द्र बहेडिया
95. डॉ एस. टी. हसन
96. श्री देवेंद्र उर्फ भोले सिंह
97. डॉ जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी
98. श्री कुरुवा गोरंतला माधव

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

99. श्री गजेंद्र सिंह पटेल
100. श्री मलूक नागर
101. डॉ जयंत कुमार राय
102. श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी
103. श्री बालक नाथ
104. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
105. श्री राहुल कस्वां
106. डॉ निशिकांत दुबे
107. *कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

रात्रि 11.59 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

बुधवार, 16 मार्च, 2022/ 25 फाल्गुन, 1943 (शक)

संख्या 162

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 201 से 209 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 210 से 220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2301 से 2530 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बेसिक साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2022 जो 27 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी. 1(2)/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

पंद्रहवीं लोक सभा

| | |
|-----------------|----------------------|
| 1. विवरण सं. 31 | ग्यारहवां सत्र, 2012 |
| 2. विवरण सं. 30 | बारहवां सत्र, 2012 |
| 3. विवरण सं. 28 | पंद्रहवां सत्र, 2014 |

सोलहवीं लोक सभा

| | |
|------------------|----------------------|
| 4. विवरण सं. 28 | दूसरा सत्र, 2014 |
| 5. विवरण सं. 28 | तीसरा सत्र, 2014 |
| 6. विवरण सं. 27 | चौथा सत्र, 2015 |
| 7. विवरण सं. 24 | छठा सत्र, 2015 |
| 8. विवरण सं. 21 | सातवां सत्र, 2016 |
| 9. विवरण सं. 23 | आठवां सत्र, 2016 |
| 10. विवरण सं. 22 | नौवां सत्र, 2016 |
| 11. विवरण सं. 20 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 12. विवरण सं. 19 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 13. विवरण सं. 15 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 14. विवरण सं. 16 | पंद्रहवां सत्र, 2018 |
| 15. विवरण सं. 13 | सोलहवां सत्र, 2018 |

सत्रहवीं लोक सभा

| | |
|------------------|--------------------|
| 16. विवरण सं. 12 | पहला सत्र, 2019 |
| 17. विवरण सं. 9 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 18. विवरण सं. 8 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 19. विवरण सं. 8 | चौथा सत्र, 2020 |
| 20. विवरण सं. 7 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 21. विवरण सं. 6 | छठा सत्र, 2021 |
| 22. विवरण सं. 1 | सातवां सत्र, 2021 |

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एनईआईए (नेशनल एक्सपोर्ट इश्योरेंस अकाउंट) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) एनईआईए (नेशनल एक्सपोर्ट इश्योरेंस अकाउंट) ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स, बल्लभगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) भारत संचार निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (दो) महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) (एक) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) भारतीय बेतार तारयांत्रिकी अधिनियम, 1933 की धारा 10 की उप-धारा (4) तथा भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) शार्ट रेंज डिवाइसेस के लिए फ्रीक्वेंसी बैंक 865-868 मेगा हर्ट्ज में लो पावर उपकरण का उपयोग (अनुज्ञा-पत्र से छूट) नियम, 2021 जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 853(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) इंडक्टिव एप्लिकेशंस के लिए अत्यंत लो पावर रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस या उपकरणों का उपयोग (अनुज्ञा-पत्र से छूट) नियम, 2021 जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 870(अ) में प्रकाशित हुए थे।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास का कार्यकरण' संबंधी 44वां प्रतिवेदन।
- (2) 'स्रोत पर कर की कटौती नहीं किये जाने' संबंधी 45वां प्रतिवेदन।
- (3) 'लक्षद्वीप द्वीपसमूह में विद्युत का उत्पादन और वितरण' संबंधी 46वां प्रतिवेदन।
- (4) 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' के बारे में समिति के 14वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 47वां प्रतिवेदन।

5. सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) के 74वें से 77वें प्रतिवेदनों (मूल/की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को प्रस्तुत किया।

6. रक्षा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री डी.वी. सदानन्द गौड़ा ने रक्षा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'सामान्य रक्षा बजट, सीमा सड़क संगठन, भारतीय तटरक्षक, रक्षा सम्पदा संगठन, सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों, कैंटीन भंडार विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण और रक्षा पेंशन (मांग सं. 19 और 22) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'थल सेना, नौ सेना, वायु सेना, संयुक्त स्टाफ, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना और सैनिक स्कूलों (मांग सं. 20 और 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 27वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'रक्षा सेवाओं, खरीद नीति, रक्षा आयोजना और विवाहित आवास परियोजना संबंधी पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 28वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (4) 'आयुध निदेशालय (समन्वय और सेवाएं) - नए डीपीएसयू, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय और राष्ट्रीय कैडेट कोर (मांग सं. 20 और 21) के बारे में रक्षा मंत्रालय की वर्ष 2022-23 की अनुदानों की मांगों' के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति का 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

7. ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री प्रतापराव जाधव ने ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' के बारे में 16वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 21वां प्रतिवेदन।
- (2) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 22वां प्रतिवेदन।
- (3) भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 23वां प्रतिवेदन।
- (4) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

8. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 336वां प्रतिवेदन।
- (2) उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 337वां प्रतिवेदन।
- (3) महिला और बाल विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 338वां प्रतिवेदन।
- (4) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 339वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.06 बजे

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित के बारे में वक्तव्य दिया:-

- (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 343वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 353वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में विभाग से संबद्ध विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 344वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 354वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-
- (एक) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) (मांग संख्या 11) के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 157वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'भारत में बौद्धिक सम्पदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा' के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराहन 12.09 बजे

10. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 21 मार्च, 2022 से आरंभ हो रहे सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में एक वक्तव्य दिया।

11. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 15 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 30वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*अपराहन 12.11 बजे

12. बैठक रद्द किए जाने के बारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने गुरुवार, 17 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित सभा की बैठक को रद्द किए जाने के बारे में घोषणा[%] की।

अपराहन 2.06 बजे

13. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा महाकाव्य 'आल्हा खंड' को यूनेस्को की इन्टैजिबल कल्चरल हैरिटेज में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा थरद-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने के बारे में ।
- (3) श्री गणेश सिंह द्वारा विशेषकर मध्य प्रदेश के सतना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुपोषण से निपटने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में खाली पड़ी रक्षा भूमि के उपयोग के बारे में ।
- (5) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचकुला शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा दिल्ली के पालम एवं साधनगर क्षेत्र में मल-जल निकासी लाइनों के कथित रूप से त्रुटिपूर्ण निर्माण के बारे में ।
- (7) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा यातायात नियमों को लागू किए जाने के बारे में ।
- (8) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी द्वारा उत्तर प्रदेश के देवरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा पिछड़े एवं आदिवासी क्षेत्रों में किसानों को अपने फसलों की क्षति संबंधी शिकायतें पारम्परिक विधि से दर्ज कराए जाने की अनुमति प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आईसीएआर के एक केन्द्र या एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या 47-ग और 28-ग का प्रचालन जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के माल्दा टाऊन रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेन सुविधाओं के बारे में ।

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[%] अपराहन 12.11 बजे से अपराहन 2.05 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (13) श्री गोपाल चिन्नैय्या शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के उत्तर मुम्बई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में स्थित प्राचीन गुफाओं को विकसित, संरक्षित एवं सौंदर्यीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (14) श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर द्वारा महाराष्ट्र के चन्द्रपुर में एक टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा धर्म परिवर्तित कर चुके दलित ईसाइयों के कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय निगम की स्थापना के बारे में ।
- (16) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत इडुक्की में आदिवासी सर्किट के कार्यान्वयन के बारे में ।
- (17) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा देश में तोलकप्पीयर दिवस मनाए जाने के बारे में ।
- (18) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम में नामांकन हेतु न्यूनतम आयु सीमा में परिवर्तन किए जाने के बारे में ।
- (19) श्रीमती साजदा अहमद द्वारा उलुबेरिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक नया केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में ।
- (20) श्री सदाशिव किसान लोखंडे द्वारा महाराष्ट्र में नए एथनॉल संयंत्रों की स्थापना को आसान बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (21) श्री महाबली सिंह द्वारा बिहार के काराकाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नबीनगर प्रखंड के चिरैली गांव के निकट पुनपुन नदी पर एक पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (22) श्री श्याम सिंह यादव द्वारा उत्तर प्रदेश के जौनपुर स्थित चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित निर्माण कार्य को पूरा किए जाने के बारे में ।
- (23) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा तमिलनाडु के केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियों को भरे जाने के बारे में ।

अपराहन 2.06 बजे

14. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 12 घंटे 59 मिनट

रेल मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 85 पर आगे चर्चा जारी रही।

श्री अधीर रंजन चौधरी ने वाद-विवाद में भाग लिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. डॉ. भारतीबेन धीरूभाई श्याल
2. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
3. श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा

4. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
5. एडवोकेट अदूर प्रकाश
6. श्री अशोक महादेवराव नेते
7. श्री देवजी एम. पटेल
8. श्री गणेश सेल्वम
9. श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
10. श्री हसमुखभाई सोमभाई पटेल
11. श्री सोयम बापू राव
12. श्री ए. गणेशमूर्ति
13. श्री संजय सेठ
14. श्री ए.के.पी. चिनराज
15. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील
16. डॉ. ढाल सिंह बिसेन
17. श्री उदय प्रताप सिंह
18. श्री डी.के. सुरेश
19. श्रीमती रीती पाठक
20. श्री अरुण कुमार सागर
21. श्री अशोक कुमार रावत
22. श्री सुनील कुमार सिंह
23. श्री गिरीश चन्द्र
24. श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
25. श्रीमती संध्या राय
26. श्री जयदेव गल्ला
27. डॉ. टी.आर. पारिवेन्दर
28. श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
29. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
30. श्री जगदम्बिका पाल
31. श्री राकेश सिंह
32. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
33. श्री रविन्द्र कुशवाहा
34. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

श्री अश्विनी वैष्णव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदान की मांग संख्या 85 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए रेल मंत्रालय उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

#15. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।

अपराहन 3.45 बजे

16. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटे 15 मिनट
शेष समय: 1 घंटा 45 मिनट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 86 पर चर्चा आरंभ हुई। अध्यक्ष ने अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्तावों को पेश किए जाने के संबंध में घोषणा[%] की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित 13 कटौती प्रस्ताव (संख्या 13 से 25) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी
2. श्री जगदम्बिका पाल
3. डॉ. गौतम सिगामणि पोन
4. श्री कल्याण बनर्जी
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. श्री पनाकी मिश्रा
7. श्री गिरीश चन्द्र
8. श्री रामुलु पोथुगन्ती
9. श्री गणेश सिंह
10. श्री विनसेंट एच. पाला

चर्चा पूरी नहीं हुई।

अपराहन 3.30 बजे की गई। मूल हिन्दी में, विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

% मूल हिन्दी में, विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा सोमवार, 21 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 21 मार्च, 2022/ 30 फाल्गुन, 1943 (शक)

संख्या 163

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. प्रश्न

- (एक) तारांकित प्रश्न संख्या 241 से 249 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 250 से 260 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए। अतारांकित प्रश्न संख्या 2761 से 2990 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।
- (दो) चूंकि गुरुवार, 17 मार्च, 2022 के लिए निर्धारित लोक सभा की बैठक रद्द कर दी गई थी, इसलिए उस दिन के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्न संख्या 221 से 240 को अतारांकित माना गया तथा उनके उत्तर भी अतारांकित प्रश्न संख्या 2531 से 2760 के उत्तरों के साथ आज के कार्यवाही-वृत्तांत में मुद्रित किए जाएंगे।

अपराह्न 12.01 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 9 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2021-22/जीएन/आरईजी/080 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (प्राधिकरण के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 जो 4 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 4(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की रीति तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

सं. सा.का.नि. 165(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) का.आ. 35(अ) जो 4 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण में मुख्य महाप्रबंधक, महाप्रबंधक, उप-महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, वैयक्तिक या सामान्य सहायक, वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव और चालक के पदों पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

(चार) कंपनी (पंजीकरण कार्यालय और फीस) संशोधन नियम, 2022 जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 12(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) कंपनी (लेखा) संशोधन नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 107(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 109(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 458 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 623(अ) जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार की शक्ति क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्यायोजित की गई है, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) वृंदावन अनुसंधान संस्थान, वृंदावन के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, लेह-लद्दाख के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्टरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडीज, तवांग मोनास्टरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) गाडेन राबगाइलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोम्डिला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) गाडेन राबगाइलिंग मोनास्टिक स्कूल, बोम्डिला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आरकाइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन वर्क्स एंड आरकाइव्स, धर्मशाला के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ सेंट्रल जोन कल्चरल सेंटर, प्रयागराज के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा यूटी ऑफ जम्मू एण्ड कश्मीर, श्रीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसायटी (समग्र शिक्षा), शिमला के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन (समग्र शिक्षा), जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राजस्थान काउंसिल ऑफ स्कूल एजुकेशन (समग्र शिक्षा), जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेन्ट, ग्वालियर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैनुफेक्चरिंग, जबलपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रायचूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रांची, रांची के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोट्टायम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वडोदरा के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, चित्तूर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अंतर्गत इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एण्ड मैनुफैक्चरिंग, कुर्नूल के प्रथम संविधि, जो 21 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 79-1/2021-टीएस.। में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सूरत के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग-एक और दो), दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (22) डॉ. हरिसिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस, बंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बरहामपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, बरहामपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलोंग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलोंग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) ओडिशा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा

अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 21 दिसम्बर, 2022 को हुई अपनी बैठक में डॉ. बांडा प्रकाश, जिन्होंने 4 दिसम्बर, 2021 से राज्य सभा से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए उक्त समिति में सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किए जाने के लिए लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए निर्वाचित राज्य सभा के सदस्य श्री जुगलसिंह लोखंडवाला के नाम की सूचना भी दी।

4. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री उदय प्रताप सिंह ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) का 'कोविड प्रबंधन के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की उपलब्धता' विषय के बारे में 31वां प्रतिवेदन।
- (2) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (3) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 33वां प्रतिवेदन।
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय (औषध विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।

5. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 32वां प्रतिवेदन।
- (2) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 33वां प्रतिवेदन।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 34वां प्रतिवेदन।
- (4) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में

35वां प्रतिवेदन।

6. उद्योग संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंडारिया ने उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 315वां प्रतिवेदन।
- (2) भारी उद्योग मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 316वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.04 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुलों के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री गोपाल चिन्नैय्या शेट्टी द्वारा हिन्दू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री मनोज तिवारी द्वारा डीडीए द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिल्ली सरकार को आवंटित की गई भूमि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उन्हें वापस लिए जाने के बारे में ।
- (4) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा देश में चिकित्सा शिक्षा के लिए अवसंरचना को सुदृढ़ बनाए जाने के बारे में ।
- (5) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए समान वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा विशेषकर उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए उनके कार्यस्थल के नजदीक आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूलों की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (7) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा संधाल परगना के मूल निवासियों को मान्यता दिए जाने के बारे में ।
- (8) डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी द्वारा प्रसाद योजना के अंतर्गत सोलापुर जिले एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित प्राचीन तीर्थस्थलों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री राहुल कस्वां द्वारा मनोरंजक खेल के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी एवं जुआ को बढ़ावा देने वाले मोबाईल एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (11) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रबर अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (12) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा प्रौद्योगिकी कंपनियों के ऐप स्टोर्स का विनियमन किए जाने के बारे में ।
- (13) श्री सुनील कुमार मंडल द्वारा पश्चिम बंगाल के वर्धमान पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल उपरि पुल के निर्माण के बारे में ।
- (14) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन के अंतर्गत गोपालगंज जिले को शामिल किए जाने के बारे में ।
- (15) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर द्वारा यूक्रेन में आयुर्विज्ञान का अध्ययन करने वाले भारतीय छात्रों की समस्याओं के बारे में ।
- (17) डॉ. वी. कलानिधि द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग - 4 से संबंधित कार्य को पूरा किए जाने के बारे में।

अपराहन 12.04 बजे

8. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 10 घंटे 05 मिनट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 86 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री भरत राम मारगनी
2. डॉ. एस.टी. हसन
3. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
4. *डॉ. मोहम्मद जावेद
5. *श्री के. सुब्बारायण
6. श्री चन्देश्वर प्रसाद
7. *श्री भर्तृहरि महताब

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

8. श्री श्रीकृष्ण देवरायालू लावू
9. *श्रीमती सुप्रिया सुले
10. *श्री पी.पी. चौधरी
11. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
12. श्री तापिर गाव
13. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्री सुशील कुमार सिंह
16. श्री पी. वेलुसामी
17. श्री देवजी एम. पटेल
18. श्री पी. रविन्द्रनाथ
19. *श्री हंसमुखभाई समाभाई पटेल
20. *श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़
21. श्रीमती प्रतिभा सिंह
22. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
23. कुंवर दानिश अली
24. श्री राम कृपाल यादव
25. श्री हनुमाने बेनीवाल
26. श्रीमती नवनीत रवि राणा
27. श्री केसिनेनी श्रीनिवास
28. *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
29. *श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
30. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
31. *श्री पी. आर. नटराजन
32. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
33. *डॉ. भारतीबेन धीरूभाई श्याल
34. श्री के. नवासखनी

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

35. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
36. *श्री सी.एन. अन्नादुरई
37. श्री राजू बिष्ट
38. श्री ब्रह्मानंद पोचा रेड्डी
39. डॉ. आलोक कुमार सुमन
40. डॉ. ढालसिंह बिसेन
41. श्री मुनियन सेल्वराज
42. *श्री मितेश रमेशभाई पटेल
43. श्री राम शिरोमणि वर्मा
44. श्री संतोख सिंह चौधरी
45. *श्री वी.के. श्रीकंदन
46. *डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस.
47. *श्री बिद्युत बरन महतो
48. श्री उदय प्रताप सिंह
49. श्री थोमस चाजिकाडन
50. *श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़
51. *श्री भरतसिंहजी शंकरजी डाभी
52. *श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
53. श्री राजीव प्रताप रेड्डी
54. * श्री एस.आर. पार्थिबन
55. * डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
56. श्री बैन्नी बेहनन
57. श्री गुमान सिंह दामोर
58. श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
59. डॉ. जादौन चन्द्र सेन
60. श्री जसबीर सिंह गिल
61. *श्रीमती गीताबेन वाजेसिंहभाई राठवा

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

62. श्री कनकमल कटारा
63. *डॉ. उमेश जी. जाधव
64. *श्री रामचरण बोहरा
65. *श्री कुलदीप राय शर्मा
66. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
67. श्री संगमलाल कडेदीन गुप्ता
68. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
69. *श्री राहुल रमेश शेवाले
70. श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह
71. *डॉ. तालारी रंगैय्या
72. श्री मनीश तिवारी
73. श्रीमती सुनीता दुग्गल
74. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
75. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
76. श्री प्रताप सिम्हा
77. *श्री सुमेधानन्द सरस्वती
78. श्री भोला सिंह
79. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
80. श्री दिलीप शङ्कीया
81. *श्री जुगल किशोर शर्मा
82. श्री सुनील कुमार सिंह
83. *श्री राकेश सिंह
84. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
85. श्री सुनील बाबूराव मेंढे
86. श्री निहाल चन्द चौहान
87. श्री हाजी फजलुर रहमान
88. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
89. श्री नरेन्द्र कुमार
90. श्री राहुल कस्वां
91. श्री गुरजीत सिंह औजला
92. श्री नायब सिंह
93. डॉ. निशिकांत दुबे

94. *डॉ. मनोज राजोरिया
95. *सुश्री राम्या हरिदास
96. श्री बालक नाथ
97. श्रीमती रंजीता कोली
98. श्री अब्दुल खालेक
99. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
100. श्री एस. मुनिस्वामी
101. श्री अधीर रंजन चौधरी
102. *श्री एम. धनुष कुमार
103. *श्री प्रदीप कुमार सिंह
104. *श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
105. *श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी
106. *श्री मलूक नागर

चर्चा पूरी नहीं हुई।

#रात्रि 9.37 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 7.54 बजे से रात्रि 9.37 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 22 मार्च, 2022/ 1 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 164

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264, 265 (274 के साथ युग्मित), 266 और 267 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 268 से 273 और 275 से 280 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 से 3220 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) एचएमटी लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) रिचर्डसन एंड क्रूड्दास (1972) लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) रिचर्डसन एंड क्रूड्दास (1972) लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ.) (एक) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) सांभर साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।
- (तीन) ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निशीथ प्रामाणिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:

- (1) (एक) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरुम्बुदुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उप-धारा (3) के अंतर्गत आयुध (संशोधन) नियम, 2022 जो 20 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 31(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उप-धारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (संशोधन) नियम, 2022 जो 18 फरवरी, 2022 के दिल्ली के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. 16/19/2020/एचपी-प्रथम/स्था./3555-3561 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को 14 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 3)

विधेयक, 2022 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 14 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग (संख्यांक 2)

विधेयक, 2022 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 22वां प्रतिवेदन।
- (2) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई' संबंधी 23वां प्रतिवेदन।
- (3) 'नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 24वां प्रतिवेदन।
- (4) 'विद्युत मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

6. वित्त संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लोक उद्यम विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 40वां प्रतिवेदन।
- (2) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 41वां प्रतिवेदन।
- (3) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 42वां प्रतिवेदन।

- (4) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 43वां प्रतिवेदन।
- (5) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 44वां प्रतिवेदन।

7. खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय ने खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 18वां प्रतिवेदन।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 19वां प्रतिवेदन।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23)' के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का 10वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री राकेश सिंह ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 28वां प्रतिवेदन।
- (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 29वां प्रतिवेदन।
- (3) कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 30वां प्रतिवेदन।
- (4) खान मंत्रालय से संबंधित 'देश में एल्युमिनियम और कॉपर उद्योगों का विकास' विषय के बारे में 31वां प्रतिवेदन।

10. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री मनोज कोटक ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 167वां प्रतिवेदन।
- (2) उद्योग और आन्तरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 168वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.06 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने के लिए सड़कों और उपरिपुलों के निर्माण के बारे में ।
- (2) सुश्री देबाश्री चौधरी द्वारा उत्तरी बंगाल क्षेत्र में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) खोले जाने के बारे में ।
- (3) श्री गणेश सिंह द्वारा देश में एमबीबीएस के आकांक्षी विद्यार्थियों के लिए समुचित संख्या में सीट उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्रीमती रमा देवी द्वारा बिहार के पूर्वी चम्पारण जिले में मधुबन प्रखण्ड स्थित डाक कार्यालय के लिए एक नए भवन के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक पेट्रोकेमिकल परिसर की स्थापना हेतु आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (6) श्री सुनील बाबूराव मेंडे द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुपालन के बारे में ।
- (7) श्री उन्मेश बी. पाटिल द्वारा प्रेस इम्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए रियायती रेल भाड़े के प्रावधान की बहाली की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री भागीरथ चौधरी द्वारा किसनगढ़-अजमेर एयरपोर्ट के विकास हेतु मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री मनसुखभाई डी. वसावा द्वारा भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम्पनियों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगारों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्रीमती रीती पाठक द्वारा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में एक वाणिज्यिक एयरपोर्ट की स्थापना किए जाने के बारे में ।
- (11) श्री हिबी ईडन द्वारा जीवन बीमा निगम के विनिवेश के बारे में ।
- (12) श्री अब्दुल खालेक द्वारा बारपेटा होते हुए एक नई रेल लाइन को बिछाए जाने के बारे में ।
- (13) श्री एस. ज्ञानतिरावियम द्वारा तमिलनाडु में पापानसम बांध को मनिमुथार बांध से जोड़ने के लिए टनल परियोजना के निर्माण में तेजी लाने के बारे में ।
- (14) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थियों की बायोमैट्रिक पहचान में आने वाली समस्याओं के बारे में ।
- (15) श्री दिलेश्वर कामैत द्वारा बिहार में रेलगाड़ी संख्या 13205/13206, 02554/02553 और 13163/64 को सरायगढ़ तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के अमरोहा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बुनकरों के जीवन स्तर के उत्थान के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (17) श्री पी.आर. नटराजन द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड से जुड़ी समस्याओं के बारे में ।
- (18) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा एरनाकुलम-वेलनकन्नी विशेष रेलगाड़ी को नियमित रेलगाड़ी में बदलने और अमृता एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रामेश्वरम तक बढ़ाए जाने के बारे में ।
- (19) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 183 को उथामापलायम के समीप तथा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 185 को कट्टापना के समीप एक नए बायपास का निर्माण कर आपस में जोड़ने के बारे में ।
- (20) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा कृषि निर्यात क्षेत्र के रूप में सिद्धार्थ नगर की अधिसूचना के बारे में ।
- (21) श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा बिहार के अररिया संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मक्का आधारित स्टार्च फैक्ट्री की स्थापना की आवश्यकता के बारे में ।
- (22) श्री धनुष एम. कुमार द्वारा टेनकासी में पर्यटन ढांचे के विकास के बारे में ।
- (23) श्री मुकेश राजपूत द्वारा ग्वालियर से उत्तराखंड में टनकपुर अथवा हल्द्वानी के लिए एक एक्सप्रेसवे के निर्माण की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 12.06 बजे

12. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 11 घंटे 28 मिनट

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 86 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित
3. श्री अरुण कुमार सागर
4. श्रीमती रीती पाठक
5. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
6. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

श्री नितिन जयराम गडकरी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

पेश किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदान की मांग संख्या 86 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराहन 1.30 बजे

13. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 6 घंटे 22 मिनट

नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 8 पर चर्चा आरंभ हुई। अध्यक्ष ने अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्तावों को पेश किए जाने के संबंध में घोषणा[#] की। नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 28 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 3, 17 से 29, 38 से 49) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री रवनीत सिंह
2. डॉ. महेश शर्मा
3. श्री एस.आर. पार्थिवन
4. श्रीमती महुआ मोड़ना
5. श्रीमती गोड्डेति माधवी
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
8. श्रीमती संगीता आजाद
9. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
10. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
11. श्री दुष्यंत सिंह
12. डॉ. एस.टी. हसन
13. श्री हसनैन मसूदी
14. श्री राजीव प्रताप रूडी
15. *डॉ. मोहम्मद जावेद
16. * श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
17. * श्री तापिर गाव
18. * श्रीमती लॉकेट चटर्जी
19. * श्री राजू बिष्ट
20. *श्री संगमलाल कडेनिन गुप्ता

[#] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

21. *श्री मितेष रमेशभाई पटेल
22. *श्री नारणभाई भीखाभाई काछडिया
23. *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
24. *श्री के. सुब्बारायण
25. श्री वैथिलिंगम वी.
26. *श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
27. *श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर
28. *श्रीमती रीती पाठक
29. *श्री कुलदीप राय शर्मा
30. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
31. *श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी
32. *श्री पी.पी. चौधरी
33. श्री रवि किशन शुक्ला
34. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
35. श्री चन्द्र शेखर बेल्लाना
36. श्री रमेश बिधूडी
37. *श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह
38. श्री संतोष कुमार
39. श्री पी.रविन्द्रनाथ
40. *श्री कौशलेन्द्र कुमार
41. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन
42. श्रीमती नवनित रवि राणा
43. श्री वी.के.श्रीकंदन
44. *श्री पी.आर.नटराजन
45. श्री गोपाल चिनेय्या शेटी
46. *श्री बिद्युत बरन महतो
47. श्री गिरीश चन्द्र
48. श्री श्रीनिवास केसिनेनी
49. *डॉ. मनोज राजोरिया
50. *श्री राहुल रमेश शेवाले
51. श्रीमती हेमा मालिनी
52. श्री एम.के.राघवन
53. डॉ. डी.रविकुमार
54. श्रीमती अपरूपा पोद्दार

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

55. *श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
56. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
57. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस
58. श्री मुनियन सेल्वराज
59. डॉ. थोलकापियन तिरुमावलवन
60. *श्री सी.एन.अन्नादुरई
61. श्री हनुमान बेनीवाल
62. * श्री रामचरण बोहरा
63. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
64. *श्री निहाल चन्द चौहान
65. श्री मणिककम टैगोर बी.
66. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
67. डॉ. राजदीप राय
68. श्री एंटो एन्टोनी
69. *श्री गणेश सिंह
70. डॉ. उमेश जी. जाधव
71. *श्रीमती सुप्रिया सुले
72. *डॉ. निशिकांत दुबे
73. श्री गुरजीत सिंह औजला
74. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
75. श्री हाजी फजलुर रहमान
76. श्रीमती संध्या राय
77. श्री राजमोहन उन्नीथन
78. *श्रीमती जसकौर मीना
79. श्री कीर्ति वर्धन सिंह
80. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
81. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
82. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
83. *श्री देवजी मनसिंगराम पटेल
84. *श्री खनी के. नवास
85. श्री नायब सिंह
86. डॉ. अमर सिंह

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

87. डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी
88. श्री दीपक बैज
89. श्री सनगन्ना अमरप्पा कराडी
90. कुँवर दानिश अली
91. *डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस.
92. *डॉ. गौतम सिगामणि पोन
93. श्री अधीर रंजन चौधरी
94. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
95. *श्री जगदम्बिका पाल

चर्चा पूरी नहीं हुई ।

सायं 7.52 बजे

(लोक सभा बुधवार, 23 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

बुधवार, 23 मार्च, 2022/ 2 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 165

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. *अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

माननीय अध्यक्ष ने सभा की ओर से शहीद दिवस के अवसर पर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी।

तत्पश्चात्, सदस्य दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 284, 289 से 290 और 295 (296 के साथ युग्मित) के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 288, 291 से 294 और 297 से 300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3221 से 3450 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. माननीय अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

माननीय अध्यक्ष ने सदस्यों से सभा की संसदीय परंपरा को बनाए रखने की अपील की।

(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.38 बजे स्थगित हुई)

और मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराह्न 12.01 बजे

5. लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र

(एक) माननीय अध्यक्ष ने सभा को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री अखिलेश यादव ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्होंने 22 मार्च, 2022 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

* पूर्वाह्न 11.37 बजे की गई।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) माननीय अध्यक्ष ने सभा को यह भी सूचित किया कि उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री मोहम्मद आजम खां ने लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है तथा उन्होंने 22 मार्च, 2022 से उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

अपराह्न 12.02 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 927(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 928(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (तीन) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 21 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 35(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 21 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 36(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (पांच) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 40(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (छह) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 41(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 915(अ) में प्रकाशित हुए थे।
 - (नौ) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र

में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 की धारा 33 के अंतर्गत श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएंडए./रेगुलेशन/एएमडीटी/एससीटीआईएमएसटी/2020 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते) ने केआईओसीएल लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (हॉलमार्किंग) संशोधन विनियम, 2022, जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/05/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5314(अ) जो 20 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रेलवे में भर्ती और पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती में हुई प्रगति संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राइट्स लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (तीन) रेल विकास निगम लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (चार) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (पांच) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (छह) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (सात) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (आठ) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (नौ) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा रेल मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (6) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (खुली लाइनें) सामान्य (पहला संशोधन) नियम, 2022, जो 14 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.195(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर ईओयू एंड एसईजेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) तंबाकू बोर्ड, गुंटूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) का.आ. 624(अ) जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मूंग की आयात नीति को 'मुक्त' से प्रतिबंधित में संशोधित किए जाने के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 537(अ) जो 9 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस), 2022-अनुसूची-एक (आयात नीति) के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 836(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-एक (आयात नीति) के अध्याय 85 के आईटीसी (एचएस) 8524 और 8525 के अंतर्गत मदों की आयात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (चार) का.आ. 344(अ) जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मानव बाल की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (पांच) का.आ. 400(अ) जो 31 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सीरिज की निर्यात नीति में संशोधन के बारे में है।
 - (छह) का.आ. 846(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन एंड एपीआई, एम्फोटेरीसिन-बी इंजेक्शन, इनोक्सापारीन (फॉर्मूलेशन एंड एपीआई) और इन्ट्रा-वेनस इमुनोग्लोबुलिन (आईवीआईजी) (फॉर्मूलेशन एंड एपीआई) की निर्यात

नीति में संशोधन के बारे में है।

(सात) का.आ. 1043(अ) जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति 2018, अध्याय 10 अनुसूची-दो, क्रम सं. 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन के बारे में है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ईआरएनईटी इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।

- (दो) नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंकॉरपोरेटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (10) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 55 के अंतर्गत भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति) (पहला संशोधन) विनियम, 2021 (2021 का संख्यांक 3) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ए-12013/13/आरआर/2016-यूआईडीएआई (2021 का संख्यांक 3) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और उसकी अनुषंगियों के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड, कानपुर और उसकी अनुषंगियों का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र और प्रबंधन स्कूल, कोयम्बटूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल रिसर्च एसोसिएशन, थाणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) नॉर्दर्न इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्दर्न इंडिया टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) (एक) बोम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोम्बे टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) मैन-मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मैन-मेड टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) (एक) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1 (ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडिया इंटरनेशनल कंवेन्शन एंड एक्जिबिशन सेंटर लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

- (दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान (संशोधन) परिनियम, 2021 का प्रथम परिनियम जो 11 अक्टूबर, 2021 भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 726 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2022 जो 2 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 97 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आईटीआई लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

7. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) 'रसायन और उर्वरक मंत्रालय (उर्वरक विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में 59वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोध (स्वीकृत किए गए)' के बारे में 60वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) 'आश्वासनों को छोड़े जाने के अनुरोध (स्वीकृत नहीं किए गए)' के बारे में 61वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने वर्ष 2022-23 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. वित्त संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जयंत सिन्हा ने 'चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन विधेयक), 2021' के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का 45वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री शिवकुमार सी. उदासी ने जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए :-

- (1) जल शक्ति मंत्रालय (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में पन्द्रहवां प्रतिवेदन।
- (2) जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में सोलहवां प्रतिवेदन।

11. शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने 'राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021' के बारे में शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 340वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

12. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का इकतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.05 बजे

13. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने रेल मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय रेल की यात्री आरक्षण प्रणाली' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण - प्रौद्योगिकीय साधनों के उपयोग में वृद्धि करना और 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना का कार्यान्वयन' के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (दो) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित 'भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण' के बारे में खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 13वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (3) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'मसाला बोर्ड के क्रियाकलापों और कार्यकरण' के बारे में विभाग से संबद्ध वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 138वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.07 बजे

14. रबड़ बोर्ड के लिए एक सदस्य के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ड) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, जो मंत्री के रूप में नियुक्त हो गई हैं, के स्थान पर रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15. कॉफी बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि कॉफी नियम, 1955 के नियम 3 और 4 के साथ पठित कॉफी अधिनियम, 1942 की धारा 4 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.09 बजे

16. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा हिन्दी और संस्कृत को 'राष्ट्रीय भाषा' का दर्जा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा प्रयागराज और दिल्ली के बीच उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर द्वारा महाराष्ट्र के नांदेड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) मिल का संचालन पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (4) श्री छतर सिंह दरबार द्वारा कृषि उत्पादों के लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (5) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा लोगों को डिजिटल बैंकिंग प्रणाली का प्रशिक्षण देने हेतु कार्यशालाओं के आयोजन के बारे में ।
- (6) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल द्वारा भुज-अजमेर-थराड रेल लाइन के निर्माण के बारे में ।
- (7) श्री मोहन मंडावी द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित गांवों को आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (8) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा गुजरात के मोरबी जिले में एक बाईपास का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा संसद सदस्य हेतु केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश कोटा में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्री नारणभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपारों के चौड़ीकरण के बारे में ।
- (11) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में औषधीय पौधों पर अनुसंधान हेतु एक अनुसंधान एवं विकास केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री राजू बिष्ट द्वारा श्रम संहिता के माध्यम से श्रम सुधारों के कार्यान्वयन के बारे में ।

- (13) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण गैर-कृषि विकास एजेन्सी (आरएनडीए) के कार्यकरण के बारे में ।
- (14) श्री सुदर्शन भगत द्वारा झारखण्ड के गुमला जिले में अंजनधाम का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (15) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा रांची-टोरी रेलगाड़ी को बालूमठ-शिवपुर तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (16) श्री सु. थिरुनवुक्करासर द्वारा ईपीएस-95 पेंशनधारकों की पेंशन राशि को बढ़ाए जाने के बारे में ।
- (17) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा मुन्नार-कोडाईकनाल लिंक रोड के निर्माण को पूरा किए जाने के बारे में ।
- (18) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा अति पिछड़े हिन्दू समुदायों के लिए कल्याणकारी उपाय किए जाने के बारे में ।
- (19) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के बानेश्वरपुर में एक रेल फाटक के निर्माण के बारे में ।
- (20) श्री मददीला गुरुमूर्ति द्वारा तिरुपति संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनआईईएलआईटी) की स्थापना के बारे में ।
- (21) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा जैन तीर्थंकर भगवान महावीर द्वारा निर्वाण प्राप्ति की 2550वीं वर्षगांठ मनाए जाने के बारे में ।
- (22) श्री के. सुब्बारायण द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को संशोधित किए जाने के बारे में ।
- (23) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को आसान शर्तों पर आवश्यक ऋण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (24) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के टोंक जिले में स्थित बिसालपुर बांध से पानी की आपूर्ति राज्य के अन्य हिस्सों में किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराहन 12.10 बजे

17. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

लिया गया समय: 7 घंटे 53 मिनट

नागर विमानन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांग संख्या 8 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे:-

1. श्री टी.आर. पारिवेन्धर
2. श्री राजेश चुड़ासमा
3. श्री उन्मेश बी. पाटिल
4. श्री धनुष एम. कुमार

5. डॉ. भारतीबेन डी. श्याल
6. श्री जी. सेल्वम
7. श्री अरुण कुमार सागर

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे तथा अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदान की मांग संख्या 8 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए नागर विमानन मंत्रालय उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

***अपराहन 3.07 बजे**

17. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 6 घंटे
लिया गया समय: 5 घंटे 5 मिनट
शेष समय: 55 मिनट

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 10 और 11 पर चर्चा आरंभ हुई।
अध्यक्षपीठ ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 3 कटौती प्रस्ताव (संख्या 1 से 3) को पेश किए गए।
निम्नलिखित सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया:-

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. श्री शिवकुमार सी. उदासी
3. श्री सुदीप बंदोपाध्याय
4. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी
5. श्री कौशलेन्द्र कुमार
6. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
7. डॉ. डीएनवी सैथिलकुमार एस.
8. श्री पिनाकी मिश्रा
9. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
10. श्रीमती अपराजिता सारंगी
11. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
12. *श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
13. *डॉ. मनोज राजोरिया

* अपराहन 1.41 बजे से अपराहन 3.07 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए।

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

14. श्री राम शिरोमणि वर्मा
15. *श्री कुलदीप राय शर्मा
16. श्री कानी के. नवास
17. श्री थोमस चाजिकाडन
18. *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
19. श्रीमती सुप्रिया सुले
20. *श्री सी.एन. अन्नादुरई
21. *श्री नारनभाई भीखाभाई काछड़िया
22. श्री हनुमान बेनीवाल
23. *डॉ. गौतम सिगामणि पोन
24. श्री गौरव गोगोई
25. श्री रतन लाल कटारिया
26. श्री विजय कुमार
27. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
28. *श्री गणेशन सेल्वम
29. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
30. *श्री धनुष एम. कुमार
31. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
32. श्री रितेश पाण्डेय
33. *डॉ. उमेश जी. जाधव
34. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
35. श्री विनोद कुमार सोनकर
36. *श्री वी.के. श्रीकंदन
37. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
38. *श्री जगदम्बिका पाल
39. श्री एस. जगतरक्षकन
40. डॉ. निशिकांत दुबे
41. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
42. श्री भगीरथ चौधरी
43. कुंवर दानिश अली
44. श्री देवजी मानसिंहराम पटेल
45. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
46. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
47. श्री गुरजीत सिंह औजला
48. श्री राजेन्द्र अग्रवाल

चर्चा पूरी नहीं हुई।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

रात्रि 8.12 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 24 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 24 मार्च, 2022/ 3 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 166

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 301, 303, 304 (308, 309 और 316 के साथ युग्मित), 305 और 306 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 307 और 309 से 320 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3451 से 3680 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.06 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 108(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(6) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) का.आ. 625(अ) जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 12क (नया एनएच-30) के डिजाइन किलोमीटर 21.850 से किलोमीटर 85.400 (वर्तमान किलोमीटर 22.800 से 89.600) तक बरेला-मण्डला खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (दो) का.आ. 626(अ) जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मध्य प्रदेश राज्य में एनएच 26क (नया राष्ट्रीय राजमार्ग 934) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 76.690 तक सागर-बीना खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (तीन) का.आ. 627(अ) जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 248क के डिजाइन किलोमीटर 0.340 से किलोमीटर 22.136 (वर्तमान किलोमीटर 2.740 से 24.536) तक गुड़गांव-सोहना खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (चार) का.आ. 721(अ) जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 215 (नया एनएच-520) के डिजाइन किलोमीटर 163.000 से किलोमीटर 206.200 (वर्तमान किलोमीटर 163.000 से 206.200) तक रिमूली-कोण्डा खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (पांच) का.आ. 726(अ) जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 703ख के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 33.611 (वर्तमान किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 33.611) तक मोगा-मखु खंड तथा डिजाइन किलोमीटर 44.680 से किलोमीटर 86.236 (वर्तमान किलोमीटर 44.680 से किलोमीटर 86.236) तक हरिके-खालरा खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (छह) का.आ. 730(अ) जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के डिजाइन किलोमीटर 531.775 से किलोमीटर 598.450 (वर्तमान किलोमीटर 531.250 से किलोमीटर 597.946) तक कुंकुरी से सीजी/जेएच सीमा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (सात) का.आ. 904(अ) जो 2 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा हाइब्रिड एन्युटी मोड पर राजस्थान राज्य में भारतमाला परियोजना के अंतर्गत एनएच-911 (डिजाइन चैनेज 1.430 से 182.725) के पूगल-दंतोर-जगासर-गोकुल-गोड्डु-रंजीतपुरा-चरणवाला-नौख-बाप खंड तथा खाजूवाला-पूगल खंड (डिजाइन चैनेज 0.000 से 30.812) को 2/4 लेन करने की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।

- (आठ) का.आ. 949(अ) जो 2 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 49 (पुराना एनएच-200) के डिजाइन किलोमीटर 216.334 से किलोमीटर 276. 786 (वर्तमान किलोमीटर 241.553 से 312.600) तक मसानियाकला से रेंगापल्ली/ओडिशा सीमा खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 950(अ) जो 2 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 334(ख) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 48.260 (किलोमीटर 41. 360 से 45.840 को छोड़कर) तक मेरठ से हरियाणा सीमा वाया बागपत खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (दस) का.आ. 997(अ) जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ईपीसी आधार पर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 63 के डिजाइन किलोमीटर 499.500 से किलोमीटर 504.300 (वर्तमान किलोमीटर 56.075 से किलोमीटर 60.875) से पहुंच मार्गों के साथ प्रणहिता नदी पुल की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 999(अ) जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 352क की निचली तालिका एक के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.505 (वर्तमान किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.505) के जिन्द-गोहाना खंड की दो लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 1000(अ) जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 07 (पुराना एनएच सं. 15) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 38.664 (वर्तमान किलोमीटर 123.200 से किलोमीटर 84.600) के बठिंडा से मलोट खंड की चार लेन परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 1015(अ) जो 8 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कर्नाटक राज्य में एनएच-63 के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 128.850 से किलोमीटर 272.571 (वर्तमान किलोमीटर 129.549 से किलोमीटर 267.000) के हुबली होस्पेट खंड की परियोजना के लिए उपयोक्ता शुल्क संबंधी अधिसूचना के बारे में है।
- (चौदह) का.आ.4882(अ) जो 26 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पन्द्रह) का.आ.4906(अ) जो 30 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, महाराष्ट्र राज्य में, उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के खण्डों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
- (सोलह) का.आ.4907(अ) जो 30 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (सत्रह) का.आ.5240 (अ) जो 16 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

- (अठारह) का.आ.5322(अ) जो 21 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (उन्नीस) का.आ.5368(अ) जो 23 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में नए राजमार्ग सं. 152छ की घोषणा के बारे में है।
- (बीस) का.आ.5432(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राजमार्ग सं. एनई 4ग और 125क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के बारे में है।
- (इक्कीस) का.आ.5440 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (बाईस) का.आ.5441 (अ) जो 29 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (तेईस) का.आ.91(अ) जो 7 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में राजमार्ग सं. 107ख और 134क को नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ.92 (अ) जो 7 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अप्रैल, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.689(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।
- (पच्चीस) का.आ.263 (अ) जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) डीएनएच पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) डीएनएच पाँवर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सिलवासा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) फोरम ऑफ रेगुलेटर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
 (दो) नेशनल पॉवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ-राज्यक्षेत्रों के लिए), गुरुग्राम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) समुचित आयोग के सदस्य के विरुद्ध जांच संचालित करने के लिए प्रक्रिया (संशोधन) नियम, जो 3 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अनुषंगी सेवाएं) विनियम, 2022 जो 12 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/3)2019-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 (दो) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 (तीन) खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ओएनजीसी, पश्चिमी अपतट में जल प्रविष्टन प्रचालनों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (2021 का संख्यांक 19)- अनुपालन लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (परामर्शदाताओं की नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2021 जो 30 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. पीएनजीआरबी/एडमिन/12-एचआर(05)/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
 - (दो) इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
 - (तीन) बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) आवासन और शहरी विकास निगम लिमिटेड तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता-ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (क) (एक) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन,

- लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ख) (एक) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ग) (एक) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (घ) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (ङ) (एक) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (3) उपर्युक्त (2) की मद सं. (घ) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) तथा मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अधिसूचना सं. का.आ.5340(अ), जो 23 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की

तारीख से उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर महानगर क्षेत्र तक किया गया है।

- (दो) का.आ. 852(अ) जो 25 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बंगलोर महानगर पालिका क्षेत्र के संबंध में भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की अनुसूची में बंगलोर मेट्रो रेल परियोजना फेस-1, फेस-2 और फेस-2क और इसके गलियारों के मेट्रो संरेखणों को जोड़ा गया है।
- (तीन) अधिसूचना सं. का.आ.755(अ), जो 17 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बिहार राज्य के पटना नगर निगम और दानापुर नगर परिषद क्षेत्र तक किया गया है।
- (7) (एक) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

(एक) कि राज्य सभा को 14 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित, जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा को 14 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित, जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि 14 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोकसभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोकसभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्यों के नामों को संसूचित किया, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं:-

1. श्री शक्तिसिंह गोहिल
2. श्री भुवनेश्वर कलीता
3. डॉ. अमर पटनायक
4. डॉ. सी.एम. रमेश
5. श्री वी. विजयसाई रेड्डी
6. डॉ. एम. थंबीदुरई
7. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

(चार) कि 14 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए लोकसभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयोजित किए जाने के लिए राज्य सभा से सात सदस्यों को नामनिर्दिष्ट करने के लिए लोकसभा की सिफारिश से सहमति व्यक्त की और राज्य सभा के निम्नलिखित सात सदस्यों के नामों को संसूचित किया, जो उक्त समिति के लिए निर्वाचित किए गए हैं:-

1. श्री अनिल देसाई
2. सुश्री इंदु बाला गोस्वामी
3. श्री सैय्यद नासिर हुसैन
4. डॉ. अनिल जैन
5. श्री प्रकाश जावड़ेकर
6. डॉ. अमर पटनायक
7. श्री एम. शनमुगम

(पांच) कि 14 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में, राज्य सभा ने 1 मई, 2022 से आरंभ होने वाले और 30 अप्रैल, 2023 को समाप्त होने वाले कार्यकाल के लिए दोनों सभाओं की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया और उक्त समिति में कार्य करने और वर्तमान सत्र के दौरान शेष एक रिक्ति को भरे जाने के लिए राज्य सभा के निम्नलिखित नौ सदस्यों को निर्वाचित किया: -

1. श्री अबीर रंजन बिस्वास
2. श्री नीरज डांगी
3. श्रीमती कान्ता कर्दम
4. श्री समीर उरांव
5. श्री अंतियुर पी. सेल्वारसू
6. श्री राम शकल
7. डॉ. वी. शिवादासन
8. डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी
9. श्री कामाख्या प्रसाद तासा

5. सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री संतोष कुमार गंगवार ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एचएएल)' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सीओपीयू (17वीं लोक सभा) का 14वां प्रतिवेदन।
- (2) 'एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सीओपीयू (17वीं लोक सभा) का 15वां प्रतिवेदन।
- (3) 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से संबंधित अविवेकपूर्ण निम्नांकन के कारण हानि और उचित जोखिम आंकलन की कमी [2019 के सीएजी प्रतिवेदन संख्यांक 13 के पैरा संख्या 3.2 के आधार पर]' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सीओपीयू (17वीं लोक सभा) का 16वां प्रतिवेदन।

6. विदेशी मामलों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री पी.पी. चौधरी ने विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) का 'कोविड-19 वैश्विक महामारी - वैश्विक प्रत्युत्तर, भारत का योगदान और भावी योजना' विषय के बारे में 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 37वां प्रतिवेदन।
- (दो) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 38वां प्रतिवेदन।
- (तीन) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 39वां प्रतिवेदन।
- (चार) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 40वां प्रतिवेदन।
- (पांच) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 41वां प्रतिवेदन।
- (छह) सहकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) संबंधी 42वां प्रतिवेदन।

8. कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री पी.सी. गद्दीगौदर ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे-की-गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (एक) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि और किसान कल्याण विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।
- (दो) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 32वां प्रतिवेदन।
- (तीन) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (पशु पालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 28वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 35वां प्रतिवेदन।

9. आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री जगदम्बिका पाल ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में आवासन और शहरी कार्य संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

10. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में समिति (2021-22) का इकतीसवां प्रतिवेदन।
- (2) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में समिति (2021-22) का बत्तीसवां प्रतिवेदन।
- (3) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों 2022-23 के बारे में समिति (2021-22) का तैंतीसवां प्रतिवेदन।

11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2021-22 (मांग सं. 44) के बारे में 126वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 133वां प्रतिवेदन।
- (2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों 2022-23 (मांग सं. 46) के बारे में 134वां प्रतिवेदन।
- (3) स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग सं. 47) के बारे में 135वां प्रतिवेदन।
- (4) आयुष मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) (मांग सं. 4) के बारे में 136वां प्रतिवेदन।

12. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री कानुमुरु रघु राम कृष्ण राजू ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 112वां प्रतिवेदन।
- (2) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 113वां प्रतिवेदन।
- (3) विधायी विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 114वां प्रतिवेदन।
- (4) विधि कार्य विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 115वां प्रतिवेदन।
- (5) न्याय विभाग की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में 116वां प्रतिवेदन।

13. प्रस्ताव

श्री हरदीप सिंह पुरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 23 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के इकतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.14 बजे

14. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना के अंतर्गत बिहार में गया जिले में एसएच-69 को झारखण्ड के पलामू जिले में एनएच-139 से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (2) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर और सिरोंही जिलों में तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों के विकास और दाय स्मारकों के रखरखाव और अनुरक्षण हेतु प्रसाद योजना के अंतर्गत धन उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (3) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में देवनारायण मंदिर को खोले जाने के बारे में।
- (4) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनएच-91 के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में ।
- (5) प्रो. रीता बहुगुणा जोशी द्वारा दूरदर्शन के अनालॉग ट्रांसमीटरों के उन्नयन और डिजिटलीकरण के बारे में।
- (6) श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा डीएसएस अधिकारियों के कल्याण हेतु सहाय समिति की सिफारिशों को लागू किए जाने के बारे में ।
- (7) श्री रोडमल नागर द्वारा मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

- (8) श्री रामचरण बोहरा द्वारा प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पारम्परिक स्थानीय भोजन और उनकी पाक विधि को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (9) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा राजस्थान के सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय सेना का भर्ती मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (10) श्रीमती रंजीता कोली द्वारा राजस्थान के भरतपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय सेना का भर्ती मुख्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (11) डॉ. मनोज राजोरिया द्वारा धौलपुर और भरतपुर जिलों में जाट समुदाय को ओबीसी की केन्द्रीय सूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (12) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा ट्रेन संख्या 12677/12678 एरनाकुलम-बंगलौर-एरनाकुलम इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव केरल के ओट्टापपलम रेलवे स्टेशन पर दिए जाने के बारे में ।
- (13) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा नदी प्रणालियों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के बारे में ।
- (14) श्री एस.आर. पार्थिवन द्वारा ईपीएफ पर ब्याज दर में कटौती के बारे में ।
- (15) श्री कुरुवा गोरांतला माधव द्वारा रायलसीमा लिफ्ट इरीगेशन परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान किए जाने के बारे में ।
- (16) श्री राजेन्द्र धेड़्या गावित द्वारा पालघर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय मानकों का पालन न किए जाने के बारे में ।
- (17) श्रीमती नवनित रवि राणा द्वारा एलआईसी एजेंटों की शिकायतों के समाधान की आवश्यकता के बारे में ।

अपराहन 12.14 बजे

15. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 6 घंटे
लिया गया समय: 6 घंटे 10 मिनट

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 10 और 11 पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने अपने लिखित भाषण सभा पटल पर रखे-

1. श्री मलूक नागर
2. श्री एस.आर. पार्थिवन
3. डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
4. श्री पी.पी. चौधरी
5. श्री मितेष रमेशभाई पटेल
6. श्री राजू बिष्ट
7. श्रीमती रीती पाठक

8. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिज़ाची थंगापंडियन
9. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
10. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
11. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
12. डॉ. मोहम्मद जावेद
13. श्री गिरीश चन्द्र
14. श्री हसनैन मसूदी
15. श्रीमती अगाथा के. संगमा
16. श्री दुर्ई मुरुगन कथीर आनन्द

श्री पीयूष गोयल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदानों की मांग संख्या 10 और 11 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

अपराहन 1.19 बजे

16. केन्द्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

आवंटित समय: 4 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटे 41 मिनट

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांग संख्या 78 पर चर्चा आरंभ हुई।

अध्यक्ष ने कटौती प्रस्ताव पेश किए जाने के संबंध में #घोषणा की।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन 21 कटौती प्रस्ताव (संख्या 11 से 20, 24 तथा 29 से 38) पेश किए गए।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद विवाद में भाग लिया:-

1. श्री टी.एन. प्रथापन
1. श्री दिलीप शाङ्किया श्री टी. एन. प्रथापन
2. श्री दिलीप शङ्किया
3. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

5. *श्री डीएनवी सेंथिलकुमार एस.
6. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
7. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
8. डॉ. आलोक कुमार सुमन
9. *श्री पी. पी. चौधरी
10. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
11. श्री अनुभव मोहंती
12. *श्रीमती रंजनबेन धनंजय भट्ट
13. *श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत
14. श्री फ्रांसिस्को कोसमे सर्दिन्हा
15. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल
16. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
17. *श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया
18. एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
19. श्री पी. रविन्द्रनाथ
20. *श्री नारणभाई भिखाभाई काछडिया
21. प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी
22. डॉ. के. जयकुमार
23. *श्री मितेष रमेशभाई पटेल
24. *श्री वी. के. श्रीकंदन
25. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
26. *श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
27. *श्रीमती अपरूपा पोद्दार
28. श्री थोमस चाज़िकाडन
29. *डॉ. भारतीबेन धीरुभाई श्याल
30. *एडवोकेट डीन कुरियाकोस
31. @डॉ.मनसुख मांडविया
32. *श्री सी.एन अन्नादुरई
33. *श्री जगदम्बिका पाल
34. डॉ. शशि थरूर
35. *श्री दीपसिंह शंकरसिंह राठौड़

@ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्री

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

36. *श्री मुनियन सेल्वराज
37. *श्री खनी के. नवास
38. कुंवर दानिश अली
39. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
40. *श्री बैन्नी बेहनन
41. *श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
42. श्री रेड्डेप्प नालकोंडा गरी
43. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
44. श्री हनुमान बेनीवाल
45. श्री जसबीर सिंह गिल
46. श्रीमती गीता विश्वनाथ वांगा
47. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
48. *श्री कुरुवा गोरंतला माधव
49. *श्री धनुष एम. कुमार
50. *डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
51. *श्रीमती सुप्रिया सुले
52. *श्री देवजी मनसिंगराम पटेल
53. *डॉ. उमेश जी. जाधव
54. *डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर
55. *श्रीमती रीती पाठक
56. *श्री राहुल रमेश शेवाले
57. *डॉ. डी. रवि कुमार
58. *श्री थोलकप्पियन तिरुमावलवन
59. *श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम
60. *श्री राजेशभाई नारणभाई चुडासमा
61. *श्री मलूक नागर

श्री सर्वानन्द सोनोवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।
सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों - बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तंभ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए अनुदानों की मांग संख्या 78 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों), जिसके लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय उत्तरदायी है, पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

सायं 6.00 बजे

17. केंद्रीय बजट - 2022-2023 - अनुदानों की मांगें

अध्यक्ष ने घोषित⁵ किया कि सभी कटौती प्रस्ताव, जो वर्ष 2022-23 के लिए बजट (सामान्य) अनुदानों की मांगों के संबंध में परिचालित किए गए थे, पेश किए माने जाएं।

सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए माने गए थे, अस्वीकृत हुए।

निम्नलिखित अनुदानों की लंबित मांगें (राजस्व लेखा और पूंजीगत लेखा, दोनों) वर्ष 2022-2023 के लिए अनुदानों की मांगे-बजट (सामान्य) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शाई गई राशि के लिए सभा के मतदान हेतु रखी गई तथा वे पूरी-पूरी स्वीकृत हुई:-

- (1) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 1 और 2;
- (2) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित मांग संख्या 3;
- (3) आयुष मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 4;
- (4) रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 5 से 7;
- (5) कोयला मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 9;
- (6) संचार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 12 और 13;
- (7) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 14 और 15;
- (8) सहकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 16;
- (9) कारपोरेट कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 17;
- (10) संस्कृति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 18;
- (11) रक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 19 से 22;
- (12) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 23;
- (13) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 24;
- (14) शिक्षा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 25 और 26;
- (15) इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 27;

⁵ मूल हिन्दी में। विस्तृत विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

- (16) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 28;
- (17) विदेश मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 29;
- (18) वित्त मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 30 से 38, 41 और 42;
- (19) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 43 और 44;
- (20) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 45;
- (21) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 46 और 47;
- (22) भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 48;
- (23) गृह मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 49 से 59;
- (24) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 60;
- (25) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 61;
- (26) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 62 और 63;
- (27) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 64;
- (28) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 65 और 66;
- (29) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68;
- (30) खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 69;
- (31) अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 70;
- (32) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 71;
- (33) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 72;
- (34) संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 73;
- (35) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 74;
- (36) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 76;
- (37) योजना मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 77;
- (38) विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 79;
- (39) लोक सभा से संबंधित मांग संख्या 81;
- (40) राज्य सभा से संबंधित मांग संख्या 82;
- (41) उप-राष्ट्रपति सचिवालय से संबंधित मांग संख्या 83;
- (42) ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 87 और 88;
- (43) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 89 से 91;
- (44) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 92;
- (45) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 93 और 94;
- (46) अंतरिक्ष विभाग से संबंधित मांग संख्या 95;
- (47) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 96;
- (48) इस्पात मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 97;
- (49) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 98;

- (50) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 99;
- (51) जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 100;
- (52) महिला और बाल विकास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 101; और
- (53) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 102।

सायं 6.08 बजे

18. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग विधेयक, 2022

19. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग विधेयक, 2022

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

अनुसूची स्वीकृत हुई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 25 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

सायं 6.10 बजे से सायं 7.00 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

शुक्रवार, 25 मार्च, 2022/ 4 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 167

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 321 से 327 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 328 से 340 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3681 से 3910 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

मध्याह्न 12.00 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(तीन) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन ।
(चार) मुम्बई पत्तन न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) (एक) मुम्बई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मुम्बई पत्तन न्यास, पेंशन निधि न्यास, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (5) (एक) चेन्नई पतन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चेन्नई पतन न्यास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) इंडियन मैरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे ।
- (दो) इंडियन मैरीटाईम यूनिवर्सिटी, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) वी.ओ. चिदम्बरनार पतन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वी.ओ. चिदम्बरनार पतन न्यास, तूतीकोरिन के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
- (10) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-
- (1) (एक) यूटी चंडीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) यूटी चंडीगढ़ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) चंडीगढ़ संघ-राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चंडीगढ़ संघ-राज्यक्षेत्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 के साथ पठित धारा 77 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2022, जो 6 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 72(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) (एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण ।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मिश्र धातु निगम लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (दो) गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (तीन) माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (चार) भारत डायनामिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।

- (पांच) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (छह) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (सात) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (आठ) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2020-2021 के लिए हुआ समझौता-ज्ञापन ।
- (4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने नालन्दा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नालन्दा विश्वविद्यालय (अकादमिक) अध्यादेश, 2021, जो 8 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. एस/321/8/2018 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.1605/एफएसएसएआई/आयात/2016(भाग-2) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) छठा संशोधन विनियम, 2021, जो 27 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.एमएंडएमपी/ अधिसूचना (05)/एफएसएसएआई-2019 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) पहला संशोधन विनियम, 2022, जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं.मानक/एसपी-08/ए-1.2019/एन-01में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 292 (अ) जो 21 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2022 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है जिससे उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 291 (अ) जो 21 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 जनवरी, 2022 को उस तिथि के रूप में नियत किया गया है जिससे उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग (कठिनाईयों को दूर करना) दूसरा आदेश, 2021 जो 24 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का. आ. 4842 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) भेषजी अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उप-धारा (4) के अंतर्गत "डिप्लोमा इन फार्मसी एक्जिट एक्जामिनेशन विनियम, 2022 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 14-285/2021-पीसीआई में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, गाजियाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) पेस्ट्रूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) पेस्ट्रूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कूनूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान अकादमी (भारत), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) एचएलएल बायोटेक लिमिटेड, तिरुवनंतपुरम का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
- (दो) इंडियन मेडिसिंस फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामनिर्देशन की रीति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) संशोधन नियम, 2022 जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 115(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 57 की उप-धारा (2) के अंतर्गत होम्योपैथी राष्ट्रीय आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2022 जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 650(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (सदस्यों की नियुक्ति और नामनिर्देशन की रीति, उनके वेतन, भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आस्तियों, पेशेवर और वाणिज्यिक वचनबन्ध की घोषणा) संशोधन नियम, 2022 जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (पूर्व-स्नातक आयुर्वेद शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 जो 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीओए/रेगुलेशन/यूजी/7-10/2021 में प्रकाशित हुए थे।
- (24) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 57 की उप-धारा (2) के अंतर्गत राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान पद्धति आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2022 जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 652(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. विदेशी मामलों संबंधी समिति का विवरण

श्री पी.पी. चौधरी ने वर्ष 2020-21 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के उत्तरों संबंधी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) पीएनजी और सीएनजी सहित राष्ट्रीय गैस ग्रिड' विषय के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन।
- (2) 'रिटेल आउटलेट और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का आवंटन' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (2020-21) के आठवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री; तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने 'आयुष कॉलेज/संस्थान' के बारे में डॉ. विष्णु प्रसाद एम.के., संसद सदस्य द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 657 के 4 फरवरी, 2022 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 12.04 बजे

7. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सोमवार, 28 मार्च 2022 से आरंभ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

8. राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

डॉ. मनसुख मांडविया ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 17(2)(ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो महिला सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 12.06 बजे

9. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, श्री गौरव गोगोई, श्री रितेश पाण्डेय और श्री मनीश तिवारी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया तथा मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पुरःस्थापित हुआ।

अपराहन 12.20 बजे

10. गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का स्थगन

श्री प्रहलाद जोशी ने माननीय अध्यक्ष से गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित करने तथा वित्त विधेयक पर चर्चा किए जाने का अनुरोध किया।

सभा सहमत हुई।

अपराहन 12.21 बजे

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा बेलूरघाट विमानपत्तन को खोले जाने तथा विमान सेवाएं पुनः आरम्भ किए जाने के बारे में ।
- (2) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा मछुआरा समुदाय के लिए विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने के बारे में ।
- (3) श्री गौरव गोगोई द्वारा विचाराधीन कैदियों की दशा के बारे में ।
- (4) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा ऋण चुकाने के बारे में ।
- (5) डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर द्वारा तमिलनाडु के पेरम्बलुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कुलिथलाई-मानापराई मार्ग पर रेल उपरिपुल का निर्माण किए के बारे में ।
- (6) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बारे में ।
- (7) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु उपचारात्मक कार्रवाई किए जाने के बारे में ।

*अपराहन 12.28 बजे

12. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती नवनिता राणा ने उनके साथ महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार के संबंध में निवेदन किया।

श्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर दिया।

⁵ संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री

* अपराहन 12.22 बजे से अपराहन 12.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 12.29 बजे

13. सरकारी विधेयक-पारित

वित्त विधेयक, 2022

आवंटित समय: 4 घंटे

लिया गया समय : 4 घंटे 37 मिनट

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया :-

1. श्री गौरव गोगोई
2. डॉ. निशिकांत दुबे
3. श्री के. षण्मुग सुंदरम
4. श्रीमती शताब्दी राय (बनर्जी)
5. श्री जयदेव गल्ला
6. श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले
7. श्री के. मुरलीधरन
8. श्रीमती सुनीता दुग्गल
9. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री कौशलेन्द्र कुमार
12. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
13. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
14. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
15. डॉ. डी.रविकुमार
16. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
17. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
18. कुंवर दानिश अली
19. श्री सौमित्र खान
20. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
21. श्री रितेश पाण्डेय

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 4, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 5 से 9 स्वीकृत हुए।

खंड 10 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 17 से 20 स्वीकृत हुए।

खंड 21 से 27 स्वीकृत हुए।

खंड 28, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 29 से 37 स्वीकृत हुए।

खंड 38, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 39 से 47 स्वीकृत हुए।

खंड 48, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 49, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने नियम 388 के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"यह कि यह सभा, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 80 के खंड (i) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खण्ड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, वित्त विधेयक, 2022 की सरकारी संशोधन संख्या 16 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नए खंड 49क के अंतःस्थापन के लिए एक संशोधन स्वीकृत हुआ।

नया खंड 49क भी स्वीकृत हुआ।

खंड 50 और 51 स्वीकृत हुए।

खंड 52, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 53, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 54, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 55 से 57 स्वीकृत हुए।

खंड 58, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 59, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 60 से 65 स्वीकृत हुए।

खंड 66 से 92 स्वीकृत हुए।

खंड 93, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 94, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 95 से 97 स्वीकृत हुए।

खंड 98, यथासंशोधित स्वीकृत हुआ।

खंड 99 से 102 स्वीकृत हुए।

खंड 103 से 125 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।

तीसरी अनुसूची, यथासंशोधित, स्वीकृत हुई।

चौथी अनुसूची से नौवी अनुसूची तक स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विधेयक, यथासंशोधित, को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने टिप्पणी[%] की कि चूंकि विधेयक में एक नया खंड जोड़ा गया है, अतः पश्चातवर्ती खंडों को पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।

***14. मंत्री द्वारा स्वयंमेव वक्तव्य**

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री तथा आयुष मंत्री (श्री सर्वानन्द सोनोवाल) ने जामनगर, गुजरात में डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के बारे में वक्तव्य दिया।

सायं 6.13 बजे

(लोक सभा सोमवार, 28 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

[%] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

^{*} सायं 6.00 बजे दिया गया।

[#] अपराह्न 5.06 बजे से सायं 6.13 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

सोमवार, 28 मार्च, 2022/ 7 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 168

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 341 से 346, 347 (349 के साथ युग्मित*) और 348 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 350 से 360 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 से 4084 और 4086 से 4140 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 30 ख के अंतर्गत चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विनियम 2022, जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 1-सीए(7)/198/2021 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, हस्तांतरण और प्रतिदाय) तीसरा संशोधन नियम, 2021, जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 888 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 79 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी (दूसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 173 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) का.आ. 832(अ) जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी अंडमान और

* कोई पूरक प्रश्न नहीं पूछे गए।

निकोबार तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण का, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों के साथ, गठन करना है।

- (दो) का.आ. 136(अ) जो 17 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो 'चूना भट्टों में पेटकोक के विक्रय और उपयोग' के बारे में है।
- (2) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 26 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2022 जो 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद के वर्ष 2017-2018 से 2019-2020

के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ई-सत्यापन योजना, 2021 जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 5187(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(दो) फेसलैस अपील योजना, 2021 जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.5429(अ) में प्रकाशित हुई थी और उसका शुद्धिपत्र, जो 7 जनवरी, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 90(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.15(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(चार) आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.24(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(पांच) प्रतिभूति संव्यवहार कर (पहला संशोधन) नियम, 2022 जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.25(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(छह) "ई-एडवांस रूलिंग स्कीम, 2022" जो 18 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 248(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

(4) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 29 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन तथा विवरणियां और वक्तव्य तथा अन्य ब्यौरे) नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 167(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप) नियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंश्योरेंस वेब एग्जीगेटर) विनियम, 2022 जो 1 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/आरईजी021 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (फिनटेक इंसेंटिव) योजना, 2022 जो 4 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईएफएससीए/2021-22/जीएन/021 में प्रकाशित हुई थी।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वाल्ट प्रबंधक) विनियम, 2022 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/61 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निपटान कार्यवाही) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/62 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/62 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/67 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड की मान्यता के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित अनुचित व्यापार प्रथाओं और धोखाधड़ी का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/71 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड {केवाईसी (अपने ग्राहक को जाने) पंजीकरण एजेंसी} (संशोधन) विनियम, 2022 जो 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/72 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर दलाल) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/73 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/74 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 14 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/63 में प्रकाशित हुए थे।

- (दस) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/68 में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/69 में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (म्युचुअल फंड्स) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 25 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/70 में प्रकाशित हुए थे।
- (तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (जांच करने और शास्तियां आरोपित करने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 919(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (6) प्रतिभूति प्रसंविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिभूति प्रसंविदा (जांच करने और शास्तियां आरोपित करने की प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 931(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27 के अंतर्गत निक्षेपागार (जांच करने और शास्तियां लगाने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2021 जो 31 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.932(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.193(अ) जो 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 02/2017-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (दो) सा.का.नि.159(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 मार्च, 2020 की अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि.929(अ) जो 31 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 28 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या 07/2020-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

- (दो) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(2) के अंतर्गत 2022 का तदर्थ छूट आदेश संख्यांक 1 दिनांक 17 जनवरी, 2022 जो आयातित माल पर सीमा-शुल्क के भुगतान से तदर्थ छूट प्रदान किए जाने के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) का.आ.404(अ) जो 31 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) अधिसूचना संख्या 08/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 फरवरी, 2022 की जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (पांच) का.आ.690(अ) जो 15 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (छह) अधिसूचना संख्या 08/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 17 फरवरी, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) का.आ.900(अ) जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) अधिसूचना संख्या 13/2022-सीमाशुल्क (एन.टी.) दिनांक 3 मार्च, 2022 जो आयातित और निर्यातित माल के मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में परिवर्तित करने की संशोधित दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) का.आ.1024(अ) जो 8 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर खाद्य तेल, ब्राँस-स्क्रेप, स्वर्ण, चांदी और सुपारी पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि.111(अ) जो 12 फरवरी, 2022 भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कच्चे पाम ऑयल और लेंटिल्स (मसूर) पर कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (एआईडीसी) को युक्तिसंगत बनाकर क्रमशः 5% और शून्य किए जाने तथा उक्त सूचनाओं की वैधता को 30 सितम्बर, 2022 तक बढ़ाने के लिए 13.10.2021 की अधिसूचना संख्या 48/2021-सीमा-शुल्क और संख्या 49/2021 सीमा शुल्क में संशोधन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (10) सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सा.का.नि. 38(अ) जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से आयातित 'पीवीसी फ्लैक्स फिल्मस' पर आरोपित प्रतिपाटन शुल्क को हटाने के लिए 8 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या 42/2016-सीमा-शुल्क (एडीडी) को निरसित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (दो) सा.का.नि. 114(अ) जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित "एल्युमीनियम फाईल, जिसकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक हो" के आयात पर 16 मई, 2017 की अधिसूचना सं. 23/2017-सीमा शुल्क (एडीडी) के द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क का, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा उक्त प्रतिपाटन शुल्क पर की जा रही सनसेट रिव्यू जांच को पूरा किए जाने के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, एक माह की और अवधि अर्थात् 15 जून, 2022 तक के लिए विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (तीन) सा.का.नि. 160(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से आयातित "ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पोर्सिलीन/विट्रीफाइड टायल्स, जो पोलिशड अथवा अन पोलिशड हों और जिनकी जल अवशोषण क्षमता 3% से कम हो" पर डीजीटीआर की सिफारिश के आधार पर पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रतिपाटन शुल्क आरोपित करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।
- (चार) सा.का.नि. 157(अ) जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय नेपाल और बांग्लादेश से जूट उत्पादों के आयात पर 5 जनवरी, 2017 की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा आरोपित प्रतिपाटन शुल्क के उद्ग्रहण का 30 जून, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक जापन।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर, उदयपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उप-धारा (4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 2022, जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे :-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा- संघ राज्यक्षेत्र अभियान प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) समग्र शिक्षा- संघ राज्य-क्षेत्र अभियान प्राधिकरण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा अरुणाचल प्रदेश, इटानगर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा असम, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा नागालैंड, कोहिमा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उप-धारा (2) के अंतर्गत सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. रेफ. सं. एसएचजीबी/एचआरडीडी/2019/1241 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तीयन बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 33 के अंतर्गत राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तीयन सामान्य विनियम, 2022 जो 3 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ. सं. 02/एनएबीएफआईडी/2021-22 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) हरियाणा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, महेन्द्रगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (13) (एक) झारखंड केन्द्रीय विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, रुड़की के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय), वाराणसी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर, गांधीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इन्दौर, इन्दौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पालक्काड़, पालक्काड़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी जापन।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (41) (एक) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कर्नाटक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, कलबुर्गी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जम्मू केन्द्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) तमिलनाडु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, थिरुवरूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ईटानगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग (नॉर्दर्न रीजन), कानपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (55) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरत्कल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सूरत्कल के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला

विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (59) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 48 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1005(अ) जो 7 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, रायचूर के अध्यादेशों को प्रख्यापित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (60) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 40 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या आईजी/एसीडी/छठा सीपीसी/सीएस/2016-17/2975 जो 15 जनवरी, 2022 के भारत के साप्ताहिक राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो छठे सीपीसी के अनुसार अध्यापक कैरियर एडवांसमेंट स्कीम और शिक्षाविद् कैरियर एडवांसमेंट स्कीम संबंधी अध्यादेश के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. याचिका समिति के प्रतिवेदन

श्री हरीश द्विवेदी ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, शहीद भगत सिंह मार्ग, नई दिल्ली के संबंध में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी) के प्रबंधन द्वारा सुरक्षा सेवाओं की बकाया राशि का भुगतान न किए जाने के बारे में श्री अजय टम्टा, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित मैसर्स एम.एस. विजिलेंट सिक्योरिटी, प्लेसमेंट एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सोलहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन।
- (2) सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, देवली (केकरी), क्षेत्र - अजमेर द्वारा परिपक्वता अवधि पूरी होने पर सावधि जमा का भुगतान न किए जाने और उससे संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री वेद प्रकाश माथुर के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 13वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 27वां प्रतिवेदन।
- (3) देश में कृषि व्यवसाय को सुकर बनाने के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 और बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 में संशोधन किए जाने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री मनमोहन कलांत्री के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 14वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन।
- (4) पश्चिम बंगाल और झारखंड में कोयला खदानों की जीर्ण-शीर्ण स्थिति और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री धर्मवीर सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 16वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन।

- (5) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा अपात्र बोलीदाता अर्थात मैसर्स मेहता ट्यूब्स लिमिटेड को परियोजना पी15बी के लिए कॉपर-निकिल पाइपों और कॉपर पाइपों की खरीद के लिए संविदा (संविदाएं) और निविदा (निविदाएं) प्रदान करने पर विचार किए जाने और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री योगेश सरदा के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 17वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन।
- (6) राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के मृत कामगारों के कानूनी उत्तराधिकारियों के कल्याण के बारे में राउरकेला इस्पात संयंत्र विधवा संघ के श्री स्वप्न दास और अन्य के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (सत्रहवीं लोक सभा) के 19वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन।

5. रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण

डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले दो अंतिम की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना की समीक्षा' (औषध विभाग) के बारे में समिति के 17वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)
- (2) 'भारत में कोविड-19 टीका उत्पादन की स्थिति' (औषध विभाग) के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 30वां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)

6. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री के. मुरलीधरन ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'सागरमाला परियोजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति' के बारे में 319वां प्रतिवेदन।
- (2) 'देश में पर्यटन अवसंरचना का विकास' के बारे में 320वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.05 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

*अपराहन 12.08 बजे

(दो) दण्ड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022

श्री अजय कुमार ने श्री अमित शाह की ओर से सभा से दण्ड प्रक्रिया (पहचान) विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित किए जाने के लिए अनुमति मांगी।

श्री मनीश तिवारी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन, प्रो. सौगत राय, श्री अधीर रंजन चौधरी तथा श्री रितेश पाण्डेय ने विधेयक पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों का उत्तर दिया।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव पर, मत विभाजन हुआ: पक्ष में 120; विरोध में 58। तदनुसार, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(लोक सभा अपराहन 1.07 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.13 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.13 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

- 1) श्री अनुराग शर्मा ने बुन्देलखण्ड के लिए विशेष पैकेज के बारे में मामला उठाया ।
- 2) श्री विष्णु दयाल राम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-75 को शीघ्रता से चार लेन का बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।
- 3) श्री बालूभाऊ (उर्फ सुरेश नारायण) धानोरकर ने भारतीय सेना में एक अलग 'आदिवासी' रेजिमेंट के गठन के बारे में मामला उठाया ।
- 4) श्रीमती गोमती साय ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के विस्तार की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

* अपराहन 12.58 बजे से अपराहन 1.07 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- 5) श्री कुनार हेम्ब्रम ने पूर्वी क्षेत्र में एक राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- 6) श्री प्रदीप कुमार सिंह ने बिहार के अररिया जिले में फोर्ब्सगंज में विमानपत्तन के बारे में मामला उठाया।
- 7) श्री विजय बघेल ने शीतागार को 'श्वेत श्रेणी' में वर्गीकृत करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।
- 8) श्री मुकेश राजपूत ने उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कम्पिल को प्रस्तावित जैन सर्किट में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।
- 9) श्री रामदास सी. तडस ने महाराष्ट्र में राज्य राजमार्ग संख्या 14 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।
- 10) श्री नायब सिंह ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण वापस लौटे मेडिकल छात्रों की शिक्षा के बारे में मामला उठाया ।
- 11) श्री छतर सिंह दरबार ने मध्य प्रदेश के धार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनावर तहसील में बागवानी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया ।
- 12) श्रीमती जसकौर मीणा ने राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 13) श्री एंटो एन्टोनी ने केरल में सिल्वर लाइन परियोजना के बारे में मामला उठाया।
- 14) श्री वी.के. श्रीकंदन ने पलाक्कड़ के कोंजीकोडे में रेल कोच फैक्टरी के बारे में मामला उठाया ।
- 15) श्री सी.एन.अन्नादुरई ने चेन्नई और तिरुवन्नामलाई के बीच सीधे रेल संपर्क के बारे में मामला उठाया ।
- 16) श्री बेल्लाना चन्द्र शेखर ने आन्ध्र प्रदेश की निवल ऋण सीमा को कम किए जाने के बारे में मामला उठाया ।
- 17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएसटी) से स्नातक करने वाले छात्रों को बनाए रखने के लिए नीतिगत हस्तक्षेप के बारे में मामला उठाया ।
- 18) श्री दिनेश चन्द्र यादव ने बिहार में सहरसा और पूर्णिया के बीच यात्री रेल सेवाओं के बारे में मामला उठाया।
- 19) डॉ. एम.पी.अब्दुस्समद समदानी ने एएमयू केन्द्र, मलप्पुरम के लिए निधियों के आबंटन और जारी किए जाने के बारे में मामला उठाया।

- 20) श्री राजू बिष्ट ने दार्जिलिंग और कलिमपोंग जिलों में नगर पालिकाओं के शहरी सुदृढीकरण के बारे में मामला उठाया।
- 21) श्री नरेन्द्र कुमार ने राजस्थान के झुन्झुनू जिले को यमुना नहर से पानी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 22) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे ने सिकल सेल एनीमिया को स्थायी विकलांगता के रूप में वर्गीकृत किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 23) श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील ने महाराष्ट्र के सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.56 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय : 1 घंटा

लिया गया समय: 2 घंटे 29 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
2. श्री तापिर गाव
3. श्री ए. राजा
4. श्रीमती गोड्डेति माधवी
5. श्रीमती प्रतिमा मंडल
6. श्री अरविंद गणपत सावंत
7. श्री फैजल पी.पी. मोहम्मद
8. श्री हसनैन मसूदी
9. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
10. श्री रेवती त्रिपुरा
11. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
12. श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया
13. श्रीमती अगाथा के. संगमा

14. श्री भर्तृहरि महताब
15. श्री गिरीश चन्द्र
16. श्रीमती जसकौर मीना
17. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
18. श्री कुनार हेम्ब्रम
19. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
20. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.00 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 29 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

अपराह्न 5.25 बजे से सायं 7.00 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 29 मार्च, 2022/ 8 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 169

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 361 से 368 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 369 से 380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4141 से 4370 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18 की उपधारा (3) के अंतर्गत जनगणना (संशोधन) नियम, 2022 जो दिनांक 11 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 194(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
- (2) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 25 की उप-धारा (2) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण मुख्य सूचना अधिकारी (समूह 'क') भर्ती नियम, 2022 जो 6 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 10 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय सांप्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री शोभा कारान्दलाजे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
- (दो) हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, पंचकूला का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिहनांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उपधारा (3) के अंतर्गत हॉर्स ग्राम

ग्रेडिंग एंड मार्किंग नियम, 2020 जो दिनांक 24 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 581(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इन्स्टीट्यूशन फॉर दि ब्लाइन्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इन्स्टीट्यूशन फॉर दि ब्लाइन्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलन्ट्री एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सोसायटी फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट एंड वोलन्ट्री एक्शन, नयागढ़, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) विकास सोशल सर्विस सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) विकास सोशल सर्विस सोसायटी, कन्नूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) जनता आदर्श अंध विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जनता आदर्श अंध विद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) ज्ञान सरोवर, सारण के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) ज्ञान सरोवर, सारण के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 की धारा 15 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों संबंधी व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) मनिन्द्रनाथ बनर्जी मेमोरियल सोसायटी, बर्दवान, पश्चिम बंगाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) विष्णु दयाल शिक्षा समिति, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) विष्णु दयाल शिक्षा समिति, लखनऊ के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) (एक) ओपन एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च एंड वेलफेयर सोसायटी, संगरूर, पंजाब के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ओपन एजुकेशनल डेवलपमेंट रिसर्च एंड वेलफेयर सोसायटी, संगरूर, पंजाब के वर्ष 2017-2018 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) (एक) दिव्यांगजन मनोविकास केन्द्र पुनर्वास और अनुसन्धान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दिव्यांगजन मनोविकास केन्द्र पुनर्वास और अनुसन्धान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2011-2012, 2014-2015 और 2016-2017 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन

- विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) (एक) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रीहेबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) दुर्गाबाई देशमुख वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रीहेबिलिटेशन सेन्टर फॉर हैंडीकैप्ड, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद के वर्ष 2011-2012 और 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) (एक) काचजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड (डेफ एंड डम्ब) स्कूल एंड ट्रेनिंग सेन्टर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) काचजुली फिजिकली हैंडीकैप्ड (डेफ एंड डम्ब) स्कूल एंड ट्रेनिंग सेन्टर, लखीमपुर, असम के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) उपर्युक्त (24) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) (एक) श्री दक्षिण्य भव समिति, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) श्री दक्षिण्य भव समिति, गुन्टूर, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) उपर्युक्त (26) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) (एक) एल्फॉस सोशल सेंटर, किडन्गूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एल्फॉस सोशल सेंटर, किडन्गूर, केरल के वर्ष 2011-2012 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) (एक) भारत ज्योति, कटक, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारत ज्योति, कटक, ओडिशा के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) (एक) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि मेन्टली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढंकनाल, ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन फॉर दि मेन्टली एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड, ढंकनाल,

ओडिशा के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) (एक) एल.के.सी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एल.के.सी श्री जगदम्बा अंध विद्यालय समिति, श्री गंगानगर के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) (एक) जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन, जलपाईगुड़ी के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) जलपाईगुड़ी कल्याण संगठन, जलपाईगुड़ी के वर्ष 2011-2012 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) उपर्युक्त (36) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) (एक) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजियानगरम के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) महिला और बाल कल्याण केन्द्र, विजियानगरम के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) (एक) वोलंटरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) वोलंटरी आर्गनाइजेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट सोसायटी, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) (एक) डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) डेफ एंड डम्ब स्कूल, मेरठ के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) उपर्युक्त (42) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) (एक) स्वयंकृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) स्वयंकृषि, सिकन्दराबाद, तेलंगाना के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (45) उपर्युक्त (44) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) (एक) चैतन्य इन्स्टीट्यूट फॉर दि लर्निंग डिसएबल्ड, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) चैतन्य इन्स्टीट्यूट फॉर दि लर्निंग डिसएबल्ड, विजियानगरम, आंध्र प्रदेश के वर्ष 2015-2016 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) उपर्युक्त (46) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (48) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) होलबिज प्राइवेट लिमिटेड, सूरत के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) होलबिज प्राइवेट लिमिटेड, सूरत का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (49) उपर्युक्त (48) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एल. मुरुगन) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) बाल फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 (दो) बाल फिल्म सोसायटी, इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 (एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
 (दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने कार्य मंत्रणा समिति का 32वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

5. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री गणेश सिंह ने श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) और कौशल विकास पहल योजना' के बारे में 33वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 46वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (2) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 35वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 48वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (3) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2018-19)' के बारे में 36वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (4) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय से संबंधित 'जन शिक्षण संस्थान योजना' के बारे में 41वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 53वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (5) वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) में भू-आस्ति प्रबंधन' के बारे में 30वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 54वां प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा)।
- (6) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में पहले प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (7) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में दूसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (8) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

सभा)।

- (9) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 13वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (10) वस्त्र मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में छठे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 14वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (11) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में सातवें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (12) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'भविष्य निधियों, पेंशन निधियों द्वारा बॉन्डों और ऐसे लिखतों - [इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) का उदाहरण] में निवेश की स्थिति संबंधी दिशा-निर्देश, निगरानी, रेटिंग और विनियामक प्रणाली' विषय के बारे में समिति के 57वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 24वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (13) श्रम और रोजगार मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में 17वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 26वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने भारी उद्योग मंत्रालय से संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर कोविड-19 का प्रभाव और 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा की गई पहलों के बारे में विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 307वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।
- (2) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'महिलाओं और बच्चों के प्रति अत्याचार और अपराध' के बारे में विभाग-संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 230वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.06 बजे

7. राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

* अपराहन 12.07 बजे से अपराहन 1.02 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

श्री अजय भट्ट ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उप-धारा (1) के खंड (एक) के अनुसरण में, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अध्याधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर की केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराहन 1.02 बजे स्थगित हुई तथा अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.03 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले।

- 1) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने ईसाई और इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए लोगों को आरक्षण के लाभ के बारे में मामला उठाया।
- 2) श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने एलआईसी एजेंटों को ईएसआई लाभों के बारे में मामला उठाया।
- 3) श्री नितेश गंगा देब ने ओडिशा के संबलपुर में एक चिकित्सा उपकरण पार्क की स्थापना किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 4) श्री निहाल चन्द्र चौहान ने राजस्थान के गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 5) श्री विवेक नारायण शेजवलकर ने 15-18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के कोविड-19 टीकाकरण के बारे में मामला उठाया।
- 6) श्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूलों में नई कक्षाओं के निर्माण के लिए निधियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 7) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में समपार संख्या बी/159 पर रेल ओवरब्रिज के निर्माण की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 8) श्री सुदर्शन भगत ने साल और महुआ बीजों से तेल के उत्पादन के लिए झारखंड के गुमला जिले में एक प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- 9) श्री जयंत सिन्हा ने झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 10) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे ने पीएमएवाई ग्रामीण के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में सुधार किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 11) श्री रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली न्यायिक सेवाओं और दिल्ली उच्च न्यायिक सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 12) श्री रोड़मल नागर ने मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में कृषि प्रसंस्करण और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 13) डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर स्थित रेलवे वेयरहाउस को अहिल्यापर अथवा नुनखार में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 14) श्री रवनीत सिंह ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक योजना बनाए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 15) श्री दीपक बैज ने वर्तमान में आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में रह रहे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के हितों की रक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- 16) डॉ. टी. सुमति (ए.) थामिझाची थंगापांडियन ने तमिलनाडु में समुद्र तटों के सौंदर्यीकरण के बारे में मामला उठाया।
- 17) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को निर्धारित किए जाने की पद्धति पर पुनर्विचार करने के बारे में मामला उठाया।
- 18) श्री सुनील कुमार ने बिहार में मसान नदी पर बांध के निर्माण के बारे में मामला उठाया।
- 19) श्री अनुभव मोहंती ने ओडिशा में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए विशेष निधि के बारे में मामला उठाया।
- 20) श्री राम शिरोमणि वर्मा ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में विमानपत्तन का शीघ्र निर्माण किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- 21) श्री हसनैन मसूदी ने बच्चों में कैंसर रोग की मौजूदगी के बारे में मामला उठाया।
- 22) श्री थोमस चाज़िकाडन ने केरल के कुछ जिलों में नगर गैस वितरण योजना के विस्तार के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 2.43 बजे

9. सरकारी विधेयक - विचाराधीन

चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021

आवंटित समय : 4 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 29 मिनट

शेष: 31 मिनट

श्री राव इन्द्रजीत सिंह द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. एम.के. विष्णु प्रसाद
2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री ए. राजा
4. प्रो. सौगत राय
5. डॉ. वैकट सत्यवती बीसेट्टी
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
11. श्री बालूभाऊ नारायणराव उर्फ सुरेश धानोरकर
12. श्री गोपाल चिन्नैय्या शेट्टी
13. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
14. श्री गिरीश चन्द्र
15. श्री हनुमान बेनीवाल
16. श्री पी. रविन्द्रनाथ
17. श्रीमती नवनित रवि राणा
18. श्री थोमस चाज़िकाडन
19. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
20. श्री अनुराग शर्मा
21. श्री अरविंद गणपत सावंत

22. श्री रवि किशन शुक्ला
23. कुंवर दानिश अली
24. श्री अधीर रंजन चौधरी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.12 बजे

(लोक सभा बुधवार, 30 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 30 मार्च, 2022/ 9 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 170

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 381 से 387 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 388 से 400 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4371 से 4600 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.03 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' पुस्तकालय पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 512(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' प्रकीर्ण पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (3) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (समूह 'क' और समूह 'ख' हिन्दी पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2021 जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 773(अ) में प्रकाशित हुए थे।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फगनसिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) एमएसटीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) एनएमडीसी लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 के लिए निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (1) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2022 जो 18 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सा.का.नि. 169(अ) जो 2 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ प्रत्यायित निजी अन्वेषण एजेंसियों की अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों में यथापरिभाषित 'श्रेणी क अन्वेषण एजेंसियां' के अंतर्गत मैसर्स प्राकृतिक संसाधन प्रभाग - टाटा स्टील लिमिटेड को अधिसूचित किया गया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1262(अ) जो 22 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 8 फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) नोएडा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, जी.बी. नगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(तीन) एमईपीजेड विशेष आर्थिक जोन, चेन्नई तथा नोएडा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण, जी.बी. नगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2021, जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 901 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) (एक) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) ऊन उद्योग निर्यात संवर्धन परिषद, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) साउथ इन्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) साउथ इन्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, कोयम्बटूर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 5421(अ) जो 28 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसके द्वारा निर्देश दिया गया है कि अधिसूचना के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2022 तक ऐसे न्यूनतम प्रतिशत, जैसा अधिसूचना के स्तंभ (3) में निर्दिष्ट किया गया है, आपूर्ति और वितरण के लिए जूट पैकेजिंग सामग्री में पैक किया जाएगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सेफ्टी ग्लास (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 620(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (दो) बाइसिकिल्स-रेट्रो रिफ्लेक्टिव डिवाइसेज (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 24 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5400(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (तीन) प्रशीतन उपकरण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 22 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5339(अ) में प्रकाशित हुआ था।
 - (चार) एयरकंडीशनर और इससे संबंधित कलपुर्जे, हर्मेटिक कंप्रेसर और तापमान संवेदी नियंत्रण (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2021 जो 8 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 5095(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) टेलीकम्युनिकेशंस कन्सलटेंट्स इंडिया लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
 - (दो) भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड तथा दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की वर्ष 2022-2023 की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उप-धारा (5) के अंतर्गत फ्लाइंट एंड मेरीटाइम कनेक्टिविटी (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 154(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

- (एक) कि राज्य सभा को 24 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित विनियोग विधेयक, 2022 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।
- (दो) कि राज्य सभा को 25 मार्च, 2022 को लोक सभा द्वारा पारित वित्त विधेयक, 2022 के संबंध में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री गणेश सिंह ने विशेषाधिकार समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. शशि थरूर ने संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित '5जी के लिए भारत की तैयारी' विषय पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के बारे में समिति (2021-22) का 36वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराह्न 12.04 बजे

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

- (1) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) पर विभाग-संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 342वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के बारे में समिति के 352वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।
- (2) वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने वस्त्र मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी) का कार्यकरण' विषय के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में विवरण सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.05 बजे

8. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 29 मार्च, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के बत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराहन 1.12 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.16 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.16 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा औरंगाबाद, बिहार में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (2) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट द्वारा पुणे, महाराष्ट्र में बिबवेवाडी में स्थित ईएसआईसी अस्पताल के विस्तार के बारे में।
- (3) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा शहरों के सतत विकास के बारे में।
- (4) श्री मनोज तिवारी द्वारा दिल्ली में शराब की दुकानें खोले जाने के बारे में।
- (5) श्रीमती रीती पाठक द्वारा सिंगरौली-भोपाल एक्सप्रेस को नियमित करने और सिंगरौली-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के फेरे बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्री नारणभाई भीखाभाई काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली जिले में रेलवे से संबंधित कार्यों के बारे में।
- (7) श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल दिवस को 'अंतर्राष्ट्रीय गीता दिवस' घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (8) श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया द्वारा राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निवाई कस्बे में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा में एम्स की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (10) श्री मोहनभाई कल्याणजी कुंडारिया द्वारा मोरबी रेलवे स्टेशन के रेल सम्पर्क के बारे में।

* अपराहन 12.05 बजे से अपराहन 1.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (11) श्री रवि किशन द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र से सब्जियों और फलों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वहां पैकेजिंग हाउस की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (12) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा क्रिश्चियन समुदाय के लिए एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (13) श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा सीएपीएफ परीक्षा के बचे हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र जारी किए जाने के बारे में।
- (14) डॉ. शशि थरूर द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति देने के लिए लोक सुनवाई को अनिवार्य किए जाने के बारे में।
- (15) डॉ. डी. रविकुमार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को भूमि के वितरण के लिए विशेष योजना के बारे में।
- (16) श्री एस.आर. पार्थिवन द्वारा गाड़ी संख्या 56846 इरोड-जोलारपेट्टई पैसेंजर ट्रेन की सेवा पुनः बहाल किए जाने के बारे में।
- (17) श्री तालारी रंगैय्या द्वारा बैंकों द्वारा ट्रेक्टरों पर लिए जा रहे ब्याज की दर को कम किए जाने के बारे में।
- (18) श्री मददीला गुरुमूर्ति द्वारा आरसीएस-उडान स्कीम के तहत तिरुपति के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाए जाने के बारे में।
- (19) प्रो. सौगत राय द्वारा अखिल भारतीय विधायी सेवा गठित किए जाने के बारे में।
- (20) श्रीमती प्रतिमा मण्डल द्वारा दक्षिण बारासत रेलवे स्टेशन के नजदीक बहारु में रेलवे उपरिपुल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (21) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मुम्बई पत्तन के लिए पुनरुद्धार योजना के बारे में।
- (22) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के ध्वजारोहण और उसे फहराने से संबंधित प्रोटोकॉल के बारे में।
- (23) श्री (एडवोकेट) ए.एम. आरिफ़ द्वारा केरल में मनरेगा के तहत अनुसूचित जाति के मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किए जाने के बारे में।
- (24) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा आर्सेनिक प्रदूषण को रोकने के लिए कदम उठाए जाने के बारे में।
- (25) श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा बिहार में सीवान को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-102 से जोड़ने वाली सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।
- (26) श्री पी. रविन्द्रनाथ द्वारा श्रीलंकाई नौसेना द्वारा तमिल मछुआरों पर हमले किए जाने के बारे में।

अपराहन 2.17 बजे

10. सरकारी विधेयक - पारित

चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2021

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटे 34 मिनट

श्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 8 स्वीकृत हुए।

खंड 9 से 15 स्वीकृत हुए।

खंड 16 से 19 स्वीकृत हुए।

खंड 20 से 22 स्वीकृत हुए।

खंड 23 से 28 स्वीकृत हुए।

खंड 29 से 106 स्वीकृत हुए।

खंड 1, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, यथासंशोधित, स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुआ।

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, यथासंशोधित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, यथासंशोधित, पारित हुआ।

अपराहन 3.22 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय : 4 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटे 45 मिनट

श्री अमित शाह ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी

2. श्री रमेश बिधूड़ी
3. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
4. श्रीमती महुआ मोड़रा
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. सुश्री चन्द्राणी मुर्मु
9. कुंवर दानिश अली
10. श्री गौरव गोगोई
11. श्री प्रवेश साहिब सिंह
12. श्रीमती सुप्रिया सुले
13. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
14. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
15. डॉ. डी. रविकुमार
16. प्रो. सौगत राय
17. श्री मनोज कुमार तिवारी
18. श्री अधीर रंजन चौधरी
19. श्री रवनीत सिंह
20. श्री निशिकांत दुबे

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।

खंड 7 से 12 स्वीकृत हुए।

खंड 13 स्वीकृत हुआ।

खंड 14 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.07 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 31 मार्च, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 31 मार्च, 2022/ 10 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 171

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 401 से 407 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 408 से 420 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) ने बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 की धारा 55 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) बांध सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय समिति (प्रक्रियाएं, भत्ते तथा अन्य व्यय) नियम, 2022, जो 17 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.134(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (2) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण (कार्य और शक्तियां) नियम, 2022, जो 17 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.135(अ) में प्रकाशित हुए थे।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी. के. सिंह) ने वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत वायुयान (हानिकारक माल का वहन) संशोधन नियम, 2022 जो 14 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.112(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन सभा पटल पर रखे।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टिट्यूट, बेंगलुरु के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
(एक) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
(दो) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (4) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2022 जो 23 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.148(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, भिवाड़ी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, रोहतक के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर, विशाखापत्तनम के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो डेनिश टूल रूम), जमशेदपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हैण्ड टूल्स), जालंधर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ टूल डिजाइन), हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), भुवनेश्वर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस एण्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), आगरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (सेंट्रल टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), आगरा के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो जर्मन टूल रूम), अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (फ्रेगरेंस एण्ड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर), कन्नौज के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ग्लास इंडस्ट्री), फिरोजाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट), चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टूल रूम (इंडो-जर्मन टूल रूम), इंदौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इंस्टिट्यूट फॉर डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स), मुंबई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (इंडो जर्मन टूल रूम), औरंगाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (39) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (प्रोसेस कम प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर), मेरठ के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी सेंटर (सेंट्रल टूल रूम), लुधियाना के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एमएसएमई-टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर (इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विस एण्ड ट्रेनिंग सेंटर), नैनीताल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कवरती के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार

द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 58 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) का.आ. 1022(अ) जो 8 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मिश्रित उपयोग/परिसर के वाणिज्यिक उपयोग और दुकान-सह-निवास भूखंडों/परिसरों के लिए उपयोग रूपांतरण शुल्क, जिसे बाद में एलएससी के रूप में अभिहित किया गया है, के निर्धारण के बारे में है।
- (दो) का.आ. 1023(अ) जो 8 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एमपीडी 2021 से उत्पन्न आवासीय संपत्तियों, कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित उपयोग/वाणिज्यिक सड़कों और वाणिज्यिक संपत्तियों (होटल और पार्किंग भूखंडों को छोड़कर) के लिए बढ़ी हुई एफएआर के लिए लागू होने वाली दरों के निर्धारण के बारे में है।
- (6) भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 1168(अ) जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड क के अंतर्गत दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना फेस-चार अर्थात् मेट्रो लाइन-10, मेट्रो लाइन-8 और मेट्रो लाइन-7 के संरेखण के बारे में है।
- (दो) का.आ. 1169(अ) जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड क के अंतर्गत मुम्बई मेट्रो रेल परियोजना अर्थात् मेट्रो लाइन-4ए, मेट्रो लाइन-7ए, मेट्रो लाइन-9, मेट्रो लाइन-10, मेट्रो लाइन-11 और मेट्रो लाइन-12 के संरेखण के बारे में है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विश्वेश्वर टुडु) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जॉन बर्ला) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे।
(दो) चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड, चंडीगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी:-

- (1) कि 30 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित कर दिया है।
- (2) कि 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संयुक्त समिति में दस सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए स्वीकृत प्रस्ताव के अनुक्रम में, जिनमें से नौ सदस्य विधिवत निर्वाचित हुए थे और 23 मार्च, 2022 को सभा को उनके नामों की सूचना दी गई थी, राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के लिए राज्य सभा की शेष एक रिक्ति के निर्वाचन के बारे में लोक सभा की सिफारिश से सहमत हुई और उक्त समिति के लिए श्री नबाम रेबिआ विधिवत निर्वाचित हुए हैं।

5. विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित - सभा पटल पर रखा गया

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

6. महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति का विवरण

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने 'उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान और विकास - महिलाओं के लिए संभावनाएं' विषय के बारे में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2018-19) के सोलहवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति (2019-20) के तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक और अध्याय पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम कार्रवाई के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के विवरण

श्री सुशील कुमार सिंह ने कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) खान मंत्रालय से संबंधित 'जिला खनिज फाउंडेशन और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन' के बारे में समिति के 47वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में नौवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (2) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2019-20)' के बारे में समिति के चौथे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में ग्यारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (3) खान मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में समिति के सातवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।
- (4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित 'स्टील पीएसयू में सुरक्षा प्रबंधन और प्रक्रियाएं' के बारे में समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सत्ताइसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

8. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री दुष्यंत सिंह ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) 'नागर विमानन क्षेत्र में संरक्षा से संबंधित मुद्दे' के बारे में 321वां प्रतिवेदन।
- (2) 'नागर विमानन क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित मुद्दे' के बारे में 322वां प्रतिवेदन।

अपराहन 12.06 बजे

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखे:-

(1) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र में कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और इससे निपटने के लिए अपनाई गई प्रशमन रणनीति' के बारे में विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 308वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति।

(2) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित 'एमएसएमई क्षेत्र में कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव और इससे निपटने के लिए अपनाई गई प्रशमन रणनीति' के बारे में विभाग-संबंधित उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 308वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 312वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यन्वयन की स्थिति।

***अपराहन 12.22 बजे**

10. सदस्य द्वारा निवेदन

श्रीमती सोनिया गांधी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के बारे में निवेदन किया।

#श्री गिरिराज सिंह ने उत्तर दिया।

§श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उत्तर दिया।

अपराहन 1.06 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) डॉ. सुकान्त मजूमदार द्वारा सहारा इंडिया योजनाओं में अनियमितताओं के बारे में।
- (2) श्री अरुण साव द्वारा कोरबा, छत्तीसगढ़ में भारतीय उर्वरक निगम लि. की यूनिट चालू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री अरुण कुमार सागर द्वारा उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (4) श्री चुन्नीलाल साहू द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को उनके कार्यस्थल के नजदीक राशन उपलब्ध कराए जाने के बारे में।

* अपराहन 12.07 बजे से अपराहन 1.06 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह)

§ सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

- (5) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत द्वारा नंदूरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 753बी पर नंदूरबार-तालोडा खंड को चार लेनों वाला बनाए जाने के बारे में।
- (6) श्री राहुल कस्वां द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य जांच और डिजीटल हेल्थ कार्ड के बारे में।
- (7) श्री कृपानाथ मल्लाह द्वारा करीमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक यूनानी कॉलेज तथा अस्पताल की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (8) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (9) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरौली-चिमुर् संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना किए जाने के बारे में।
- (10) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा राहुरी रेलवे स्टेशन पर गाड़ी संख्या 00109/00110 का ठहराव दिए जाने के बारे में।
- (11) श्री बिद्युत बरन महतो द्वारा झारखण्ड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बागबेरा जलापूर्ति योजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (12) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा चेन्नै-हैदराबाद एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को कन्याकुमारी तक बढ़ाए जाने के बारे में।
- (13) श्री एम. के. राघवन द्वारा कालीकट स्थल पर 'निर्देश' को पूरा किए जाने के बारे में।
- (14) श्री प्रतापराव जाधव द्वारा बुलढाणा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के शेगांव रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों का ठहराव दिए जाने के साथ-साथ वहां यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (15) श्री चंद्र शेखर साहू द्वारा बरहामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने के बारे में।
- (16) श्री कुंवर दानिश अली द्वारा उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में जल जमाव की समस्या को दूर किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (17) श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया द्वारा पश्चिम बंगाल से बीटीसी होते हुए अरुणाचल प्रदेश तक एक रक्षा कॉरिडोर सड़क का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (18) श्री वी. बालाशौरी द्वारा मछलीपट्टनम से धर्मावरम तक गाड़ी संख्या 17245 और 17246 को पुनः बहाल किए जाने के बारे में।
- (19) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के जालौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सांचोर शहर में दुर्घटना-प्रवण स्थलों के बारे में।
- (20) डॉ. डी.एन.वी. सैथिलकुमार एस. द्वारा लम्बाडी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में।
- (21) श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा झारखण्ड में बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- (22) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (23) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण के लिए सख्त कानून बनाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल द्वारा भोटी को लद्दाख की राजभाषा घोषित किए जाने के बारे में।

अपराहन 1.06 बजे

12. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 9 घंटे 18 मिनट

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि द्वारा 8 दिसम्बर, 2021 को जलवायु परिवर्तन पर उठाई गई चर्चा आगे जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
2. श्री जयंत सिन्हा
3. *श्रीमती सुप्रिया सुले
4. श्री के. सुब्बारायण
5. श्री गौरव गोगोई
6. श्री मलूक नागर
7. श्री अरविंद गणपत सावंत
8. श्री रतन लाल कटारिया
9. श्री जसबीर सिंह गिल
10. श्री भोला सिंह
11. श्री राजीव प्रताप रूडी
12. श्री एस.एस. अहलूवालिया
13. *डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
14. *श्री राम शिरोमणि वर्मा
15. *श्री जयदेव गल्ला

@श्री भूपेन्द्र यादव ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

%श्री राज कुमार सिंह ने भी वाद-विवाद का उत्तर दिया।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

@ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्री

% विद्युत मंत्री; तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

अपराहन 3.58 बजे

13. ध्यानाकर्षण - नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा में बदला गया

अनुमत्य समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 2 घंटे 2 मिनट

अध्यक्ष ने टिप्पणी[&] की कि कुछ सदस्यों के अनुरोध पर और 'भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता' विषय के महत्व और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए ध्यानाकर्षण को नियम 193 के अधीन अल्पकालिक चर्चा में बदला जा सकता है ताकि चर्चा में और अधिक सदस्य भाग ले सकें।

सभा सहमत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री गौरव गोगोई
2. श्री अनुभव मोहंती
3. कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर
4. श्री प्रसून बनर्जी
5. *श्री निहाल चन्द
6. डॉ. गौतम सिगामणि पोन
7. श्री मद्दीला गुरुमूर्ति
8. *श्री कनि के. नवास
9. श्री गजानन चन्द्रकांत कीर्तिकर
10. *डॉ. उमेश जी. जाधव
11. *श्री रामचरण बोहरा
12. श्री श्याम सिंह यादव
13. *श्रीमती जसकौर मीणा
14. श्रीमती सुप्रिया सुले
15. *श्री सी.एन. अन्नादुरई
16. *श्री धनुष एम. कुमार
17. डॉ. आलोक कुमार सुमन
18. श्री हसनैन मस्दी

चर्चा पूरी नहीं हुई।

[&] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का विवाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

सायं 6.00 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

शुक्रवार, 1 अप्रैल, 2022/ 11 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 172

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 421 से 427 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 428 से 440 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 4831 से 5060 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस.पी. सिंह बघेल) ने लंबित विधि आयोग प्रतिवेदनों - (मार्च, 2022) संबंधी 15वें वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।
- (2) बीईएमएल लिमिटेड तथा रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत खुबा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. मुरलीधरन) ने विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) की ओर से नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 42 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नालंदा विश्वविद्यालय (संशोधन) परिनियम, 2021 जो 3 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. एस/321/8/2018 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 38 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) औषध (तीसरा संशोधन) नियम, 2022 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 158(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) चिकित्सा उपकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2022, जो 4 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 174(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) (एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. मुंजपरा महेन्द्रभाई) ने निम्नलिखित पत्र सभा पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 के धारा 56 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकपूर्व यूनानी शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 जो 28 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-76/2021-बीयूएसएस (यूनानी-यू.जी. विनियमन) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (स्नातकपूर्व सिद्ध शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 18-12/2021-बीयूएसएस (एसआईडी-यूजी-एमएसई) में प्रकाशित हुए थे।

(2) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 की धारा 29 के अंतर्गत आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विनियम, 2021 जो 12 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-12015/18/2021-एस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती रमा देवी ने 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) के कार्यक्रम की समीक्षा' के बारे में समिति का 34वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.03 बजे

5. संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) सत्र के शेष भाग के लिए सरकारी कार्य के बारे में वक्तव्य दिया।

अपराहन 12.04 बजे

6. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022

श्री अधीर रंजन चौधरी और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

*अपराहन 12.45 बजे

11. नियम 377 के अधीन मामले।

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

* अपराहन 12.15 बजे से अपराहन 12.45 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (1) श्री रामचरण बोहरा द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष औषधियों को उपलब्ध कराए जाने के बारे में।
- (2) श्री कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'एक जिला एक उत्पाद' योजना को बढ़ावा दिए जाने के बारे में।
- (3) श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा द्वारा बालू खनन पर रोक लगाए जाने के बारे में।
- (4) श्री दिलीप शङ्कीया द्वारा असम के मंगलदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खोयराबारी रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के ठहराव को बहाल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित तिलक लाइब्रेरी को एक धरोहर संस्था घोषित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (6) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा केन्द्र सरकार की सेवाओं में महिलाओं को आरक्षण के बारे में।
- (7) श्री हिबी ईडन द्वारा बीपीसीएल द्वारा पोलिओल निर्मात्री एकक को बंद करने के निर्णय के बारे में।
- (8) श्री गौरव गोगोई ने स्वास्थ्य पर प्रदूषण के प्रभाव संबंधी विस्तृत अध्ययन के बारे में।
- (9) श्री पी. वेलुसामी द्वारा डिंडीगुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कतिपय रेलगाड़ियों के संचालन के बारे में।
- (10) श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ द्वारा रेलवे कुलियों के नियमितीकरण के बारे में।
- (11) श्री बी. बी. पाटील द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 161बीबी के मदनूर से बोद्दान खण्ड को भारतमाला परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने एवं इसको और चार लेन वाला राजमार्ग बनाए जाने के बारे में।
- (12) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत ओस्टोमी को एक विशिष्ट विकलांगता के रूप में सम्मिलित करने के बारे में।
- (13) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा झारखण्ड में बुधई जलाशय परियोजना, देवघर को पूरा किए जाने के बारे में।

अपराहन 12.46 बजे

8. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022

आवंटित समय: 3 घंटे

लिया गया समय: 3 घंटे 22 मिनट

श्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री दीपक बैज
2. श्री जगदम्बिका पाल

3. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
4. श्री के. सुब्बरायण
5. श्री थोमस चाजिकाडन
6. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
7. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित
8. डॉ. आलोक कुमार सुमन
9. श्रीमती शर्मिष्ठा कुमारी सेठी
10. श्रीमती संगीता आजाद
11. श्री बी.बी. पाटील
12. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
13. श्री गुमान सिंह दामोर
14. प्रो. सौगत राय
15. डॉ. डी. रविकुमार
16. श्री. हनुमान बेनीवाल
17. श्रीमती नवनित रवि राणा
18. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
19. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
20. श्री सुनील कुमार सिंह
21. श्री राजू विष्ट
22. श्री गिरीश चन्द्र
23. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
24. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुईं।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

9. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक - पुरःस्थापित

1. श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंतःस्थापन)
2. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य का एकसमान शिक्षा विधेयक, 2019
3. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य का कृषक कल्याण विधेयक, 2019
4. श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य का प्रत्येक गांव में संचार सुविधाओं का उपबंध विधेयक, 2019
5. श्री एम.के. राघवन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (नए अनुच्छेद 239ग का अंतःस्थापन)
6. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
7. श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्य का सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा विधेयक, 2022
8. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का विशेष विवाह (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 4क का अंतःस्थापन. आदि)
9. श्रीमती सुप्रिया सुले, संसद सदस्य का ग्रामीण आयुर्विज्ञान शिक्षा विधेयक, 2022
10. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू, संसद सदस्य का एप्प विकासकर्ता (संरक्षण) विधेयक, 2022
11. श्रीमती दिया कुमारी, संसद सदस्य का राजस्थान उच्च न्यायालय (राजसमंद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक , 2022
12. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 13 का संशोधन)
13. श्री मनीश तिवारी, संसद सदस्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 126 का संशोधन)
14. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 62 का संशोधन)
15. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का थैलेसीमिया निवारण विधेयक, 2022
16. श्री राहुल शेवाले, संसद सदस्य का भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 40क और 40ख का अंतःस्थापन)
17. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी, संसद सदस्य का यथोचित आवासन (एक परिवार-एक शौचालय) का अधिकार विधेयक, 2022
18. श्री देवजी एम. पटेल, संसद सदस्य का वन्य जीवों के हमलों के पीड़ितों को प्रतिकर का संदाय विधेयक, 2022
19. श्रीमती चिंता अनुराधा, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए

अध्याय दस(क) का अंतःस्थापन)

20. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का रूपांतरण चिकित्सा (प्रतिषेध) विधेयक, 2022
21. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 72क का अंतःस्थापन, आदि)
22. श्रीमती अपरूपा पोद्दार, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 88 और 89 का संशोधन)
23. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य का विदर्भ राज्य निर्माण आयोग विधेयक, 2019
24. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य का बेरोजगारी भत्ता विधेयक, 2019
25. श्री अशोक महादेवराव नेते, संसद सदस्य का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2019 (नई धारा 3ग का अंतःस्थापन)
26. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का विद्यालयों में हृदफुफ्फुसीय पुनरुज्जीवन (सीपीआर) का अनिवार्य प्रशिक्षण विधेयक, 2019
27. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 84 और 173 का संशोधन)
28. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (सातवीं अनुसूची का संशोधन)
29. डॉ. टी. सुमति(ए) तामिझाची थंगापंडियन, संसद सदस्य का दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
30. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य का मछुआरा कल्याण निधि विधेयक, 2019
31. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
32. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु, संसद सदस्य का शैक्षणिक संस्थाओं में यौन शिक्षा का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2021
33. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य में जल निकायों के संरक्षण हेतु विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
34. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 338ग का अंतःस्थापन)
35. श्री सी.पी. जोशी, संसद सदस्य का राजस्थान राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
36. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का मध्य प्रदेश राज्य विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
37. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का मध्य प्रदेश राज्य में जल-निकायों के संरक्षण हेतु विशेष वित्तीय

सहायता विधेयक, 2020

38. श्री सुधीर गुप्ता, संसद सदस्य का मध्य प्रदेश राज्य में वृक्षों के भू-मानचित्रण के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2022
39. श्री राहुल कस्वां, संसद सदस्य का अनुसूची- ज में उल्लिखित औषधियों के विक्रय का विनियमन विधेयक, 2020
40. श्री राहुल कस्वां, संसद सदस्य का न्यूनतम मजदूरी का संदाय (प्राइवेट स्कूल शिक्षकों के लिए) विधेयक, 2020
41. श्री राहुल कस्वां, संसद सदस्य का वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 (नई धारा 2क का अंतःस्थापन)
42. श्री फिरोज वरुण गांधी, संसद सदस्य का किसानों को कृषि उत्पाद के लिए गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्ति का अधिकार विधेयक, 2022
43. श्री विन्सेन्ट एच. पाला, संसद सदस्य का निःशक्त व्यक्ति अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
44. श्री विन्सेन्ट एच. पाला, संसद सदस्य का जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
45. श्रीमती रीती पाठक, संसद सदस्य का कामकाजी महिला (मूलभूत सुविधाएं एवं कल्याण) विधेयक, 2019
46. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का पश्चिम बंगाल राज्य में प्राचीन स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष के लिए विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2019
47. डॉ. सुकान्त मजूमदार, संसद सदस्य का पर्यावरण संरक्षण (गैर जैव-अवक्रमणीय अपशिष्ट का प्रबंधन और नियंत्रण) विधेयक, 2020
48. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का जनसंख्या (स्थिरीकरण और नियंत्रण) विधेयक, 2021
49. श्री सुनील कुमार सिंह, संसद सदस्य का नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन आयोग विधेयक, 2021
50. श्री विनोद कुमार सोनकर, संसद सदस्य का शैक्षिक संस्थाओं में संविधान का अनिवार्य शिक्षण विधेयक, 2019
51. श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य का पंजाब राज्य को विशेष वित्तीय सहायता विधेयक, 2020
52. श्री संतोख सिंह चौधरी, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 124 का संशोधन, आदि)
53. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)
54. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2020 (अनुच्छेद 243ग और 243घ का संशोधन)

55. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2021 (उद्देशिका का संशोधन, आदि)
56. डॉ. थोल तिरुमावलवन, संसद सदस्य का लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2021 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
57. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (नई धारा 22क का अंतःस्थापन)
58. श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य का यकृतशोध (भेदभाव निवारण और नियंत्रण) विधेयक, 2021
59. डॉ. डी. रविकुमार, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (नए अनुच्छेद 21ख का अंतःस्थापन)
60. डॉ. डी. एम. कथीर आनन्द, संसद सदस्य का ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक, 2022
61. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस, संसद सदस्य का एलजीबीटीक्यूआईए+ व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2022
62. डॉ. डीएनवी सेंथिलकुमार एस, संसद सदस्य का संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुसूची का संशोधन)
63. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
64. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)
65. श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, संसद सदस्य का पान उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2022
66. श्रीमती पूनमबेन हेमतभाई माडम, संसद सदस्य का सामाजिक सुरक्षा संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 60 का संशोधन, आदि)
67. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का ऑनलाइन गेमिंग (विनियमन) विधेयक, 2022
68. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
69. एडवोकेट डीन कुरियाकोस, संसद सदस्य का उपशामक देखरेख बोर्ड विधेयक, 2022
70. श्री अब्दुल खालेक, संसद सदस्य का केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2022 (नई धारा 3च का अंतःस्थापन, आदि)
71. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का स्वास्थ्य बीमा (गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों के लिए) विधेयक, 2022
72. श्री जनार्दन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का विधवा (संरक्षण और भरण-पोषण) विधेयक, 2022

73. श्री जर्नादन सिंह 'सीग्रीवाल', संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2022 (अनुच्छेद 51क का संशोधन)
74. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) निरसन विधेयक, 2022
75. डॉ. शशि थरूर, संसद सदस्य का परंपरागत ज्ञान संरक्षण विधेयक, 2022
76. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 299 का संशोधन)
77. श्री वी.के. श्रीकंदन, संसद सदस्य का महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2022 (धारा 3 का संशोधन, आदि)
78. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य का सिख गुरुद्वारा (संशोधन) विधेयक, 2019 (धारा 2 का संशोधन, आदि)
79. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य का नशामुक्ति केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता का उपबंध विधेयक, 2019
80. श्री रवनीत सिंह, संसद सदस्य का संविधान (संशोधन) विधेयक, 2019 (अनुच्छेद 248 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन, आदि)

अपराहन 4.57 बजे

10. गैर सरकारी सदस्य का विधेयक - विचाराधीन

अनिवार्य मतदान विधेयक, 2019

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा 12 जुलाई, 2019 को विधेयक पर विचार करने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव पर आगे चर्चा जारी रही।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
2. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
3. श्री. ई.टी. मोहम्मद बशीर
4. श्री रमेश बिधूड़ी
5. श्री अब्दुल खालेक
6. डॉ. उमेश जी. जाधव (भाषण अपूर्ण)

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.01 बजे

(लोक सभा सोमवार, 4 अप्रैल, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 4 अप्रैल, 2022/ 14 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 173

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 441 से 450 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 451 से 460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5061 से 5290 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री राव इंद्रजीत सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 132 के अंतर्गत राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अंशकालिक सदस्य नियुक्ति नियम, 2022 जो 23, मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 1199 (अ) जो 17 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो दिसंबर, 2021 में आयोजित भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान परिषद के निर्वाचन के मामले में उक्त अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले

विवादों के निर्णय के लिए, उसमें उल्लिखित व्यक्तियों वाले प्राधिकरण के गठन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) लागत और संकर्म अकाउंटेंट अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 212 (अ) जो 17 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 3 नवम्बर, 2015 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 835 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1192 (अ) जो 16 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 27 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 988 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) का.आ. 1193 (अ) जो 16 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2039 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3, 6 और 25 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2632 (अ) जो 6 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्ण वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(दो) का.आ. 3099 (अ) जो 30 सितंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के संरक्षित क्षेत्रों के बारे में है।

(तीन) का.आ. 3881 (अ) जो 28 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो असम राज्य में नामेरी राष्ट्रीय पार्क और सोनाई-रूपाई वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(चार) का.आ. 3517 (अ) जो 23 नवंबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में बरेला झील पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(पांच) का.आ. 71 (अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(छह) का.आ. 2030 (अ) जो 28 जून, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

- (सात) का.आ. 2200 (अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (आठ) का.आ. 2735 (अ) जो 22 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में कुशेश्वर अस्थान पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (नौ) का.आ. 3026 (अ) जो 13 सितंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में वाल्मिकी वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र से संबंधित संशोधन के बारे में है।
- (दस) का.आ. 2765 (अ) जो 9 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में वाल्मिकी एनपी और बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (ग्यारह) का.आ. 2201 (अ) जो 12 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में बर्नवापारा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (बारह) का.आ. 2273 (अ) जो 20 जुलाई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में पामेड वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (तेरह) का.आ. 3653 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में कंगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (चौदह) का.आ. 3654 (अ) जो 10 अक्टूबर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में अचानकमर बाघ रिजर्व पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (पंद्रह) का.आ. 69 (अ) जो 10 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में शहर पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (सोलह) का.आ. 185 (अ) जो 19 जनवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में सुखना वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (सत्रह) का.आ. 1257 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में नारायण सरोवर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (अठारह) का.आ. 1258 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में वन्सदा राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (उन्नीस) का.आ. 1259 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में पूर्णा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (बीस) का.आ. 1260 (अ) जो 31 मई, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में गिरनार वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

- (इक्कीस) का.आ. 2561 (अ) जो 22 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में मरीन राष्ट्रीय पार्क और मरीन वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (बाईस) का.आ. 421 (अ) जो 9 फरवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में थोल झील पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (तेईस) का.आ. 1653 (अ) जो 5 मई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में शूलपाणेश्वर वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (चौबीस) का.आ. 1365 (अ) जो 28 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में बारदा वन्यजीव अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 1829 (अ) जो 7 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में पोरबंदर पक्षी अभयारण्य पर्यावरण-संवेदी क्षेत्र के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) कलाक्षेत्र फाउंडेशन, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 15वीं, 16वीं और 17वीं लोक सभाओं के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों और परिवचनों के बारे में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

पंद्रहवीं लोक सभा
1. विवरण संख्या 33 नौवां सत्र, 2011
सोलहवीं लोक सभा

| | | |
|----|-----------------|----------------------|
| 2. | विवरण संख्या 29 | तीसरा सत्र, 2014 |
| 3. | विवरण संख्या 28 | चौथा सत्र, 2015 |
| 4. | विवरण संख्या 23 | नौवां सत्र, 2016 |
| 5. | विवरण संख्या 18 | दसवां सत्र, 2016 |
| 6. | विवरण संख्या 21 | ग्यारहवां सत्र, 2017 |
| 7. | विवरण संख्या 20 | बारहवां सत्र, 2017 |
| 8. | विवरण संख्या 16 | चौदहवां सत्र, 2018 |
| 9. | विवरण संख्या 13 | सत्रहवां सत्र, 2019 |

सत्रहवीं लोक सभा

| | | |
|-----|-----------------|--------------------|
| 10. | विवरण संख्या 13 | पहला सत्र, 2019 |
| 11. | विवरण संख्या 10 | दूसरा सत्र, 2019 |
| 12. | विवरण संख्या 9 | तीसरा सत्र, 2020 |
| 13. | विवरण संख्या 9 | चौथा सत्र, 2020 |
| 14. | विवरण संख्या 8 | पांचवां सत्र, 2021 |
| 15. | विवरण संख्या 7 | छठा सत्र, 2021 |
| 16. | विवरण संख्या 1 | आठवां सत्र, 2022 |

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश निधियां) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/75 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (कर्मचारियों की सेवा) (संशोधन) विनियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/65 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 तथा संघ-राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 214 (अ) जो 21 मार्च 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना संख्या 14/2018-संघ-राज्यक्षेत्र कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक जापन ।

(3) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत पोत परिवहन विधेयक (उपकरण आधारित योजना के संबंध में निर्यात पश्चात् संपरिवर्तन) विनियम, 2022 जो दिनांक 22 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 146 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत सीमा शुल्क (इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर) विनियम, 2022 जो दिनांक 30 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 232 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव चन्द्रशेखर) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय उद्यमशीलता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3)(एक) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) नव नालंदा महाविहार, नालंदा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के समेकित वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वित्तीय प्राक्कलन और निष्पादन बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अन्नपूर्णा देवी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा मेघालय, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल (समग्र शिक्षा), पटना के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) (एक) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) समग्र शिक्षा, पुदुचेरी के वर्ष 2020-2021 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (7) (एक) समग्र शिक्षा गोवा, आल्टो-बेटिन के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) समग्र शिक्षा गोवा, आल्टो-बेटिन के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) समग्र शिक्षा तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (दो) समग्र शिक्षा तमिलनाडु, चेन्नई के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. राजकुमार रंजन सिंह) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर, काशीपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर, इंदौर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

- (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (25) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गोवा, गोवा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू, जम्मू के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (27) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति, तिरुपति के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (29) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (31) (एक) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुदुचेरी के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (33) (एक) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोना हिल्स के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (35) (एक) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (37) (एक) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (39) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फ़ोर्ज टेक्नॉलॉजी, रांची के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फ़ोर्ज टेक्नॉलॉजी, रांची के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (40) उपर्युक्त (39) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (41) नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (42) उपर्युक्त (41) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (43) (एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।
- (तीन) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (44) उपर्युक्त (43) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (45) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिजोरम, आइज़ोल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (46) उपर्युक्त (45) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (47) (एक) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

- (तीन) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (चार) राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं पर समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (48) उपर्युक्त (47) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (49) (एक) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (50) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (51) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मणिपुर, मणिपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (52) उपर्युक्त (51) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (53) (एक) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (दो) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (54) उपर्युक्त (53) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (55) अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (56) उपर्युक्त (55) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (57) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान बोधगया, बोधगया के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (58) उपर्युक्त (57) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (59) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान काशीपुर विनियम, 2021 जो 31 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रबंध संस्थान नागपुर विनियम, 2021 जो 21 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रबंध संस्थान संबलपुर विनियम, 2021 जो 10 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V(भाग-1)(तीन) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची विनियम, 2021 जो 10 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या आईआईएमआर/डीआईआर/विनियम/2021-22/1168 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर विनियम, 2021 जो 6 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रबंध संस्थान सिरमौर विनियम, 2021 जो 14 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग विनियम, 2021 जो 10 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या 8-9/2021-टीएस.V में प्रकाशित हुए थे।
- (60) उपर्युक्त (59) की मद संख्या (पांच) और (छह) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(61) केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 43 की उप-धारा (2) के अंतर्गत पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय गैर-अध्यापन और अन्य अकादमिक पद संवर्ग भर्ती नियम 2021 जो 24 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. संख्या सीयूपीबी/ओआरडी-सीआरआर./630 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(62) महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 की धारा 44 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 55-1/02/एमजीएएचवी/नई दिल्ली जो 6 फरवरी, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के परिनियम 12, 39, 14, 16(1), 2(4), 2(5) और 7 के संशोधन/परिवर्धन से संबंधित है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत किशनराव कराड़) ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) महाराष्ट्र बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 14 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या एएक्स1/एसटी/ओएसआर/1325/2021-22 में प्रकाशित हुए थे।
- (2) सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 28 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या सीओ:एचआरडी:आईआरपी:2021-22:236 में प्रकाशित हुए थे।
- (3) इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2022 जो दिनांक 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या आईबी/जी-9/2021-22(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (4) इंडियन ओवरसीज बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 16 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या एचआरएमडी/एसयूपी/177/01/2021-22(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (5) पंजाब एंड सिंध बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2021 जो दिनांक 24 दिसंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.संख्या पीएसबी/स्टॉफ/ओएसआर/2021 में प्रकाशित हुए थे।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस आशय के संदेश की सूचना दी कि 28 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने दोनों सभाओं की अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण संबंधी समिति में समिति की पहली बैठक की तारीख से आरंभ होने वाले एक वर्ष के कार्यकाल के लिए शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकृत किया

और राज्य सभा के निम्नलिखित नौ सदस्यों को उक्त समिति में कार्य करने के लिए निर्वाचित किया तथा वर्तमान सत्र के दौरान शेष एक रिक्ति को भरा जाएगा:-

1. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
2. श्रीमती गीता उर्फ चन्द्रप्रभा
3. श्री राजेन्द्र गहलोत
4. श्री नारायण कोरागप्पा
5. श्री जुगलसिंह लोखंडवाला
6. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
7. श्री सुभाष चन्द्र बोस पिल्ली
8. श्री सकलदीप राजभर
9. श्री हरनाथ सिंह यादव

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने प्राक्कलन समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) गृह मंत्रालय से संबंधित 'राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन संबंधी समिति (2021-22) का तेरहवां प्रतिवेदन।
- (2) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबंधित 'संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन और उपयोग की समीक्षा' विषय के बारे में प्राक्कलन संबंधी समिति (2021-22) का चौदहवां प्रतिवेदन।

6. प्राक्कलन समिति का विवरण

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने रक्षा मंत्रालय से संबंधित 'सशस्त्र बलों की तैयारी - रक्षा उत्पादन और खरीद' विषय के बारे में समिति के 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'सरकारी सेवाओं, पीएसयू और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, कार्य की आउटसोर्सिंग और संविदात्मक नियोजन के आलोक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को सुनिश्चित करने के तौर-तरीके - प्रसार भारती के विशेष संदर्भ में' विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।
- (2) 'पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के विशेष संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' के बारे में 13वां प्रतिवेदन।
- (3) 'भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण' के बारे में 14वां प्रतिवेदन।

8. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रितेश पाण्डेय ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) का 78वां, 79वां, 80वां और 81वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.05 बजे

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में बौद्ध सर्किट का विकास' के बारे में विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।
- (2) पर्यटन मंत्रालय से संबंधित 'भारत में बौद्ध सर्किट का विकास' के बारे में विभाग-संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 262वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में समिति के 273वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

10. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री भूपेन्द्र यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ठ की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अनुसरण में, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 12.06 बजे**

11. समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि इस सभा के सदस्य समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण नियम, 1972 के नियम 4(1) के साथ पठित समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा (4) की उप-धारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यक्षीन समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराहन 12.40 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।)

अपराहन 2.03 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले।

- (1) श्री विजय बघेल ने फास्फेट समृद्ध जैविक खाद पर राजसहायता के बारे में मामला उठाया।
- (2) श्री भागीरथ चौधरी ने राजस्थान के अजमेर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं के आवर्धन के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री नरेन्द्र कुमार ने नॉर्थ-ईस्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी का झुन्डुनू और सीकर होते हुए जयपुर तक विस्तार किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्री मितेष रमेशभाई पटेल ने गुजरात में हजीरा बंदरगाह के विकास के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने उत्तर प्रदेश के खरखौदा रेलवे स्टेशन के समीप एक उपरि रेल पुल के निर्माण के बारे में मामला उठाया।

* अपराहन 12.07 बजे से अपराहन 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (6) श्री बी.बी. पाटील ने कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन तथा विद्यालयों के श्रमिकों की सेवाओं के नियमितीकरण के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने पुणे में फेज़-॥ मेट्रो की सभी परियोजनाओं को फास्ट ट्रैक में रखने के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने राजस्थान के भीलवाड़ा में एक मेगा टेक्सटाईल पार्क की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री राजू बिष्ट ने उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कलिमपोंग और अन्य जिलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री खगेन मुर्मु ने पश्चिम बंगाल के मालदाह उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आने वाली बाढ़ और भूमि कटाव को रोकने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (11) डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ने नंदुरबार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक एसएआई (साई) केन्द्र खोलने तथा सिंथेटिक ट्रैक बिछाने के बारे में मामला उठाया।
- (12) श्री बिद्युत बरन महतो ने जमशेदपुर से पश्चिम बंगाल होते हुए ओडिशा के लिए प्रस्तावित जलमार्ग के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री कृष्ण पाल सिंह यादव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों और चिकित्सकों की सेवाओं को स्थायी किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (14) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका ने ओडिशा के रायगढ़ और कोरापुट जिलों में विभिन्न भूमिगत निकास और रेल उपरि पुलों के निर्माण के बारे में मामला उठाया।
- (15) श्री सु. थिरुनवुक्करासर ने थिरुवरूर-करायपुडी खंड में नियमित रेल सेवाओं को पुनः शुरू किए जाने और दक्षिण रेलवे में रेल फाटकों को मानवयुक्त बनाने के बारे में मामला उठाया।
- (16) श्री एस. ज्ञानतिरावियम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में कोराइयार नदी पर एक बांध के निर्माण हेतु धनराशि के आबंटन के बारे में मामला उठाया।
- (17) डॉ. संजीव कुमार शिंगरी ने बेडा जंगम समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित करने के बारे में मामला उठाया।
- (18) श्रीमती प्रतिमा मण्डल ने चंद्रखली हॉल्ट स्टेशन को चालू किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- (19) श्री कृपाल बालाजी तुमाने ने राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के मुख्यालय को नागपुर से दिल्ली स्थानांतरित करने के बारे में मामला उठाया।
- (20) श्री रामशिरोमणि वर्मा ने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र में सिंचाई व पीने हेतु पानी की कमी की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।

- (21) श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. ने लक्षद्वीप द्वीपसमूह में भूमि अधिग्रहण के बारे में मामला उठाया।
- (22) डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी ने पेट्रोलियम उत्पादों और औषधियों के मूल्यों में वृद्धि के बारे में मामला उठाया।

*अपराहन 2.50 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 4 घंटे 59 मिनट

श्री अमित शाह ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री विष्णु दयाल राम
3. तिरु दयानिधि मारन
4. श्रीमती महुआ मोइत्रा
5. श्री विनायक भाऊराव राऊत
6. श्री पी.वी. मिथुन रेड्डी
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. कुंवर दानिश अली
10. श्री गौरव गोगोई
11. डॉ. सत्यपाल सिंह
12. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
13. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
14. श्री के. सुब्बारायण

* अपराहन 2.42 बजे से अपराहन 2.49 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

15. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
16. श्रीमती अपराजिता सारंगी
17. श्री पी. रविन्द्रनाथ
18. श्री बृजेन्द्र सिंह
19. श्रीमती नवनित रवि राणा
20. प्रो. सौगत राय
21. डॉ. निशिकांत दुबे
22. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री अमित शाह ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 3 स्वीकृत हुआ।

खंड 4 स्वीकृत हुआ।

खंड 5 स्वीकृत हुआ।

खंड 6 और 7 स्वीकृत हुए।

खंड 8 से 10 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.49 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 5 अप्रैल, 2022/ 15 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 174

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 461 (465 के साथ युग्मित), 462 से 464 के मौखिक उत्तर दिए गए।

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा पूर्वाह्न 11.27 बजे स्थगित हुई
और अपराह्न 12.01 बजे पुनः समवेत हुई।)*

तारांकित प्रश्न संख्या 466 से 480 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5291 से 5520 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

- (1) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के संबंध में वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास अभिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ संजीव कुमार बालियान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) पशुधन आयात अधिनियम, 1898 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि. 585(अ) जो 11 अगस्त, 1999 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो देश में अश्वों के आयात के लिए स्वास्थ्य संबंधी नयाचारों के बारे में है।
 - (दो) का.आ. 478(अ) जो 30 मई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
 - (तीन) का.आ. 670(अ) जो 16 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
 - (चार) का.आ. 655(अ) जो 9 जुलाई, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में पशुधन उत्पादों के आयात और अभिविहित प्रक्रिया के अनुसार स्वच्छताकारी आयात परमिट पर किये जाने वाले आयात पर प्रतिबंध के बारे में है।
 - (पांच) का.आ. 1043(अ) जो 17 अक्टूबर, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
 - (छह) का.आ. 770(अ) जो 6 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
 - (सात) का.आ. 1044(अ) जो 25 जुलाई, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

- (आठ) का.आ. 1841(अ) जो 29 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (नौ) का.आ. 794(अ) जो 1 अप्रैल, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (दस) का.आ. 1214(अ) जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (ग्यारह) का.आ. 1511(अ) जो 23 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (बारह) का.आ. 2303(अ) जो 29 सितम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (तेरह) का.आ. 2595(अ) जो 4 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (चौदह) का.आ. 2745(अ) जो 26 नवम्बर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पंद्रह) का.आ. 188(अ) जो 16 जनवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सोलह) का.आ. 388(अ) जो 2 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सत्रह) का.आ. 802(अ) जो 23 मार्च, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (अठारह) का.आ. 976(अ) जो 20 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (उन्नीस) का.आ. 2148(अ) जो 21 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (बीस) का.आ. 2463(अ) जो 26 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 976(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (इक्कीस) का.आ. 351(अ) जो 11 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 9 जुलाई, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 655(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (बाईस) का.आ. 802(अ) जो 20 अगस्त, 2001 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उन देशों से पशु और पशु उत्पादों के आयात पर प्रतिषेध के बारे में है, जहां संचरण योग्य स्पोजीफॉर्म एंसेफालोपैथी (टीएसई) समूह की बीमारियों से संबंध रखने वाली बीमारियां हैं।
- (तेईस) का.आ. 522(अ) जो 25 जुलाई, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में

अश्व आयातों के लिए स्वास्थ्य पशु प्रमाण-पत्रों के बारे में है।

- (चौबीस) का.आ. 126(अ) जो 28 जनवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (पच्चीस) का.आ. 155(अ) जो 3 फरवरी, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (छब्बीस) का.आ. 800(अ) जो 7 जुलाई, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 155(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सत्ताईस) का.आ. 899(अ) जो 6 अगस्त, 2004 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (अट्ठाईस) का.आ. 175(अ) जो 7 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (उनतीस) का.आ. 1104(अ) जो 6 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (तीस) का.आ. 1112(अ) जो 9 अगस्त, 2005 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अगस्त, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1104(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (इकतीस) पशु मूल के पालतू-पशु खाद्य उत्पाद (भारत में आयात) आदेश, 2005 जो 29 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1842(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (बत्तीस) का.आ. 10(अ) जो 4 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 दिसम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 1842(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (तैंतीस) का.आ. 160 (अ) जो 6 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (चौतीस) का.आ. 1256(अ) जो 3 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 160(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पैंतीस) का.आ. 102 (अ) जो 2 फरवरी, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (छत्तीस) का.आ. 367(अ) जो 14 मार्च, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2

- फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सैतीस) का.आ. 881(अ) जो 5 जून, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 2 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 102(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (अड़तीस) का.आ. 1311 (अ) जो 1 अगस्त, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (उनतालीस) का.आ. 1859(अ) जो 1 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1311(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (चालीस) का.आ. 1496(अ) जो 6 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में गोजातीय वीर्य के आयात को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया और शर्तों के बारे में है।
- (इकतालीस) का.आ. 1318(अ) जो 22 मई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 सितम्बर, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1496(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (बयालीस) का.आ. 228 (अ) जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (तैतालीस) का.आ. 1218(अ) जो 26 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 फरवरी, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 228(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (चवालीस) पशु मूल के पालतू-पशु खाद्य उत्पाद (भारत में आयात) आदेश, 2005 जो 5 मई, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1086(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (पैंतालीस) का.आ. 1500 (अ) जो 20 जून, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अभिविहित शर्तों के अनुसार देश में विशिष्ट पैथोजन मुक्त अंडों (मुर्गी अंडे और बतख अंडे) के आयात के बारे में है।
- (छयालीस) का.आ. 3485(अ) जो 17 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1500(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सैतालीस) का.आ. 2482 (अ) जो 20 अक्टूबर, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारत में लिटोपेनायूस वन्नामेई के आयात के लिए जलीय संगरोध के प्रचालन के तरीके का विनियमन करने वाले दिशा-निर्देशों के बारे में है।
- (अड़तालीस) का.आ. 2213(अ) जो 1 सितम्बर, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2482(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (उनचास) का.आ. 783(अ) जो 25 अप्रैल, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2482(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पचास) का.आ. 1392(अ) जो 20 जून, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2482(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

- (इक्यावन) का.आ. 2284(अ) जो 1 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2482(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (बावन) का.आ. 419 (अ) जो 9 फरवरी, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (तिरपन) का.आ. 238(अ) जो 6 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में अश्व आयातों के लिए पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बारे में है।
- (चौवन) का.आ. 294(अ) जो 30 अप्रैल, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 238 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पचपन) का.आ. 1825(अ) जो 24 जुलाई, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में कच्चे, लवणीय, अचारीय, नींबू मिश्रित और शुष्क खालों और चर्म के आयात का विनियमन करने के लिए पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बारे में है।
- (छप्पन) का.आ. 2208 (अ) जो 31 अगस्त, 2009 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (सत्तावन) का.आ. 616 (अ) जो 19 मार्च, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (अठावन) का.आ. 389(अ) जो 7 मई, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में अश्व आयातों के लिए पशु-चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बारे में है।
- (उनसठ) का.आ. 2976 (अ) जो 18 दिसम्बर, 2010 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (साठ) का.आ. 1663 (अ) जो 20 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एविएन इन्फ्लुएंजा के कथित प्रकोप के कारण देश में घरेलू और जंगली पक्षियों, जीवित सूअरों तथा उनके उत्पादों के आयात का प्रतिषेध करने के बारे में है।
- (इकसठ) का.आ. 752(अ) जो 8 अक्टूबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो देश में अश्व आयातों के लिए पशु चिकित्सा प्रमाण-पत्र के बारे में है।
- (बासठ) का.आ. 185(अ) जो 21 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अक्टूबर, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 752 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (तिरसठ) का.आ. 1495(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "पशुधन" के आयात के लिए प्रक्रिया, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट स्वच्छताकारी शर्तों को पूर्ण करने और जहां भी आवश्यक हो पशुधन के संघरौध, के बारे में है।

- (चौसठ) का.आ. 4025(अ) जो 6 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1495 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पैंसठ) का.आ. 2825(अ) जो 14 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1495 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (छियासठ) का.आ. 489(अ) जो 4 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 11 जून, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 1495 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सइसठ) का.आ. 1496(अ) जो 11 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो यह अधिसूचित करने के बारे में है कि "पशुधन" में सभी अश्वीय (गधे, घोड़े, घोड़ियां, जंगली गधे, खच्चरों सहित सभी जीवित अश्व चाहे उनका कोई उद्देश्य हो), गोजातीय (मवेशी, भैंसें, बैल या गोवंश की श्रेणी में आने वाले किसी पशु सहित सभी गोजातीय पशु), बकरे, अंडज, सूअर, कुत्ते, बिल्लियां, एवियन (पोल्ट्री सहित किसी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा आयात के लिए प्रतिषेधित किये गये पक्षियों के अलावा सभी एवियन प्रजातियां), प्रयोगशाला पशु (सभी प्रयोगशाला पशु जैसे चूहे, मूषक, खरगोश, गीनिया-पिग, हेम्स्टर और प्रयोगशाला में उपयोग किये जाने वाले अन्य कोई पशु) और जलीय पशु (जीवित मछलियां, जीवित परुषकवची और मोलस्का) शामिल हैं।
- (अइसठ) का.आ. 2666(अ) जो 17 अक्टूबर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो "पशुधन उत्पादों" और ऐसे उत्पादों के आयात के लिए स्वच्छताकारी आयात परमिट जारी करने के लिए प्रक्रिया अधिसूचित करने के बारे में है।
- (उनहतर) का.आ. 3356(अ) जो 11 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सत्तर) का.आ. 2640(अ) जो 5 अगस्त, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (इकहतर) का.आ. 3112(अ) जो 1 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं तथा जिसका एक शुद्धि-पत्र 29 अक्टूबर, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 3349(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (बहतर) का.आ. 948(अ) जो 24 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (तिहतर) का.आ. 2486(अ) जो 4 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (चौहतर) का.आ. 5758(अ) जो 16 नवम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पचहतर) का.आ. 2679(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

- (छिहत्तर) का.आ. 4559(अ) जो 16 दिसम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (सतहत्तर) का.आ. 4953(अ) जो 2 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 17 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2666 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (अठहत्तर) का.आ. 2655 (अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अभिविहित प्रक्रिया के अनुसार भारत में जीवित गोजातीय पशुओं के आयात के विनियमन के बारे में है।
- (उनासी) का.आ. 1355(अ) जो 25 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 28 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2655 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (अस्सी) का.आ. 2656 (अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अभिविहित प्रक्रिया के अनुसार भारत में इन वीवो गोजातीय भूणों के आयात के विनियमन के बारे में है।
- (इक्यासी) का.आ. 2657 (अ) जो 28 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो अभिविहित प्रक्रिया के अनुसार भारत में इन वीवो गोजातीय भूणों के आयात के विनियमन के बारे में है।
- (बयासी) का.आ. 2337 (अ) जो 8 जुलाई, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो स्वच्छताकारी और पादप स्वच्छताकारी उपायों और टेफोर पशुधन स्वास्थ्य पर विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत आवश्यकताओं पर विचार करते हुए पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के आयात के बारे में है।
- (तिरासी) का.आ. 2998(अ) जो 19 सितम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2337 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (चौरासी) का.आ. 510(अ) जो 17 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जुलाई, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ. 2337 (अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पचासी) का.आ. 4118 (अ) जो 14 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पशुधन स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन की पार्थिव पशुधन स्वास्थ्य संहिता में एवियन इन्फ्लूएन्जा से संबंधित प्रावधानों और उत्पाद-विशिष्ट सिफारिशों के अनुसार पोल्ट्री और पोल्ट्री उत्पादों के आयात के बारे में है।
- (छियासी) का.आ. 3926 (अ) जो 22 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भारत में आयातित कुत्ता और बिल्ली खाद्य उत्पादों (पशुधन मूल सामग्री वाले) के लिए पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र आवश्यकताओं को अधिसूचित करने के बारे में है।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 2 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।
 - (दो) चंडीगढ़ औद्योगिक और पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 25 की उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी चंडीगढ़ प्रशासन निजी सुरक्षा अभिकरण नियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 776 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. भागवत किशनराव कराड़) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संघ सरकार (रेलवे) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 22)-(निष्पादन लेखापरीक्षा)।
 - (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कार्यक्रम के बारे में संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्या 24)-(निष्पादन लेखापरीक्षा)।
 - (तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - भारतीय सेना में अधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण के बारे में संघ सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्या 21) - (निष्पादन लेखापरीक्षा) - (रक्षा सेवाएं-सेना)।
 - (चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - भारत-नेपाल सीमा सड़क परियोजना, गृह मंत्रालय के बारे में संघ सरकार (सिविल) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 23)-निष्पादन लेखापरीक्षा।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) वर्ष 2020-2021 के लिए रक्षा सेवाओं के संघ सरकार-विनियोग लेखा।
 - (दो) वर्ष 2020-2021 के लिए डाक सेवाओं के संघ सरकार-विनियोग लेखा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) के बारे में विवरण।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी.एल. वर्मा) ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (संशोधन) नियम, 2022 जो 24 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 42 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री प्रतिमा भौमिक) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) दिव्यांगजन मुख्य आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में व्याख्यात्मक ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (5) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएंबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसएंबिलिटीज (दिव्यांगजन), कोलकाता के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) (एक) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (9) (एक) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) (एक) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान (दिव्यांगजन), देहरादून, के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएंबिलिटीज, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसएंबिलिटीज, मुंबई, के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) (एक) राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगता जन सशक्तीकरण संस्थान (दिव्यांगजन), चेन्नई, के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय बहु-दिव्यांगता जन सशक्तीकरण संस्थान (दिव्यांगजन), चेन्नई, के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (17) (एक) इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) इंडियन स्पाइनल इंजरीज़ सेंटर, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (19) (एक) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तीकरण संस्थान, देहरादून के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (21) (एक) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
(दो) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (23) (एक) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।
(दो) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान (दिव्यांगजन), नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम तथा दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. एल. मुरुगन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

4. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया ने लोक लेखा समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

- (1) 'आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने' संबंधी 48वां प्रतिवेदन।
- (2) 'कृषि आय से संबंधित निर्धारण' संबंधी 49वां प्रतिवेदन।
- (3) 'स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोग (2017-18) से अधिक व्यय' के बारे में लोक लेखा समिति के 24वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 50वां प्रतिवेदन।

5. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का प्रतिवेदन

श्री रामशिरोमणि वर्मा ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सातवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

6. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने 'राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)/राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) का कार्यान्वयन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का 33वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

7. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)' के बारे में ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

*अपराहन 12.05 बजे

8. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022

*(व्यवधान के कारण, लोक सभा अपराहन 12.12 बजे स्थगित हुई
और अपराहन 2.02 बजे पुनः समवेत हुई।)*

अपराहन 2.02 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

- (1) श्री रतन लाल कटारिया द्वारा हरियाणा के अम्बाला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विश्वस्तरीय खेल अवसंरचना स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

* अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 12.12 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

- (2) श्री मुकेश राजपूत द्वारा उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मोहम्मदाबाद में स्थित हवाई पट्टी को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने और वहां से उड़ान सेवाएं शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (3) श्री तीरथ सिंह रावत द्वारा उत्तराखण्ड के कोटद्वार से मसूरी एक्सप्रेस में पुनः डिब्बे जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (4) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अंडरब्रिज/उपरि पुल का निर्माण किए जाने के बारे में।
- (5) श्री रामदास सी. तडस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किए जाने के बारे में।
- (6) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (7) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश में युवा कार्यक्रम आयोजित किए जाने के बारे में।
- (8) श्री मोहन मंडावी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर में इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में।
- (9) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा मातृ मृत्यु दर कम करने हेतु उपाय किए जाने के बारे में।
- (10) श्री सत्यदेव पचौरी द्वारा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वस्त्र मिलों की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्मित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (11) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा धर्मांतरण किए जाने के बाद उन्हें मिलने वाले आरक्षण का लाभ रोके जाने के बारे में।
- (12) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव निम्बालकर नाईक द्वारा महाराष्ट्र के माधा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नहर निर्माण हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।
- (13) श्री गोपाल चिन्मय्या शेट्टी द्वारा महाराष्ट्र के मुम्बई में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में।
- (14) श्री रवनीत सिंह द्वारा उर्वरकों की आपूर्ति में अत्यधिक कमी के बारे में।
- (15) श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत द्वारा कन्याकुमारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और आदर्श मत्स्यन ग्राम के क्रियान्वयन के बारे में।
- (16) श्री के. मुरलीधरन द्वारा पीआरएएसएडी (प्रसाद) योजना में तिरुवंगड श्री रामास्वामी मंदिर को शामिल किए जाने के बारे में।
- (17) श्री ए. गणेशमूर्ति द्वारा रेलवे के छोटे और मध्यम श्रेणी के ठेकेदारों को बचाने के बारे में।
- (18) श्री सी. एन. अन्नादुरई द्वारा पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के पोर्टल के बारे में।
- (19) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए एनडीआरएफ निधि में वृद्धि किए जाने के बारे में।
- (20) श्री विनायक बी. राऊत द्वारा रेल खानपान सेवाओं को जीएसटी से छूट देने के बारे में।
- (21) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत बिहार के गोपालगंज जिले को शामिल किए जाने के बारे में।

- (22) सुश्री चन्द्राणी मुर्मु द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के विनिवेश के बारे में।
- (23) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पुरानी पेंशन योजना के बारे में।
- (24) श्री नव कुमार सरनीया द्वारा बोडोलैण्ड टेरिटोरियल रीजन की नयी सीमा के सीमांकन हेतु गठित समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बारे में।
- (25) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा पार-नर्मदा-तापी नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना के बारे में।

अपराहन 2.03 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 4 घंटे 45 मिनट

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने यूक्रेन में स्थिति के बारे में चर्चा उठायी।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्री बृजेन्द्र सिंह
3. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
4. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
5. #श्री हरदीप सिंह पुरी
6. श्री पिनाकी मिश्रा
7. डॉ. शशि थरूर
8. डॉ. फारूख अब्दुल्ला
9. श्री श्याम सिंह यादव
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. %श्री किरिन रिजीजू
12. डॉ. एम.पी. अब्दुस्समद समदानी
13. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
14. श्री के. सुब्बारायण
15. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
16. §श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री; तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्री

% विधि और न्याय मंत्री

§ नागर विमानन मंत्री

17. श्री थोमस चाज़िकाडन
18. श्री थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
19. प्रो. सौगत राय
20. श्री भर्तृहरि महताब
21. श्री रितेश पाण्डेय
22. डॉ. निशिकांत दुबे
23. श्री जयदेव गल्ला
24. श्री रेबती त्रिपुरा
25. श्री शिवकुमार चनबसप्पा उदासी
26. श्री अधीर रंजन चौधरी
27. [&]जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के. सिंह

चर्चा पूरी नहीं हुई।

सायं 6.48 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022, राज्य सभा द्वारा यथापारित

आबंटित समय : 2 घंटे
लिया गया समय : 2 घंटे

श्री अर्जुन मुंडा ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री सुरेश कोडिकुन्नील
2. श्री सुनील कुमार सिंह
3. डॉ. डीएनवी सैथिलकुमार
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. श्री रेड्डप्प नल्लाकोण्डा गारी
6. श्रीमती अपराजिता सारंगी
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन

[&] सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी.के.सिंह)

8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री राजेन्द्र धेङ्ग्या गावित
10. श्रीमती संगीता आजाद
11. श्री बिद्युत बरन महतो
12. श्री विजय कुमार हांसदाक
13. श्री पी. रविन्द्रनाथ
14. श्री कनी के. नवास
15. डॉ. के. जयकुमार
16. डॉ. थोलकप्पियन तिरुमावलवन
17. डॉ. निशिकांत दुबे
18. श्री एस.एस. अहलुवालिया

श्री अर्जुन मुंडा ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन मुंडा ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पारित हुआ।

रात्रि 8.48 बजे

(लोक सभा बुधवार, 6 अप्रैल, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 6 अप्रैल, 2022/ 16 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 175

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्या 481 से 486 के मौखिक उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्या 487 से 500 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्या 5521 से 5750 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराह्न 12.01 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 48 के अंतर्गत भारत के लोकपाल, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति परिलाभ) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 177(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 178(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 179(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 180(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 181(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (छह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 182(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (सात) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 183(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (आठ) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 184(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (नौ) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (दस) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 186(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (ग्यारह) भारतीय पुलिस सेवा (विशेष भत्ता) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (बारह) भारतीय वन सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च,

2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 188(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (तेरह) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (चौदह) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।
- (पंद्रह) भारतीय वन सेवा (परिवीक्षाधीनों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 2022 जो 9 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फग्गनसिंह कुलस्ते) की ओर से मेकॉन लिमिटेड तथा इस्पात मंत्रालय के बीच वर्ष 2021-2022 के लिए हुए समझौता-जापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 40 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2022 जो 16 मार्च, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/11/2021 में प्रकाशित हुए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
(दो) रेल सूचना प्रणाली केन्द्र, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

- (दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (5) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (6) (एक) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) एनआरटीयू फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 से 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 25) - मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयुध निर्माणियां और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।
- (दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- वर्ष 2019-2020 (01.04.2019 से 30.10.2019) के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर सरकार) (2021 का प्रतिवेदन संख्या 3)।
- (तीन) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक और राजस्व क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार (2021 का प्रतिवेदन संख्या 4)।

- (चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन- 31 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 की अवधि के लिए संघ राज्यक्षेत्र वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन) (2022 का प्रतिवेदन संख्या 1) ।
- (2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।
- (दो) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।
- (तीन) जम्मू-कश्मीर सरकार- वर्ष 2019-2020 (1 अप्रैल 2019 से 30 अक्टूबर 2019) के लिए विनियोग लेखा।
- (चार) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-एक।
- (पांच) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए वित्त लेखा खंड-दो।
- (छह) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन- वर्ष 2019-2020 (31 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020) के लिए विनियोग लेखा।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) टेक्सटाइल्स कमेटी, मुम्बई के वर्ष 2018-2019 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की उप-धारा 13ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की

एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण:-

- (एक) का.आ. 610(अ) जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उनके नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (दो) का.आ. 611 (अ) जो 11 फरवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन संयुक्त सचिव (रेशम), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को 26.02.2022 से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उनके नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (तीन) का.आ. 293 (अ) जो 21 जनवरी, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन राज्य सभा के सदस्यों को 22.12.2021 से तीन वर्षों की अवधि के लिए या राज्य सभा में उनका कार्यकाल पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विधिवत निर्वाचित हुए सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए उनके नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (चार) का.आ. 5158 (अ) जो 13 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 20 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ. 4589(अ) में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
- (पांच) का.आ. 2984(अ) जो 28 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उनके नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (छह) का.आ. 4990(अ) जो 6 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के उपबंधों के अध्यक्षीन अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए उनके नामनिर्देशन को अधिसूचित किया गया है।
- (सात) केन्द्रीय रेशम बोर्ड रेशम-कीड़ा बीज (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 861(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (5) उपर्युक्त (4) की मद सं. (चार) से (सात) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टिट्यूट, नोएडा के वर्ष 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

- (एक) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) जम्मू-कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड, जम्मू का वर्ष 2019-2020 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवसिंह चौहान) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

- (1) (एक) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
- (दो) इंडिया पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराहन 12.03 बजे

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दी।

- (एक) कि राज्य सभा 5 अप्रैल, 2022 को हुई अपनी बैठक में चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।
- (दो) कि राज्य सभा 5 अप्रैल, 2022 को हुई अपनी बैठक में दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022, लोक सभा द्वारा यथापारित, पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति

निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के नाम के आगे उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गयी:-

- | | |
|--|--|
| (1) श्री संजय शामराव धोत्रे | 31.01.2022 से 11.02.22 और 14.03.2022 से 8.04.2022 |
| (2) श्री चौधरी मोहन जटुआ | 06.12.2021 से 21.12.2021 और 31.01.2022 से 11.02.2022 |
| (3) श्री अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय | 31.01.2022 से 11.02.22 और 14.03.2022 से 8.04.2022 |
| (4) श्री मोहम्मद आजम खां (अब त्यागपत्र दे दिया है) | 30.11.2021 से 22.12.2021 और 31.01.2022 to 11.02.2022 और 14.03.2022 से 22.03.2022 |
| (5) श्रीमती हरसिमरत कौर बादल | 13.12.2021 से 22.12.2021 और 31.01.2022 से 11.02.2022 और |

| | |
|-------------------------------|--|
| | 14.03.2022 से 25.03.2022 |
| (6) श्री सुखबीर सिंह बादल | 13.12.2021 से 22.12.2021 और 31.01.2022 से 11.02.2022 और 14.03.2022 से 27.03.2022 |
| (7) श्री गिरीश भालचन्द्र बापट | 14.03.2022 से 29.03.2022 |

अपराहन 12.04 बजे

6. अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण

श्री रमेश बिधूड़ी ने शिक्षा मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएच.डी में प्रवेश और शिक्षकों की नियुक्ति में अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपाय' के बारे में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों और अध्याय-पांच में शामिल सिफारिशों के संबंध में अंतिम उत्तरों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के विवरण

डॉ. शशि थरूर ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

- (1) संचार मंत्रालय (डाक विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 22वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 28वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 23वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 29वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।
- (3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय की 'अनुदानों की मांगों (2021-22)' के बारे में समिति के 25वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी 31वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री रमेश बिधूड़ी ने 'सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तेल संस्थापनाओं की संरक्षा और सुरक्षा - चक्रवात तौकते के दौरान पश्चिमी अपतट में हुई दुर्घटना के विशिष्ट संदर्भ में' विषय के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

9. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्रीमती मंजुलता मंडल ने वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 'भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा' के बारे में समिति के 161वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में 169वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***अपराहन 12.04 बजे**

10. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का तैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

अपराहन 12.40 बजे

11. नियम 193 के अधीन चर्चा

अनुमत्य समय: 2 घंटे
लिया गया समय: 5 घंटे 34 मिनट

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन द्वारा 5 अप्रैल, 2022 को यूक्रेन में स्थिति के बारे में उठायी गयी चर्चा आगे जारी रही।

डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

चर्चा पूरी हुई।

(लोक सभा अपराहन 1.29 बजे स्थगित हुई और अपराहन 2.35 बजे पुनः समवेत हुई।)

* अपराहन 12.06 बजे से अपराहन 12.40 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराहन 2.35 बजे

12. नियम 377 के अधीन मामले

- (1) श्री गणेश सिंह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के बारे में मामला उठाया।
- (2) डॉ. निशिकांत दुबे ने देवघर में डीआरडीओ प्रयोगशाला, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सैनिक स्कूल और रक्षा भर्ती केंद्र की स्थापना के बारे में मामला उठाया।
- (3) श्री निहाल चंद चौहान ने इंदिरा गांधी नहर में प्रदूषण पर अंकुश लगाने और राजस्थान को बीबीएमबी की सदस्यता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (4) श्रीमती दीया कुमारी ने राजस्थान के राजसमंद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (5) श्री अर्जुन सिंह ने जूट मिलों और जूट उत्पादक किसानों की दुर्दशा के बारे में मामला उठाया।
- (6) श्री चुन्नी लाल साहू ने छत्तीसगढ़ में धान के भंडारण में कथित अनियमितताओं के बारे में मामला उठाया।
- (7) श्रीमती रीती पाठक ने रीवा-सिंगरौली रेलवे लाइन, जो ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन परियोजना का हिस्सा है, के निर्माण कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (8) श्री सुनील कुमार सिंह ने झारखंड में पोषण सखी की सेवाएं जारी रखे जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया।
- (9) श्री परबतभाई सवाभाई पटेल ने राजस्थान साबरमती लिंक नहर के निर्माण के बारे में मामला उठाया।
- (10) श्री हंसमुखभाई सोमभाई पटेल ने गुजरात के अहमदाबाद में नरोदा रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइनों को पार करने के लिए पैदल यातायात के लिए एक पुल के निर्माण के बारे में मामला उठाया।
- (11) श्री जुगल किशोर शर्मा ने उन किसानों को पर्याप्त मुआवजा प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया, जिनकी भूमि का जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने के उद्देश्य से अधिग्रहण किया गया है।
- (12) श्री आर.के. सिंह पटेल ने लाइसेंस धारक वाहन चालकों के लिए सड़क दुर्घटना बीमा योजना के बारे में मामला उठाया।
- (13) श्री वी. के. श्रीकंदन ने मन्नारक्कड़ से अट्टापपदी और चिन्ना थडगाम होत हुए कोयंबटूर तक राज्य मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 966 का उप-राजमार्ग घोषित किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- (14) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस ने जीवन रक्षक दवाओं की कीमत के बारे में मामला उठाया।

- (15) श्री अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक व्यापार चौकी स्थापित किए जाने के बारे में मामला उठाया।
- (16) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू ने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा केंद्र प्रायोजित योजनाओं के नामकरण के बारे में मामला उठाया।
- (17) श्रीमती अपरूपा पोद्दार ने आरामबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आलू के लिए एक एकीकृत कोल्ड स्टोरेज की मंजूरी के बारे में मामला उठाया।
- (18) प्रो. सौगत राय ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के बारे में मामला उठाया।
- (19) श्री राहुल कस्वां ने राजस्थान के चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर आरओबी, वीयूपी और सीयूपी के निर्माण के बारे में मामला उठाया।
- (20) श्री चंद्र शेखर साहू ने ओडिशा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के कार्यान्वयन के बारे में मामला उठाया।
- (21) श्री हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान और अन्य राज्यों के बीच जल विवादों के समाधान के बारे में मामला उठाया।
- (22) श्रीमती मंगल सुरेश अंगड़ी ने बेलगाम से कई उड़ानें शुरू किए जाने के बारे में मामला उठाया।

अपराहन 3.18 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022

आबंटित समय: 2 घंटे

लिया गया समय: 2 घंटे 52 मिनट

डॉ. एस. जयशंकर विधेयक ने विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी
2. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर
3. श्री ए. राजा
4. प्रो. सौगत राय

5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री विनायक भाऊराव राऊत
7. श्री चंद्र शेखर साहू
8. श्री रितेश पाण्डेय
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री जयदेव गल्ला
11. श्री मनीश तिवारी
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
14. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
15. श्री पी. रविन्द्रनाथ
16. श्री हनुमान बेनीवाल
17. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
18. श्री कुरुवा गोरान्तला माधव
19. श्री कुंवर दानिश अली
20. डॉ. निशिकांत दुबे
21. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. एस. जयशंकर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार करने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ हुआ।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. एस. जयशंकर ने प्रस्ताव पेश किया कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 6.11 बजे

14. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया-

"कि यह सभा आज, अर्थात्, 6 अप्रैल, 2022 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के तैतीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.11 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 7 अप्रैल, 2022 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई!)

**उत्पल कुमार सिंह
महासचिव**

लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरुवार, 7 अप्रैल, 2022/ 17 चैत्र, 1944 (शक)

संख्या 176

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. विदाई संबंधी उल्लेख*

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के आठवें सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

2. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

(लोक सभा पूर्वाह्न 11.09 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, कृपया उस दिन का वाद-विवाद देखें।